राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

जयपुर के

समक्ष

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

द्वारा

विव 2019–20 के लिए

समग्र राजस्व आवश्यकता

के अनुमोदन हेतु

दायर याचिका

विव 2019–20

टिप्पणियां :

इस आवेदन में :

(एन–1) वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 (विव 18 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

(एन) वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 (विव 19 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

(एन + 1) वर्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 (विव 20 के रूप में निर्दिष्ट) के रूप में परिभाषित

इस आवेदन में उपयोग में आये सभी मौद्रिक आंकड़े, जब तक कि विशिष्टतः अन्यथा उल्लिखित न हो, करोड़ रू. में है।

इस आवेदन में उपयोग में आयी सभी ऊर्जा इकाइयां, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, मिलियन इकाइयों में है।

सारणी में दिये गये अंक राउण्ड ऑफ करके दिखाये गये हैं। यद्यपि गणना के लिये वास्तविक अंक काम मे लिये गये है।

संक्षेपणों की सूची

आवेदन	विव 2019–20 के लिए बवटै के अनुमोदन हेतु आवेदन
जयपुर डिस्कॉम, जविविनिलि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाराआ	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
बवटै	बहुवर्षीय टैरिफ
प्रआटै	प्रपुंजापूर्ति टैरिफ
सेकलाउयो	सेवा कनेक्शन एवं लाईनों के लिए उपभोक्ताओं का योगदान
सीपीपी	केपटिव पॉवर प्लांट
घसे	घरेलू सेवा
अउआ	अतिरक्त उच्च आतति
विअ 2003	विद्युत अधिनियम, 2003
विपुयो	वित्तीय पुनर्संरचना योजना
विव	वित्तीय वर्ष
विव 18	वित्तीय वर्ष 2017–18
विव 19	वित्तीय वर्ष 2018–19
विव 20	वित्तीय वर्ष 2019–20
सस्थाप	सकल स्थाई परिसम्पत्तियां
भास	भारत सरकार
रास	राजस्थान सरकार
ग्रिस	ग्रिड सब स्टेशन
उआ	उच्च आतति
किवोए	किलो वोल्ट एम्पीयर
किवा	किलोवाट
किवाध	किलोवॉट घण्टा या इकाई
निआ	निम्न आतति
अमांसू	अधिकतम मांग सूचक
मऔश	मध्यम औद्योगिक शक्ति
मि.यू.	मिलियन यूनिट
अघसे	अघरेलू सेवा
नि.स्था.परि.	निवल स्थाई परिसम्पत्तियां
भानाविनिलि	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.
राजविनि	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
उक्षेभाप्रेके	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
रातापिनि	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम
भाग्रिविनिलि	भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड
साजदा	सार्वजनिक जलदाय
राविविआ/आयोग	राजस्थान राज्य विनियामक आयोग

राविप्रनिलि	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
राविउनिलि	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
ग्राविनि	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
रू.	भारतीय रूपये
राराविम	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
लऔश	लधु औद्योगिक शक्ति
सअमा	समानान्तर अधिकतम मांग
राभाप्रेके	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
रा.प्र.यू.	राज्य प्रसारण यूटिलीटि
गै–अवि	गैर– अनुसूचित विनिमय
याचिकाकर्ता/यूटिलीटि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

विषय वस्तु की सारणी

अ 1:	**विव 2019–20 के लिए प्रक्षेपण**		
अ 2:	**विव विव 2019–20 के लिए ऊर्जा विक्रय तथा आवश्यकता**		
		विगत वर्षों का ऊर्जा विक्रय	
		कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण	
		कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय का प्रक्षेपण	
		विव 2019–20 के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण का सारांश	
		विव 2019–20 के लिए वितरण हानि	
		विव 2019–20 के लिए ऊर्जा आवश्यकता	
अ 3:	**विव 2019–20 के लिए विद्युत क्रय प्रमात्रा तथा लागत**		
		ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा संतुलन	
		विव 2019–20 के लिए विद्युत क्रय लागत	
अ 4:	**पूंजी निवेश प्रगत्याधीन पूंजीगत कार्य तथा पूंजीकरण**		
अ 5:	**विव 2019–20 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता**		
		परिचालन एवं संधारण व्यय	
		बीमा व्यय	
		सेवान्त लाभ	
		दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज, प्रतिभूति निक्षेप एवं अन्य वित्त प्रभार	
		कार्यशील पूंजी पर ब्याज	
		ह्रास	
		साम्या पर प्रतिफल	
		गैर– टैरिफ आय तथा अन्य आय	
		विव 2019–20 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता	
अ 6:	**विद्यमान टैरिफ से राजस्व**		
		राज्य सरकार से सहायिकी	
		विद्यमान टैरिफ पर राजस्व धाटा	
अ 7:	**राजस्व घाटे का उपचार**		
		टैरिफ संशोधन	
		टैरिफ युक्तिकरण युक्तिकरण	

		प्रस्तावित विद्युत दरों में वृद्धि	
अ 8:		प्रस्तावित टैरिफ शिड्युल	
अ 9:		प्रस्तावित टैरिफ से राजस्व	
अ 10:		क्रोस सब्सिडी प्रभार	
अ 11:		परिवहन प्रभार	
अ 12:		**वे** फारवर्ड	
अ 13:		प्रार्थना	

सारणियों की सूची

सारणी–1	ऊर्जा बिक्री में विगत प्रवृति (मि.यू)	

सारणी–2	विव 2018–19 के लिए कृषि उपभोक्ताओं को छोड कर अन्य को अनअन्तिम बिक्री (मि. यू.)	
सारणी–3	विव 2019–20 के लिए कृषि उपभोक्ताओं को छोड कर अन्य को प्रक्षेपित बिक्री (मि.यू.)	
सारणी–4	विव 2018–19 के लिए कृषि मीटर श्रेणी के लिए विद्युत विक्रय	
सारणी–5	कृषि मीटर श्रेणी के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बन्ध भार (कि.वा.)	
सारणी–6	प्रक्षेपित विशिष्ट खपत (किवाध/किवा./वर्ष) कृषि मीटर श्रेणी के लिए	
सारणी–7	कृषि मीटर श्रेणी के उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या	
सारणी–8	विव 20 के लिए कृषि मीटर उपभोक्ताओं को प्रक्षेपित बिक्री	
सारणी–9	विव 2018–19 के लिए कृषि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को बिक्री	
सारणी–10	कृषि फ्लेट के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बध भार (कि.वा.)	
सारणी–11	कृषि फ्लेट दर श्रेणी में उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या	
सारणी–12	कृषि फ्लेट दर उपभोक्ताओं की अनुमानित बिक्री	
सारणी–13	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अनअन्तिम बिक्री (मि.यू.)	
सारणी–14	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रक्षेपित बिक्री (मि.यू.)	
सारणी–15	वितरण हानि में कमी की योजना (प्रतिशत)	
सारणी–16	वितरण हानियां और वितरण परिधि इंटरफेस पर ऊर्जा की आवश्यकता	
सारणी–17	विव 2018–19 व विव 2019–20 के लिए ऊर्जा संतुलन	
सारणी–18	विव 2019–20 के लिए ऊर्जा की आवश्यकता (मि.यू.)	
सारणी–19	स्त्रोतवार ऊर्जा विव 2018–19 के लिए (मि.यू.)	
सारणी–20	विव 2019–20 के लिए राजस्थान के लिये कुल ऊर्जा उपलब्धता	
सारणी–21	उत्पादन निगम के संयत्रों को छोड़कर वितरण निगमों को उपलब्ध ऊर्जा	
सारणी–22	उत्पादन निगम से वितरण निगम वार उपलब्ध ऊर्जा मि.यू.	
सारणी–23	विव 2019–20 के लिए ऊर्जा संतुलन	
सारणी–24	उत्पादन निगम द्वारा प्रभारित किया गया ट्रेडिंग मार्जिन (करोड़ रू.)	
सारणी–25	विव 2018–19 के लिए ऊर्जा क्रय की लागत(करोड़ रू.)	
सारणी–26	विव 2019–20 के लिए उत्पादन निगम को छोड़कर ऊर्जा क्रय की लागत	
सारणी–27	विव 2019–20 के लिए उत्पादन निगम से ज.वि.वि.नि.लि. द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा की लागत	
सारणी–28	विव 2019–20 के लिए ऊर्जा क्रय की लागत का सारांश	
सारणी–29	विव 2019–20 के लिए डीबीएस टैरिफ	
सारणी–30	विव 2018–19 व 2019–20 के लिए पूँजी निवेश, चालू कार्य और पूँजीकरण (करोड़ रू.)	
सारणी–31	विव 2019–20 के लिए पवस व्यय के प्रति यूनिट सिद्धांत (रू./यूनिट)	
सारणी–32	विव 2018–19 के लिए पवस व्यय	
सारणी–33	विव 2019–20 के लिए पवस व्यय	
सारणी–34	विव 2019–20 के लिए बीमा व्यय	
सारणी–35	विव 2019–20 के लिए सेवान्त लाभ	
सारणी–36	विव 2018–19 के लिए ब्याज प्रभार	
सारणी–37	विव 2019–20 के लिए दीर्धकालीन ऋण, सुरक्षा जमा तथा वित्त प्रभार पर ब्याज (करोड़ रू.)	
सारणी–38	अनिधिबद्व राजस्व अन्तर पर ब्याज (करोड़ रू.)	

सारणी–39	डिस्कॉम वाइज उदय के ब्याज का दायित्व	
सारणी–40	विव 2019–20 के लिए कुल ब्याज तथा वित्त व्यय (करोड़ रू.)	
सारणी–41	विव 2018–19 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज (करोड़ रू.)	
सारणी–42	विव 2019–20 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज (करोड़ रू.)	
सारणी–43	विव 2018–19 और 2019–20 के लिए मूल्यह्रास	
सारणी–44	विव 2019–20 के लिए सामय पर प्रतिफल	
सारणी–45	गैर टैरिफ आय और परिवहन प्रभारों से आय (करोड़ रू.)	
सारणी–46	विव 2018–19 और 2019–20 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता	
सारणी–47	विव 2018–19 के लिए विद्यमान दरों पर विद्युत विक्रय से राजस्व	
सारणी–48	विव 2019–20 के लिए विद्यमान दरों पर विद्युत विक्रय से राजस्व	
सारणी–49	विव 2018–19 और 2019–20 के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायिकी (करोड़ रू.)	
सारणी–50	विव 2018–19 और 2019–20 के लिए विद्यमान दरों पर राजस्व घाटा	
सारणी–51	विव 2019–20 के लिए सघन ऊर्जा उद्योगो की टैरिफ	
सारणी–52	टीओडी टैरिफ अपनाने वाले राज्यों की सूचि	
सारणी–53	विभिन्न राज्यों में उच्चतम और निम्नतम घण्टों का सारांश	
सारणी–54	विव 2019–20 के लिए वृहद् उद्योगों के लिय टीओडी टैरिफ	
सारणी–55	विव 2019–20 के लिए सघन ऊर्जा उद्योगों की टीओडी टैरिफ	
सारणी–56	विभिन्न राज्यों में विद्युत वाहनों की टैरिफ	
सारणी–57	ऐसे उपभोक्ता जिनकी टैरिफ वृद्धि नहीं की गयी है।	
सारणी–58	विव 2019–20 के लिए घरेलू श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–59	विव 2019–20 के लिए अघरेलू श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–60	विव 2019–20 के लिए पीएसएल श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–61	विव 2019–20 के लिए कृषि मीटर श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–62	विव 2019–20 के लिए कृषि फ्लेट रेट श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–63	विव 2019–20 के लिए लघु उद्योग श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–64	विव 2019–20 के लिए मध्यम उद्योग श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–65	विव 2019–20 के लिए मिक्स लोड श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–66	विव 2019–20 के लिए वृहद् उद्योग श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–67	विव 2019–20 के लिए वृहद् उद्योगो के लिये विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ऊर्जा प्रभार	
सारणी–68	विव 2019–20 के लिए सघन ऊर्जा उद्योगो की प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–69	विव 2019–20 के लिए सघन ऊर्जा उद्योगो के लिये विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ऊर्जा प्रभार	
सारणी–70	विव 2019–20 के लिए विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व	
सारणी–71	विव 2019–20 के लिए प्रस्तावित टैरिफ पर राजस्व घाटा	
सारणी–72	विव 2019–20 के लिए विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर विद्यमान और प्रस्तावित टैरिफ	
सारणी–73	क्रोस सब्सिडी ऊर्जा प्रभारों के लिये वितरण एवं प्रसारण हानियां	
सारणी–74	विव 2019–20 के लिए परिवहन और प्रस्तारण लागत	
सारणी–75	विव 2019–20 के लिए विनियामकिये परिसंपत्तियों पर केरिंग कोस्ट	
सारणी–76	विव 2019–20 के लिए क्रोस सब्सिडी प्रभार	
सारणी–77	विव 2019–20 के लिए विद्यमान दरों पर समग्र राजस्व आवश्यकता	
सारणी–78	विव 2019–20 की समग्र राजस्व आवश्यकता में घटायें गये अवयव	

सारणी–79	विव 2019–20 के लिए परिवहन की लागत	
सारणी–80	नैटवर्क की वोल्टेज वाइज लम्बाई (कि.मी.)	
सारणी–81	नैटवर्क ट्रांसफोरमेशन क्षमता (एमवीए में)	
सारणी–82	लाईनो की वोल्टेज वाइज औसत लागत	
सारणी–83	सब स्टेशनों की ट्रांसफोरमेशन औसत लागत	
सारणी–84	नैटवर्क तंत्र की वोल्टेज वाइज लागत (लाख रू. में)	
सारणी–85	विद्युत तंत्र की ट्रांसफोरमेशन क्षमता की लागत (लाख रू. में)	
सारणी–86	विद्युत तंत्र की समग्र लागत (लाख रू. में)	
सारणी–87	स्थाई परिसंपत्तियों की मूल लागत का आनुपातिक बटवारा (लाख रू. में)	
सारणी–88	जयपुर डिस्कॉम की विद्युत विक्रय आनुपातिक बटवारा	
सारणी–89	अजमेर डिस्कॉम की विद्युत विक्रय आनुपातिक बटवारा	
सारणी–90	जोधपुर डिस्कॉम की विद्युत विक्रय आनुपातिक बटवारा	
सारणी–91	विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिवहन लागत का बटवारा	
सारणी–92	नेटवर्क उपयोग के आधार पर आनुपातिक परिवहन लागत	
सारणी–93	डिस्कॉम वाइज प्रस्तावित परिवहन प्रभार (रू./यूनिट)	
सारणी–94	विव 2019–20 के लिए प्रस्तावित परिवहन प्रभार	
सारणी–95	विव 2019–20 के लिए प्रस्तावित हानियां	
सारणी–96	जले हुये ट्रांफोर्मरों का परिवर्तन	

अ 1. 2019–20 के लिए प्रक्षेपण

1.1 विद्युत अधिनियम की धारा 61 राज्य विनियामक आयोग (इस मामले में राविविआ) को टैरिफ के विनिर्धारण की निबन्धन व शर्तें निर्धारित करने के लिए सशक्त करती है तथा निर्धारित करती है कि ऐसा किये जाने में आयोग अन्य बातों के साथ बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों धारा 61(एफ) से नियंत्रित होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में याचिकाकर्ताओं के लिए विनियम विहित करते समय राज्य आयोग केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) द्वारा विहित विनियमों से भी नियंत्रित होगा।

1.2 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राविविआ) ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2019, 27 मई 2019 को विव 2019–20 से विव 2023–24 की चतुर्थ नियंत्रणावधि के लिए अधिसूचित किये। तृतीय नियंत्रणावधि समाप्त होने के बाद 1 अप्रेल, 2019 से विव 2019–20 से विव 2023–24 तक की चतुर्थ बहुवर्षीय नियंत्रणावधि शुरू हुयी।

1.3 राविविआ टैरिफ विनियम 2019 का विनियम 11 (1) निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता समग्र राजस्व आवश्यकता के पूर्वानुमान, विद्यमान टैरिफ से प्रत्याशित राजस्व तथा नियंत्रणावधि के आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित टैरिफ, प्रयोज्य शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगा।

1.4 याचिका कर्ता ने 2019–20 के लिए वाराआ के प्रक्षेपणों के लिए यथासम्भव राविविआ टैरिफ विनियम, 2019 के अनुसार प्रतिमानों की पालना करने का प्रयास किया है। याचिका कर्ता ने बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रणावधि के विव 2019–20 के प्रक्षेपणों के लिये समग्र राजस्व आवश्यकता तैयार किये जाने में विव 2018–19 (एन–1 वर्ष) के अस्थाई लेखो तथा विधुत विक्रय की विद्युत क्रय और विद्युत विक्रय की वाणिज्यिक सूचना को उपयोग किया है जिसे इस आवेदन के पश्चात्वर्ती भागों में सारांशित किया गया है।

अ 2. 2019–20 के लिए ऊर्जा विक्रय तथा आवश्यकता

2.1 याचिकाकर्ता ने नियंत्रणावधि के विव 2019–20 में ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपण हेतु राविविआ टैरिफ विनियम 2019 के उपाबन्ध 74 में यथाविहित अनुच्छेद के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या, सम्बद्ध भार तथा ऊर्जा विक्रय में विगत संवृद्धि का उपयोग किया है। वर्ष 2018–19 के लिये पूरे वर्ष की श्रेणीवार विद्युत विक्रय को विचारार्थ रखा है।

2.2 याचिकाकर्ता ने आयोग द्वारा पिछले टैरिफ आदेशों में अनुमोदित कार्यप्रणाली का उपयोग किया है। विक्रय का प्रक्षेपण करते समय विभिन्न ग्राहक श्रेणी के ऊर्जा विक्रय को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों को भी ध्यान में रखा है।

2.3 पूर्वीवर्ती आंकडों के आधार पर याचिकाकर्ता ने विगत 3, 5, तथा 7 वर्षो की सीएजीआर के अनुसार श्रेणीवार गणना की है। श्रेणीवार सीएजीआर को वित्तीय वर्ष 2019–20 के ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपण में उपयोग में लिया गया है।

2.4 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि याचिकाकर्ता के अनुभव व नवीनतम उपलब्ध आंकडों के आधार पर बिक्री में वृद्धि की प्रवृति का यह सबसे उचित अनुमानक है। इसके अतिरिक्त निवेदन है कि जहां भी यह अनुमानक प्रवृति अनुचित या अस्थिर लगी है, वृद्धि के कारकों को उचित व और अधिक यथार्थवादी अनुमानों को आधार बनाया गया है।

2.5 तथापि निम्न घटनाऐं याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर है जिन पर विक्रय पूर्वानुमानों की भविष्य में समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में राजस्व आवश्यकता को तद्नुसार समायोजित किया जा सकता है :

(अ) उपभोक्ताओं का खुले अभिगमन में चले जाने के कारण औद्योगिक विक्रय पूर्वानुमानों में किसी परिवर्तन (धनात्मक या ऋणात्मक) का संधात या आर्थिक मन्दी के कारण उपभोग में गिरावट,

(ब) नियंत्रणावधि के किसी भी वर्ष के लिए याचिकाकर्ता द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घण्टों के पूर्वानुमानों में लिये गये स्तर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र को वास्तविक निवेश (इनपुट) में वृद्धि,

(स) वर्ष 2018–19 में सौभाग्य स्कीम के अन्तर्गत घरेलु कनेक्शनों में वृद्धि।

(द) सार्वजनिक पथ प्रकाश में ऊर्जा दक्षता के प्रयासो का ऊर्जा उपभोग पर असर।

(इ) बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार के अभिवचनानुसार कृषि कनेक्शनों वृद्धि।

2.6 ऊर्जा विक्रय में अन्तर, विद्युत क्रय लागत तथा वार्षिक राजस्व आवश्यकता मे परितर्वन लायेगा तथा डिस्कॉमों की लाभदायिता को प्रभावित करेगा। इसलिए याचिकाकर्ता अपना प्रकरण निष्पादन की वार्षिक समीक्षा/ट्रूअप के समय ऐसे समग्र अन्तर को समायोजित करने के उपायों के साथ प्रस्तुत करने का निवेदन करता है।

विगत वर्षों का ऊर्जा विक्रय

2.7 निम्नलिखित सारणी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विगत वर्षों के दौरान वास्तविक विक्रय ऊर्जा को सारांशित करती है–

सारणी 1: ऊर्जा विक्रय में विगत प्रवृति (मिलियन इकाइयां)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 11	विव 12	विव 13	विव 14	विव 15	विव 16	विव 17	विव 18
घरेलू	3,032	2,839	3,491	3,761	4,068	4,418	4,803	5,172
अघरेलू	996	1,085	1,550	1,573	1,805	1,966	2,130	2,262
सार्वजनिक पथ प्रकाश	92	103	129	143	168	175	188	175
कृषि (मी.)	3,288	3,901	5,135	4,258	4,715	5,238	5,664	6,667
कृषि (फ्लेट)	1,011	723	724	581	530	517	468	364
लघु उद्योग	279	246	277	274	335	301	315	289
मध्यम उद्योग	619	582	664	722	770	735	727	767
वृहद उद्योग	3,520	3,520	3,721	3,482	4,294	3,775	3,939	5,369
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	222	200	199	195	218	229	241	302
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	26	24	27	32	37	41	41	37
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	107	132	189	200	218	259	304	331
मिश्रिम भार प्रपुंजापूर्ति	430	322	171	161	191	172	209	192
विद्युत कर्षण	330	339	404	404	146	25	216	51
योग	**13,951**	**14,015**	**16,682**	**15,784**	**17,494**	**17,852**	**19,244**	**21,978**

वर्ष 2017–18 की विधुत विक्रय जयपुर डिस्कॉम के अंतिम उपभोक्ता और डी.एफ. उपभोक्ताओ को सम्मिलित करते हुये, के स्तर पर हैं।

2.8 फ्लेट रेट कृषि श्रेणी, पी एस एल और लघु उधोगो को छोड़कर सभी उपभोक्ता श्रेणियो ने ऊर्जा विक्रय में संवृद्धि दर्शायी है। इन श्रेणीयों में कमी की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणो से हैं।

(अ) कृषि फ्लेट रेट : उपभोक्ताओं के मीटरित श्रेणी में परिवर्तन के कारण ।

(ब) पीएसएल श्रेणी : एल.ई.डी. की अधिष्ठापना के कारण ऊर्जा दक्षता में वृद्धि।

(स) लघु औद्योगिक श्रेणी : उपभोक्ताओं के मध्य औद्योगिक श्रेणी में स्थानान्तरण के कारण।

2.9 घरेलू, कृषि मीटरित, और वृहद् औद्योगिक श्रेणी में ऊर्जा विक्रय में वृद्धि निम्नलिखित कारणो से है।

(अ) याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू कनेक्शनों के लिए लम्बित सभी आवेदकों को सौभाग्य स्कीम के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता में सुधार का नीतिगत निर्णय।

(ब) अतिरिक्त कनेक्शन दिये जाने तथा जल स्तर के नीचे चले जाने से विद्यमान उपभोक्ताओं के उपभोग में वृद्धि के कारण कृषि (मीटरित) श्रेणी में विद्युत विक्रय में वृद्धि हुई हैं।

(स) इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओ के खुले अभिगमन से डिस्कॉम में आने के कारण उद्योगो की बिजली खपत में भी बढोतरी हुई है।

2.10 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि उपभोक्ता श्रेणियों को विक्रय, उपभोक्ताओं में वृद्धि, आपूर्ति घण्टों में वृद्धि तथा नीतिगत पहलों के कारण औद्योगिक पुनरूद्धार जैसे विभिन्न विषयेतर परिवर्तनशीलता पर निर्भर रहा है। इसलिए 2019–20 के लिए विक्रय के प्रक्षेपण, ऊर्जा विक्रय की हाल की प्रवृति तथा अन्तरों, जो भविष्य में ऊर्जा विक्रय को प्रभावित करने जा रहे हैं, को ध्यान में रखते हुये प्रक्षेपित किये गये हैं।

कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण

विव 2019–20 के लिए विक्रय का प्रक्षेपण

2.11 विव 2019–20 के लिए ऊर्जा विक्रय ऐतिहासिक विक्रय डैटा के आधार पर माननीय आयोग द्वारा पिछले वर्षों के टैरिफ आदेशों में अनुमोदित कार्यविधि के

अनुसार श्रेणीवार सीएजीआर का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित किये हैं। विक्रय के प्राक्कलन के समय, कृषि श्रेणी को छोड़कर, सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विगत प्रवृतियां उपयोग में लाई गयी हैं। जहां पर भी प्रवृति अनुचित पाई गई है वहां पूर्वानुमानों को उचित रूप से समायोजित किया गया है।

2.12 पिछले वर्षों में घरेलू श्रेणी में उपभोक्ताओं को ऊर्जा विक्रय में वृद्धि की प्रवृति दर्शायी है। विक्रय में वृद्धि व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रागांग्राविियो के अन्तर्गत सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप आर.जी.जी.वी.वाई (जो कि डी.डी.यू.जी. जे.वाई में मिला दी गयी है) स्कीम के कारण उपभोक्ता में वृद्धि तथा जीवनस्तर में वृद्धि के कारण विद्यमान उपभोक्ताओं के विशिष्ट उपभोग में वृद्वि को आरोप्य है। याचिकाकर्ता को विक्रय की संवृद्धि में यही प्रवृति भविष्य में बने रहने की प्रत्याशा है।

2.13 यहां यह उल्लेख करना समयाधीन है कि अविधुतिकृत घरों के विधुतिकरण के फलस्वरूप, राज्य में उपभोक्ता मिश्रण में परिवर्तन और साथ ही राज्य सहायिकी वाले उपभोक्ताओं में वृद्धि होगी। याचिकाकर्ता की वित्तिय स्थिति में उपभोक्ता मिश्रण महत्वपूर्ण निर्धारक है और अनुदानित श्रेणी के उपभोक्ताओं में वृद्धि के साथ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन श्रेणियों के लिए टैरिफ, आपूर्ति की औसत लागत के करीब रखी जाए और क्रॉस सब्सिडी के अंतर को कम किया जावे।

2.14 विगत पॉच वर्षों ने अघरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय में वृद्धि की प्रवृति दर्शायी है। इस श्रेणी में पिछले कुछ वर्षों में विक्रय में द्रुतगामी संवृद्धि हुयी है, जो द्रुतगामी शहरीकरण तथा हाल के विगत मे वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि को आरोप्य है। याचिकाकर्ता भविष्य में संवृद्धि की इस प्रवृति के जारी रहने की प्रत्याशा करता है।

2.15 याचिका कर्ता निवेदन करता है की मध्यम और वृहद् औद्योगिका श्रेणीयो में हाल ही में विद्युत विक्रय में वृद्धि हुई है।

2.16 विगत वर्षों (2015–16) में औद्योगिक उपभोक्ताओ द्वारा खुली पहुॅच के माध्यम से विद्युत क्रय में वृद्वि के कारण औधोगिक ऊर्जा विक्रय की वृद्वि में कमी हुई थी। परन्तु वर्ष 2017–18 से यह प्रवृति बदलती हुई दिख रही है क्योकि एचटी उपभोक्ता विधुत क्रय करने के लिये डिस्कॉम में वापस आ रहें हैं। याचिकाकर्ता ने इस परिवर्तित परिदृश्य को देखते हुए ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत विक्रय का प्राक्कलन किया है।

2.17 एक विशिष्ट श्रेणी "सघन ऊर्जा उद्योग" के नाम से ये वे उद्योग है जिनकी प्राथमिक लागत "विद्युत" ही है जैसे की कपड़ा मिल, इंडक्शन फरनेस जिसमें माईल्ड स्टील स्क्रेप उपयोग में आता हो और माईल्ड री–रोलिंग मिल्स, क्लोरो एल्क्लाइन इकाईया, रेल्वे ट्रैक्शन इत्यादि। ये उपभोक्ता वृहद् श्रेणी में सम्मिलित थे लेकिन वर्ष 2019–20 के प्रक्षेपणों के लिये इस श्रेणी की विद्युत विक्रय का प्रक्षेपण अलग से किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2019–20 के लिये वहद् श्रेणी की विद्युत विक्रय तद्नुसार कम हो गयी है।

2.18 सार्वजनिक जलदाय श्रेणियों के लिए ऊर्जा विक्रय आंकड़े विगत प्रवृति के आधार पर प्राक्कलित किये गये हैं। पूर्व में सार्वजनिक जल प्रदाय श्रेणी के उपभोग में मौलिक वृद्धि हुई है। सभी विद्युत सम्बन्ध मीटरित है और अभी कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नही है। यद्यपि सार्वजनिक जलदाय प्रदाय (मध्यम) से सार्वजनिक जलदाय प्रदाय (वृहद्) में स्थानान्तरण हुए है। इसलिए इस श्रेणी में ऊर्जा विक्रय को उचित समायोजित किया गया है।

2.19 मिश्रित भार/प्रपुंजापूर्ति श्रेणी के मामले में, पिछले वर्षों में ह्रासवान प्रवृति देखी गयी है जो कि कुछ उपभोक्ता समूहो के स्थानान्तरण के कारण है जैसे की मोबाइल टॉवर उपभोक्ता और निजी संस्थाओं के अघरेलू तथा अन्य श्रेणी में परिवर्तन को अधिरोपित की जा सकती है। ऐसे उपभोक्तओं के स्थानान्तरण के कारण विद्युत विक्रय में पूर्व वर्षों की तुलना में मामूली वृद्धि देखी गयी है। याचिकाकर्ता भविष्य में संवृद्धि की इस प्रवृति के जारी रहने की प्रत्याशा करता है।

2.20 रेल्वे को विद्युत क्रय करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी का दर्जा दिया गया है और इसने याचिकाकर्ता के बजाय दूसरे स्रोतो से विद्युत क्रय करना शुरू कर दिया है। इसीलिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की श्रेणी के लिए कोई विद्युत विक्रय का प्रक्षेपण नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने रेल्वे ट्रेक्शन को सघन ऊर्जा उद्योग में सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया है

2.21 **विव 2018–19 के लिये अनअंतिम विद्युत विक्रय** (कृषि को छोड़कर) **को** नीचे सारणी में सारांशित किया गया हैः

सारणी 02: विव 2018–19 के लिये अनअंतिम विद्युत विक्रय (मि.यू.) (कृषि को छोड़कर)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2018–19
घरेलू	4,881
अघरेलू	2,163
सार्वजनिक पथ प्रकाश	137
लघु उद्योग	307
मध्यम उद्योग	761
वृहद उद्योग	6,394
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	301
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	28
सार्वजनिक जलदाय (वृहद्)	269
मिश्रित भार/प्रपुंजापूर्ति	160
डी.एफ.	1,580
योग	**16,983**

2.22 वर्ष 2019–20 के लिये (कृषि को छोड़कर) प्रक्षेपित विद्युत विक्रय निम्न सारणी में उपलब्ध करवाया गया है।

सारणी 03: विव 2019–20 के लिये प्रक्षेपित विद्युत विक्रय (मि.यू.)
(कृषि को छोड़कर)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2019–20 (मि.यू.)
घरेलू	5,646
अघरेलू	2,541
सार्वजनिक पथ प्रकाश	174
लघु उद्योग	337
मध्यम उद्योग	857
वृहद उद्योग	5,736
सघन ऊर्जा उद्योग	1,587
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	306
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	31
सार्वजनिक जलदाय (वृहद्)	327
मिश्रित भार/प्रपुंजापूर्ति	191
योग	**17,733**

कृषि उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विक्रय प्रक्षेपण
कृषि मीटरित श्रेणी

2.23 विर्ष 2018–19 के लिये कृषि मीटरित श्रेणी के लिए विद्युत विक्रय निम्न प्रकार है।

सारणी 04: विव 2018–19 के लिये कृषि मीटरित श्रेणी के लिए विद्युत विक्रय

वर्ष	विद्युत विक्रय (मि.यू.)
विर्ष 2018–19	6,732

2.24 विर्ष 2019–20 के लिये कृषि मीटरित श्रेणी के लिए ऊर्जा विक्रय निम्नलिखित घटकों के आधार पर प्राक्कलित किये गये है :–

(क) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में विद्यमान उपभोक्ता,
(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं में परिवर्धन,
(ग) ''कृषि फ्लेट'' से ''कृषि मीटरित'' श्रेणी में रूपान्तरित उपभोक्ता,
(ध) प्रति उपभोक्ता सम्बद्धभार,
(ड.) प्राक्कलित विशिष्ट ऊर्जा उपभोग,

कृषि उपभोग त्र उपभोक्ताओं की संख्या ग प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार ग विशिष्ट उपभोग

2.25 प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार, पिछले वित्तीय वर्ष के वास्तविक सम्बद्ध भार के आधार पर अनुमानित किया गया है और वर्ष 2019–20 के लिये भी इसी सम्बद्ध भार को माना

गया हैं।

2.26 वर्ष 2019–20 के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी 05: कृषि मीटरिंत प्रति उपभोक्ता का सम्बद्ध भार (कि.वा) का प्रक्षेपण

विशिष्टियां	प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार
विव 2019–20	7.53

2.27 कृषि मीटर्ड उपभोक्ताओ का विशिष्ट उपभोग पिछले वर्ष के वास्तविक विशिष्ट उपभोग के समतुल्य लिया है जो कि निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है।

सारणी 06: कृषि मीटर श्रेणी के लिए प्रक्षेपित प्रति वर्ष विशिष्ट उपभोग (कि.वा.घ./कि.वा./वार्षिक)

वर्ष	विशिष्ट उपभोग
विव 2019–20	1786.09

2.28 निम्नलिखित सारणी में विव 2019–20 के लिए, कृषि मीटरित श्रेणी को ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपणार्थ माने गये उपभोक्ताओं की संख्या को सारांशित करती है:

सारणी 07: कृषि मीटर श्रेणी के अनुमानित उपभोक्ता संख्या

वर्ष	प्रारम्भिक उपभोक्ता संख्या	वर्ष में सम्मलित नये उपभोक्ता संख्या	फ्लेट रेट से मीटर में स्थानान्तरित संख्या	कुल उपभोक्ता संख्या
विव 2019–20	501,139	20,000	4,000	525,139

2.29 उपरोक्तानुसार विव 2019–20 हेतु कृषि मीटर प्रणाली हेतु विद्युत विक्रय का प्राकलन निम्नानुसार सारणी में प्रदेर्शित है :

सारणी 08: कृषि मीटर श्रेणी का प्रक्षेपित उपभोग (मिलियन इकाई)

विशिष्टियां	विव 2019–20
ऊर्जा विक्रय (मि. इकाई)	7,064

कृषि फ्लेट (अमीटरित श्रेणी)

2.30 वर्ष 2018–19 के लिये कृषि फ्लेट (अमीटरित श्रेणी) की विद्युत विक्रय निम्न प्रकार हैं।

सारणी 09: वर्ष 2018–19 के लिये कृषि अमीटरित श्रेणी के लिये विद्युत विक्रय (मि.यू.)

वर्ष	विक्रय (मि.यू.)

वर्ष 2018–19	1,287

2.31 कृषि फ्लेट रेट श्रेणी के लिए ऊर्जा विक्रय, निम्नलिखित घटकों के आधार पर प्राक्कलित किया गया है –

(अ) वित्तीय वर्ष की शुरूआत में विद्यमान उपभोक्ता,

(ब) 'कृषि फ्लेट' से 'कृषि मीटरित' श्रेणी में परिवर्तित उपभोक्ता,

(स) प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार

(द) अनुमोदित विशिष्ट ऊर्जा उपभोग

कृषि उपभोग त्र उपभोक्ताओं की संख्या ₹ प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार ₹ विशिष्ट उपभोग

2.32 प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार, पिछले वर्षों में प्रेक्षित की गयी प्रवृति तथा जल स्तर में कमी के कारण प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार में संभावित संवृद्धि के आधार पर पूर्वानुमानित किया गया है। कृषि फ्लेट रेट (अमीटरित) उपभोक्ताओं के लिए विव 2018–19 व 2019–20 के लिए प्रति उपभोक्ता सम्बद्ध भार के प्राक्कलन के लिए सामान्य वृद्वि ली गई है तथा उसे नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी 10: कृषि फ्लेट रेट के लिए प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित सम्बद्ध भार (किवा)

वर्ष	सम्बद्ध भार/उपभोक्ता
विव 2019–20	7.63

2.33 याचिकाकर्ता यह भी निवेदन करता है कि माननीय आयोग ने विगत टैरिफ आदेशों में फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट ऊर्जा उपभोग 1945 किवाध/किवा/वर्ष अनुमोदित किया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग द्वारा यथानुमोदित उसी विशिष्ट उपभोग 1945/किवाध/किवा/वर्ष को अपनाया है।

2.34 निम्नलिखित सारणी विव 2018–19 तथा विव 2019–20 में कृषि अमीटरित श्रेणी के ऊर्जा विक्रय के प्रक्षेपणार्थ माने गये उपभोक्ता परिवर्धन तथा विशिष्ट उपभोग को सारांशित करती है :

सारणी 11: कृषि फ्लेट रेट श्रेणी में प्रक्षेपित उपभोक्ता की संख्या

वर्ष	प्रारम्भिक उपभोक्ता	फ्लेट से मीटरित में रूपान्तरण	अन्तिम शेष
विव 2019–20	19,661	4,000	15,961

2.35 यहां भी यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि फ्लेट दर से मीटर श्रेणी में परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है और वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ता ने ऐसे उपभोक्ताओं की कृषि फ्लेट दर श्रेणी के अंतर्गत बिक्री गणना करने हेतु वर्ष का

औसत उपभोग अनुमानित किया है।

2.33 विव 2019–20 के लिए 'कृषि फ्लेट रेट' श्रेणी के अन्तर्गत प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय नीचे सारणी में सारांशित है –

सारणी 12: कृषि फ्लेट रेट उपभोग का प्रक्षेपण

विशिष्टियां	विव 2019–20
ऊर्जा विक्रय (मि. इकाई)	236.90

विव 2019–20 के लिए ऊर्जा विक्रय प्राक्कलन :–

2.37 विव 2018–19 के लिये अनअंतिम ऊर्जा विक्रय नीचे सारणी में सारांशित है:–

सारणी 13: विव 2018–19 के लिए अनअंतिम ऊर्जा विक्रय (मि.यू.)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2018–19(मि.यू.)
घरेलू	4,881
अघरेलू	2,163
सार्वजनिक पथ प्रकाश	137
कृषि (मी.)	6,732
कृषि (फ्लेट)	330
लघु उद्योग	307
मध्यम उद्योग	761
वृहद उद्योग	6,394
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	301
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	28
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	269
मिश्रिम भार प्रपुंजापूर्ति	160
डी.एफ.	1,580
योग	**24,045**

2.38 उपरोक्त भागों में उपलब्ध करवायी गयी कार्यवधि के आधार पर वर्ष 2019–20 की प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय और वर्ष 2018–19 की अनअंतिम ऊर्जा विक्रय को निम्न सारणी में सारांशित किया

गया हैं।

2.39 यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि विद्युत विक्रय का प्रक्षेपण सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये किया गया है जिसमें की ऐसे क्षेत्र भी सम्मिलित है जो कि वितरण फ्रेन्चाईज़ी को दे दिये गये है अथवा देने के लिये विचाराधीन हैं।

सारणी 14: विव 2019–20 के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.यू.)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2019–20(मि.यू.)
घरेलू	5,646
अघरेलू	2,541
सार्वजनिक पथ प्रकाश	174
कृषि (मी.)	7,064
कृषि (फ्लेट)	237
लघु उद्योग	337
मध्यम उद्योग	857
वृहद उद्योग	5,736
सघन ऊर्जा उद्योग	1,587
सार्वजनिक जलदाय (लधु)	306
सार्वजनिक जलदाय (मध्यम)	31
सार्वजनिक जलदाय (वृहत)	327
मिश्रिम भार प्रपुंजापूर्ति	191
योग	**25,032**

वित वर्ष 2019–20 की अवधि के लिए वितरण हानि :–

2.40 विव 2017–18 के अन्त में याचिकाकर्ता की वास्तविक वितरण हानि 21.09 प्रतिशत रही।

2.41 राज्य ऊर्जा क्षेत्र को स्वावलम्बी बनाने में वितरण हानियों को कम करने के महत्व से याचिकाकर्ता भलिभाति विज्ञ है इस प्रयोजन हेतु याचिकाकर्ता पहले से ही विभिन्न कदम उठाकर मौजुदा नुकसान के स्तर को नीचे लाने के प्रयास कर रहा है। वितरण हानियों में कमी याचिकाकर्ता द्वारा इस दिशा में किये गये कार्यो का संकेत हैं।

2.42 याचिकाकर्ता पिछले वर्षो से जारी वितरण हानियों को कम करने के प्रयासो को सूचना तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग के साथ जारी रखने की मंशा रखता है। सूचना तकनीक सामाजिक आर्थिक तंत्र का आधार हैं। सूचना तकनीक एक क्षमतावान विधुत तंत्र ढांचा, भविष्य के स्मार्ट ग्रिड के लिये तकनीकी डिजाईन उपलब्ध करवाता है और व्यवसायिक व व्यवहार सम्बन्धित मुद्दो को हल करने में सहायता करती है। सूचना तकनीक के क्रियान्वयन के साथ ही वाणिज्यक प्रक्रिया में सुधार सुनिश्चित करने के लिये व्यवसायिक प्रक्रियो को भी पुनःसंरचित किया गया है। यह सब परिवर्तन करते समय उपभोक्ता के संतुष्टीकरण को ध्यान में रखा गया है। विभिन्न योजनाओ में किये गये निवेश से वितरण हानियो में और कमी अपेक्षित है।

2. इन कदमों में उच्च एटीएंडसी घाटे वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सीमित करना, कार्य की निगरानी और प्रबंधन प्रणाली, 100 प्रतिशत फीडर और डीटी मीटरिंग, उच्च मूल्य वाले उपभोक्ताओं के एएमआर मीटरिंग, ऊर्जा ऑडिट और फीडर स्तर पर लेखांकन, फीडर पृथक्कीकरण इत्यादि है। हानि घटाने के लिए खंड/वृत/जोनल स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए गए है और सम्बंधित अधिकारियों को हानि में कमी के लिए जिम्मेवार बनाया गया है। कर्मचारियो को प्रोत्साहित करने के लिए निगम ने ऐसे कर्मचारियें को प्रोत्साहित किया है जिन्होने चिन्हित क्षेत्रों में वितरण हानियां कम करने के लिए लगातार कार्य किया है और पर्याप्त वितरण हानियां कम की हैं। इसके साथ ही अधिक से अधिक परिणामो के लिये सघन सतर्कता अभियान भी चलाया गया हैं। सतर्कता कार्यवाहीयों को प्रभावी रूप से करने के लिये कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्तओं की जिम्मेदारियों को पुनर्परिभाषित किया गया हैं। कनिष्ठ और सहायक अभियन्ताओं को नियमित चैकिंग, चोरी पकड़ना और सतर्कता कार्यवाही प्रभावी रूप से करने और वीसीआर को निर्णयक स्थिति में लाने के लिये जिम्मेदार बनाया गया हैं जबकि अधिशाषी अभियन्तओं को औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुसार सतर्कता कार्यवाही करने के लिये जिम्मेदार बनाया गया हैं। इसके अतिरिक्त वितरण हानियों को कम करने के लिये पूँजीगत निवेश भी किया जा रहा है।

2.44 याचिका कर्ता का इरादा इस सम्बन्ध में बनाई गयी नितियां और अपनायें गये विभिन्न उपायों से प्रमाणित है। जैसा की पिछली याचिका में बताया गया है कि फीडर इन्चार्ज की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से डिस्कॉम के कर्मचारियों में अतिरिक्त जिम्मेदारी की भावना का अहसास होता है। फीडर इन्चार्ज विभिन्न गतिविधियों के लिये जिम्मेदार है जिसमें बिजली नहीं होने की शिकायतों को हल करना, नये कनेक्शनो की प्रार्थना, मीटर परिवर्तन के प्रार्थना पत्र, मीटर रीडिंग, बिलों का वितरण, तकनीकी और सतर्कता गतिविधियों में सहायता इत्यादि समिलित हैं।

2.45 डिस्कॉम की क्षमता को विकसित करने के लिये सूचना तकनीक एक महत्वपूर्ण सहायक है, इसको विचार में रखतें हुये बड़ी संख्या में सूचना तकनीक के प्रयासो की योजना बनायी गयी है जो डिस्कॉम को इसके लक्ष्यों में और सहायता करेगी। डिस्कॉम के वर्तमान विधुत तंत्र में सूचना तकनीक को मिलाने से मानवीय हतकक्षेप कम होगा, अच्छा लेखांकन, विकसित क्रियात्मक क्षमता इत्यादि होंगे।

2.46 क्रियात्मक क्षमता को प्राप्त करने और आमूल चूल सुधार करने के लिये दूसरे उपाय जैसे वितरण हानियों पर आधारित लोड मैनेजमेन्ट, बड़े उपभोक्ताओं के लिए एएमआर मीटरिंग, फीडरों का पृथक्कीकरण, इत्यादि भी प्रारंभ किये गये हैं। याचिकाकर्ता विधुत की गुणवता सुधारने के लिये वचनवद्ध है। उपभोक्ताओ की शिकायतो जैसे विधुत ट्रिपिंग की समस्या को हल करने के लिये त्वरित और शीघ्र कदम उठाये जाते है। क्षेत्र की टीम को उपभोक्ता की शिकायतो को शीघ्रता से हल करने के लिये निर्देश दिये गये हैं।

2.47 याचिकाकर्ता हानि में कमी के लिए वचनबद्ध है और इसलिए उपर वर्णित हर गतिविधि के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए है। इन गतिविधियों को उच्चतम स्तर पर पहचाना जाता है और ये डिस्कॉम, केन्द्रीय मंत्रालय और राजस्थान सरकार के मध्य उदय योजना के तहत हस्ताक्षर किए गए लेंडमार्क त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का भाग है। उदय स्कीम के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यो की प्राप्ति निगम द्वारा लगातार प्रयासो से ही सम्भव हुई हैं।

2.48 मुख्य मंत्री विद्युत सुधार अभियान एक ऐसी स्कीम थी जिसमें बहुउद्देशीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

- 24*7 निर्बाधित और गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ता सेवाओं में सुधार।
- विद्युत सम्बन्धित सुरक्षा में वृद्धि।
- वितरण हानियों में कमी।

2.49 वर्ष 2018–19 के लिये अनअंतिम वितरण हानिया और 2019–20 के लिये प्रक्षेपित वितरण हानियो का स्तर निम्न प्रकार विचारार्थ है।

सारणी 15 : वितरण हानियों में कमी की योजना (प्रतिशत)

विशिष्टियां	विव 2018–19	विव 2019–20
वितरण हानियां (प्रतिशत)	20.54%	16.00%

विव 2019–20 के लिए ऊर्जा आवश्यकता

2.50 याचिकाकर्ता ने विव 2018–19 तथा विव 2019–20 के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय तथा वितरण हानियों के आधार पर ऊर्जा आवश्यकता वितरण निगम के अन्तरापृष्ठ पर प्राक्कलित की हैं।

2.51 याचिकाकर्ता ने विव 2018–19 तथा विव 2019–20 के लिए ऊर्जा आवश्यकता निम्न सारणी में दिखाई गयी हैं।

सारणी 16: डिस्कॉम के अन्तरापृष्ठ पर वितरण हानियां और ऊर्जा आवश्यकता :

विशिष्टियां	विव 2018–19	विव 2019–20
उपभोक्ताओं को कुल ऊर्जा विक्रय (मि.ई.)	24,045	25,032
वितरण हानि प्रतिशत	20.54%	16.00%
विनि अन्तरापृष्ठ बिन्दु पर डिस्कॉम की कुल ऊर्जा आवश्यकता (मि.ई.)	**30,260**	**29,800**

अ 3: विव 2019–20 के लिए विद्युत क्रय मात्रा तथा लागत

ऊर्जा उपलब्धता तथा ऊर्जा संतुलन :

वर्ष 2019–20 के लिये ऊर्जा संतुलन :–

3.1 वर्ष 2018–19 के लिये अनअंतिम लेखों पर आधारित ऊर्जा संतुलन निम्न सारणी में सारांशित किया गया है।

सारणी 17: वर्ष 2018–19 के लिये ऊर्जा संतुलन :

विशिष्टियां	विव 2018–19
प्राक्कलित ऊर्जा विक्रय विक्रय	24,044.99
वितरण हानियां (प्रतिशत)	20.54%
वितरण हानियां (मि.यू.)	6,214.53
डिस्कॉम के अन्तराप्रष्ठ पर ऊर्जा आवश्यकता	30,259.52
प्रसारण हानियां (प्रतिशत)	6.25%
राज्य के बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता	2,016.57
निवल ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	32,276.09
पावर एक्सचेंज के माध्यम से ऊर्जा विक्रय	955.65
ऊर्जा क्रय (मि.यू.)	33,231.74

3.2 वर्ष 2019–20 के लिये ज.वि.वि.नि.लि. का ऊर्जा संतुलन, ऊर्जा विक्रय, प्रसारण और वितरण हानियों के आधार पर निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 18: वर्ष 2019–20 के लिये ऊर्जा संतुलन

विशिष्टियां	विव 2019–20

प्राक्कलित ऊर्जा विक्रय विक्रय	25,032
वितरण हानियां (प्रतिशत)	16.00%
वितरण हानियां (मि.यू.)	**4,768**
डिस्कॉम के अन्तराप्रष्ठ पर ऊर्जा आवश्यकता	29,800
राज्यान्तिरिक प्रसारण हानियां (प्रतिशत)	4.25%
राज्यान्तिरिक प्रसारण हानियां (मि.यू.)	1,323
राज्य की परिधी पर ऊर्जा की आवश्यकता	31,123
राज्य के स्त्रोतों से उपलब्ध ऊर्जा	21,210
राज्य के बाहर से खरीदी जाने वाली ऊर्जा	9,913
अंतर्राज्यीय प्रसारण हानियां (प्रतिशत)	3.15%
अंतर्राज्यीय प्रसारण हानियां (मि.यू.)	322
निवल ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	**31,445**

3.3 यहाँ यह उल्लेखनीय है की राजस्थान के तीनों वितरण निगमों के लिए ऊर्जा क्रय आरपीपीसी द्वारा किया जाता था जो कि वर्ष 2004 में प्रसारण निगम से इस कार्य को ग्रहण करके स्थापित किया गया था जिसको कि वर्ष 2009 में पुनः आरडीपीपीसी नाम दिया गया।

3.4 यद्यपि यह व्यवस्था उसी समय तक रखने थी जबतक की ऊर्जा क्रय के लिये एक स्थाई व्यवस्था नहीं हो जाये। वितरण निगमो के अध्यक्ष अधीन निदेशक समिति ने मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी और गुजरात ऊर्जा विकास निगम की तर्ज पर एक अलग कम्पनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। अगस्त 2015 में राज्य सरकार ने कम्पनी स्थापित करने का निर्णय किया।

3.5 राज्य सरकार के निर्णय की पालना में कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत 4 दिसम्बर 2015 को राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कि गयी कम्पनी आदेश दिनांक 22.03.2016 के द्वारा 01.04.2016 से अस्तित्व में आई और आरडीपीपीसी के कार्य को ग्रहण किया।

3.6 कम्पनी के लक्ष्य थोक मात्रा में विद्युत क्रय, विक्रय और विद्युत से सम्बन्धित कार्य, अधिकार, वित्तीय क्षमता और लद्यु, मध्यम और दीर्घावधि के आधार पर ऊर्जा की उपलब्धता को ऊर्जा अनुबन्धो के तहत सुनिश्चित करना।

3.7 वर्तमान में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ऊर्जा क्रय, ऊर्जा का सिड्यूल और अधिशेष ऊर्जा की

ट्रेडिंग के लिये पूरी तरह कार्यरत है यद्यपि एक निर्भादित संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिये राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, उत्पादन निगम और प्रसारण निगम को छोड़कर सभी ऊर्जा क्रय अनुबंधों और प्रसारण सेवा अनुबंधों की व्यवस्था करेगा।

3.8 इसलिये सभी तीनो वितरण कम्पनीयों के लिये ऊर्जा क्रय अधिकतर विद्युत संयत्रों से संयुक्त रूप से किया जाता है जो कि निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 19: वर्ष 2019–20 के लिये ऊर्जा क्रय की आवश्यकता

क्र.सं.	विशिष्टियां	विव 2019–20
1	ज.वि.वि.नि.लि.	31,445
2	अ.वि.वि.नि.लि.	22,018
3	जो.वि.वि.नि.लि.	26,830
4	**तीनो वितरण निगमों के लिये कुल ऊर्जा आवश्यकता**	**80,294**

ऊर्जा उपलब्धता

3.9 वर्ष 2019–20 की ऊर्जा उपलब्ध का प्रक्षेपण वर्तमान विद्युत संयत्रो से प्राकल्लित उत्पादन और नये विद्युत संयत्रों के प्रक्षेपण के आधार पर किया गया है। वर्तमान विद्युत संयत्रों के लिये याचिकाकर्ता का निवेदन है कि ऊर्जा क्रय की मात्रा का प्राकल्लन पिछले वर्षो में प्राप्त ऊर्जा के आधार पर किया गया हैं। याचिकाकर्ता ने वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य का विश्लेषण किया है और तद्नुसार ऊर्जा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ऊर्जा क्रय का प्रक्षेपण किया गया है और कुछ विद्युत संयत्रों को मैरिट के सिद्धांतो के आधार पर बैक डाउन करवाया गया हैं। वर्ष 2019–20 के लिये ऊर्जा की गणना विद्युत संयत्रो की क्षमता, प्लान्ट लोड फेक्टर व सहायिकी ऊर्जा खपत के आधार पर की गयी हैं।

3.10 वर्ष 2018–19 की ऊर्जा उपलब्धता निम्न सारणी में सारांशित की गयी हैं :–

सारणी 20: स्त्रोतवार ऊर्जा, विव 2018–19 (मि.यू.)

विशिष्टियां	विव 2018–19
भाताविनि	3,796
भाजविनि	704
राविउनि और राजवेस्ट	14,487
भानाविनिलि	1,070
साझेदारी परियोजनायें	1,371
अन्य और एसजेवीएन	395
आइपीपी / यूएमपीपी / एनवीवीएन	7,827

गैर– पारम्परिक	2,868
पावर एक्सचेंज से ऊर्जा क्रय, बैकिंग, यूआई	610
अन्तर्डिस्कॉम	103
योग	**33,232**

3.11 प्लान्ट लोड फेक्टर व सहायिकी ऊर्जा खपत का निर्धारण पूर्ववर्ती रूझान और माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार लिया गया हैं। वर्ष के लिये इस प्रकार के नये स्टेशनों से बिजली खरीद की गणना इनकी अनुमानित वाणिज्यिक तिथि से की गयी है।

3.12 यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता अक्षय स्त्रोतों से क्रय हेतु ईमानदारी से प्रयास कर रहा है और अक्षय स्त्रोतों से खरीद लगातार बढ रही है। अब यह माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अक्षय क्रय अनिवार्य बाध्यता के करीब है।

3.13 राजस्थान, भारत में सौर एवं पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु उच्चतम स्थापित क्षमता वाला राज्य है। पवन ऊर्जा उत्पादन फर्म क्षमता का लगभग 20 प्रतिशत राजस्थान में है। इसके बावजूद भी राजस्थान की वितरण कम्पनियां अपने आर.पी.ओ. दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है।

3.14 अक्षय ऊर्जा क्रय दायित्वों को पूरा करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुये, पर्याप्त जल स्त्रोतों को अक्षय स्त्रोतों के साथ एकीकरण में संचालित किया जा सकता है जिससे कि अक्षय ऊर्जा को अवशोषित करने की कमी दूर हो सकेगी। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा की राज्य में पहले से ही प्रयाप्तरूप से अनुबन्धित अक्षय ऊर्जा हैं। भविष्य में इसी तरह के और भी विद्युत संयत्रो के स्थापित होने की सम्भावना हैं जिससे कि अनुपयोगी क्षमता बढ़ेगी। यदि आरपीओ की अनुपालना हेतु अनुबन्धित क्षमता बढ़ाई जाती है तो स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी।

3.15 यह निवेदन किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के लिये अक्षय ऊर्जा स्त्रोतो से ऊर्जा क्रय का प्रक्षेपण इन स्त्रोतो से वर्तमान अनुबन्धित क्षमता के आधार पर और वर्ष 2019–20 में आने वाली क्षमता के आधार पर किया गया हैं।

3.16 उपरोक्त वर्णनानुसार याचिकाकर्ता ने 2018–19 हेतु अनअंतिम स्त्रोतवार ऊर्जा क्रय व 2019–20 हेतु प्रक्षेपित स्त्रोतवार ऊर्जा क्रय का प्रक्षेपण मैरिट ऑडर के सिद्धांतो के आधार पर किया गया है और माननीय आयोग से अनुमोदन हेतु विनम्र प्रार्थना है।

3.17 वर्ष 2018–19 के लिये समग्र प्रसारण हानियां अनअंतिम लेखों के आधार पर 6.25 प्रतिशत हैं।

3.18 याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019–20 के लिये अर्न्तराज्यीय प्रसारण हानियां टैरिफ आदेश टैरिफ आदेश दिनांक 18 मई 2018 के अनुसार 3.15 प्रतिशत विचारित की है। याचिकाकर्ता ने विव 2018–19 में 6.25 प्रतिशत प्रसारण हानियों के आधार पर राज्यान्तरिक हानियां 4.25 प्रतिशत विचारित की है। ये राज्यान्तरिक हानियां प्रसारण निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी अपनी ट्रूअप पिटिशन से 3.85 प्रतिशत ज्यादा हैं।

3.19 याचिकाकर्ता ने यह पाया है की प्रसारण निगम की वास्तविक हानियां 3.85 प्रतिशत से काफी अधिक है जैसा कि प्रसारण निगम ने प्रस्तुत कि हैं। अतः याचिकाकर्ता माननीय आयोग से प्रसारण निगम को निर्देश देने की प्रार्थना करता है कि वह ये स्पष्ट करे कि प्रसारण हानियां 3.85 प्रतिशत किय स्तर पर है और वास्तविक हानियां (ट्रांसफोर्मर हानियो को सम्मिलित करते हुये) भी उपलब्ध करवाये। ट्रांसफोर्मर प्रसारण तंत्र का हिस्सा हैं और प्रसारण हानियो में किसी भी प्रकार की वृद्धि वितरण निगमों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालें।

3.20 सभी वितरण निगमों के लिये ऊर्जा क्रय के मूल्य का स्तर समान रखने के लिये, वितरण निगम डीबीएस टैरिफ प्रस्तावित करते हैं। प्रारम्भिक चरण में राज्य के विद्युत संयत्रो के अतिरिक्त सभी विद्युत संयत्रों से वितरण निगमों के लिये ऊर्जा क्रय करने हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ऊर्जा क्रय ऐजेन्सी होगी। अतः उपरोक्त विद्युत संयत्रो के लिये वितरण निगम उत्पादन निगम से डीबीएस टैरिफ पर ऊर्जा क्रय करेगा। अतः याचिकाकर्ता ने उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के स्त्रोतो को छोड़कर अन्य स्त्रोतो से तीनों वितरण निगमो के लिये ऊर्जा का प्राकल्लन किया हैं।

3.21 यद्यपि इस परिवर्तन को अबाधित सुनिश्चत करने और उत्पादन निगम को अतिरिक्त भार से बचाने के लिये, उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के संयत्रो से ऊर्जा क्रय यथावत की जाती रहेगी। अतः उत्पादन निगम से ऊर्जा क्रय के प्रभार और प्रसारण निगम के प्रसारण प्रभार का प्रक्षेपण वितरण निगम वार प्राकल्लित किया गया हैं।

3.22 वर्ष 2019–20 के लिये राज्य हेतु कुल ऊर्जा उपलब्धता को निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 21: विव 2019–20 के लिए ऊर्जा उपलब्धता (मि.यू.)

विशिष्टियां	राजस्थान (मि.यू.)
राज्य के बाहर के स्त्रोतों से सकल उपलब्ध ऊर्जा	27,637
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां (प्रतिशत)	3.15
अन्तर्राज्यीय प्रसारण हानियां (मि.यू.)	871

राज्य के बाहर से राज्य के अन्तरापृष्ठ पर उपलब्ध ऊर्जा	26,766
उत्पादन निगम को छोड़कर राज्य के भीतरी स्त्रोतो से उपलब्ध ऊर्जा	26,436
उत्पादन निगम से उपलब्ध ऊर्जा	27,336
राज्य के अन्तरापृष्ठ पर कुल उपलब्ध ऊर्जा	**80,538**
राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां (प्रतिशत)	4.25
राज्यान्तरिक प्रसारण हानियां (मि.यू.)	3,423
वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अन्तरापृष्ठ पर उपलब्ध ऊर्जा	**77,115**

3.23 वर्ष 2019–20 के लिये उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतो से कुल ऊर्जा उपलब्धता को निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 22: उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतो से कुल ऊर्जा उपलब्धता (मि.यू.)

ऊर्जा के स्त्रोत (संयत्र वार)	ऊर्जा (मि.यू.)
भाताविनि	9,682
भाजविनि	1,798
राजवेस्ट	5,963
भानाविनिलि	2,668
साझेदारी परियोजनायें	3,144
टेहरी, कोटेस्वर और ताला	373
एसजेवीएन और रामपुर	614
आइपीपी/यूएमपीपी	18,578
एनवीवीएन	2,165
गैर– पारम्परिक	8,734
राज्य के बाहर के नये विद्युत संयत्र	355
योग	**54,072**

3.24 वर्ष 2019–20 के लिये उत्पादन निगम से कुल ऊर्जा उपलब्धता को निम्न सारणी में सारांशित

किया गया हैं।

सारणी 23: उत्पादन निगम से कुल ऊर्जा उपलब्धता (मि.यू.)

ऊर्जा के स्त्रोत (संयत्र वार)	ज.वि.वि.नि.लि.	अ.वि.वि.नि.लि.	जो.वि.वि.नि.लि.	**ऊर्जा (मि.यू.)**
केटीपीएस(1–7)	2043.59	1377.28	1653.85	5074.72
एसटीपीएस(1–6)	1330.49	896.69	1076.75	3303.93
डीसीसीपीपी	3.78	2.55	3.06	9.39
सीटीपीपी (1–2)	1302.87	878.07	1054.40	3235.53
सीटीपीपी (4)	582.43	392.53	471.36	1446.32
सीटीपीपी (3)	775.55	522.68	627.64	1925.86
सीटीपीपी (5)	1127.27	759.86	912.45	2799.78
सीटीपीपी (6)	877.82	591.61	710.41	2179.84
आरजीटीपी (1–2)	185.98	125.34	150.51	461.82
केएटीपीपीरु1	1576.70	1062.62	1276.01	3915.33
केएटीपीपीरु2	535.65	361.00	433.50	1330.15
आरजीटीपी 3	202.36	136.38	163.77	502.51
माही	46.67	31.45	37.77	115.89
माही एमएमएच	0.25	0.17	0.20	0.63
मांगरोल	0.96	0.65	0.78	2.39
एसटीपीएस एमएमएच	0.62	0.42	0.50	1.55
योग (आरवीयूएन)	10,593	7,139	8,573	26,305
उत्पादन निगम के नये विद्युत संयत्र				
एसटीपीएस स्टेज पंचम (यूनिट 7–8)	415	279.73	335.91	1031
कुल योग	**11,008**	**7,419**	**8,909**	**27,336**

3.25 वर्ष 2019–20 के लिये, राज्य में ऊर्जा की आवश्यकता ऊर्जा की उपलब्धता से कम है, राज्य

में 1114 मि.यू. ऊर्जा अधिशेष रहेगी जो कि उत्पादन निगम द्वारा ट्रेड की जायेगी। वर्ष 2019–20 के लिये ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता को निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 24: वर्ष 2019–20 के लिये ऊर्जा संतुलन

विशिष्टियां	वर्ष 2019–20
ऊर्जा की आवश्यकता (मि.यू.)	80,294
ऊर्जा की उपलब्धता (मि.यू.)	81,409
ट्रेडिंग के लिये अधिशेष ऊर्जा (मि.यू.)	1,114

विव 2019–20 के लिए विद्युत क्रय लागत
स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार

3.26 याचिकाकर्ता ने, विव 2018–19 तथा विव 2019–20 के लिए, विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत क्रय लागत, निम्नलिखित पूर्वधारणाओं पर आधारित प्रक्षेपित की है :

(अ) केन्द्र और राज्य के विद्युत संयत्रो के स्थाई और परिवर्तनशील प्रभारों के प्रक्षेपण के लिए याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018–19 के स्थाई और परिवर्तनशील प्रभारों के वास्तविक मूल्य को विचारार्थ रखा हैं।
(ब) याचिकाकर्ता ने सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों के परिदृश्य को परिकल्पित करते हुये और इन प्रभारों को असामान्य मानते हुये वर्ष 2019–20 के ऊर्जा क्रय मूल्य को प्रक्षेपित करते समय पूर्वकालीन प्रभारों को विचारार्थ नहीं रखा हैं।
(स) वर्ष 2019–20 चालू होने वाले उत्पादन केन्द्रों के मामलों में स्थाई प्रभारों तथा परिवर्तनीय प्रभारों के लिए उसी प्रकृति के उत्पादन केन्द्रों के समकक्ष गणना की गयी है।
(द) विद्युत क्रय लागत का विनिर्धारण करते समय विव 2018–19 तथा 2019–20 के लिए अन्य प्रभारों (उपकर, विद्युत शुल्क आदि सहित) पर विचार नहीं किया गया है। यह निवेदन है कि विव 2018–19 तथा 2019–20 की वास्तविक ऊर्जा क्रय पर ट्रयूअप के समय विचार कर लिया जाये।

प्रसारण और एसएलडीसी प्रभार

3.27 विव 2018–19 के लिए प्रसारण प्रभार के लिये वर्ष 2018–19 के अस्थाई आंकडे लिये गये हैं। वर्ष 2019–20 के प्रसारण प्रभारों के प्रक्षेपण के लिये कोई वृद्धि नहीं ली गयी हैं।
3.28 यह निवेदन है कि विव 2018–19 तथा 2019–20 की वास्तविक ऊर्जा क्रय पर ट्रयूअप के समय विचार कर लिया जाये।

अधिशेष ऊर्जा की बिक्री

3.29 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि ऊर्जा क्रय और विक्रय एक गतिशील प्रक्रिया है पावर एक्सचेन्ज में विद्युत दरें क्रेता, विक्रेता और बाजार में उपलब्ध विद्युत पर निर्भर करती है।

याचिकाकर्ता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। देश में ऊर्जा के आधिक्य के कारण बाजार मूल्य में आगे भी कमी संभव है। यहां यह उल्लेखनीय है कि एक्सचेंज में आई विद्युत दर याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत संयंत्रों को देय परिवर्तनशील मूल्यों से कम होती है।

3.30 याचिकाकर्ता प्राकल्लित करता है कि राज्य में 1114 मि.यू. ऊर्जा अधिशेष रहेगी और ये भी प्राकल्लित करता है कि ऊर्जा विकास निगम अधिशेष ऊर्जा को 3.40 रू./यूनिट दर से बेच सकेगा ओर इस तरह 379 करोड़ रू. की आय होगी जिससे कि उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतो से ऊर्जा क्रय के मूल्य में कमी आयेगी।

3.31 राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, उत्पादन और प्रसारण निगम के स्त्रोतो को छोड़कर वितरण निगमों के लिये ऊर्जा क्रय का प्रबन्ध करेगा। राजस्थान की ऊर्जा कम्पनियो की समन्वय समिती ने अपनी मीटिंग दिनांक 31.03.2019 में निर्णय किया है कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, वितरण निगमों की तरफ से उत्पादन निगम के स्त्रोतों को छोड़कर क्रय की गयी ऊर्जा पर एक पैसा प्रति यूनिट वसूल करेगा।

सारणी 25 : रा.ऊ.वि.नि. द्वारा प्रभारित ट्रेडिंग मार्जिन (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	ज.वि.वि.नि.लि.	अ.वि.वि.नि.लि.	जो.वि.वि.नि.लि.	राजस्थान
ट्रेडिंग मार्जिन (पैसे/यूनिट)	1	1	1	1
उत्पादन निगम के स्त्रोतों को छोड़कर क्रय की गयी ऊर्जा	20,437	14,599	17,922	52,958
ट्रेडिंग मार्जिन (करोड़ रू.)	**20.44**	**14.60**	**17.92**	**52.96**

कुल ऊर्जा क्रय का मूल्य

3.32 वर्ष 2018–19 के लिये विभिन्न स्त्रोतो से अस्थाई ऊर्जा क्रय का मूल्य निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 26: वर्ष 2018–19 के लिये जविविनिलि के लिये विभिन्न स्त्रोतो से ऊर्जा क्रय का मूल्य

ऊर्जा संयत्र	कुल मूल्य (करोड़ रू.)
भाताविनि	1,275

भाजविनि	238
उत्पादन निगम	5,014
राजवेस्ट	1,117
भानाविनिलि	401
साझेदारी परियोजनायें	204
टेहरी, कोटेस्वर और ताला	190
आइपीपी / यूएमपीपी / एनवीवीएन	2,968
गैर– पारम्परिक (सीपीपी सम्मिलित)	1,457
पावर एक्सचेंज से ऊर्जा क्रय, बैकिंग, यूआई	289
अन्तर्डिस्कॉम	(4)
योग	**13,159**
प्रसारण प्रभार	1,926
प्रसारण प्रभार को सम्मिलित करते हुये कुल ऊर्जा क्रय का मूल्य	**15,074**

3.33 वर्ष 2019–20 के लिये उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतो से कुल ऊर्जा क्रय के मूल्य को निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 27: वर्ष 2019–20 के लिये उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतो से कुल ऊर्जा क्रय का मूल्य

ऊर्जा के स्त्रोत (संयत्र वार)	कुल मूल्य (करोड़ रू.)
भाताविनि	3,243
भाजविनि	564
राजवेस्ट	2,505
भानाविनिलि	958
साझेदारी परियोजनायें	196
टेहरी, कोटेस्वर और ताला	171
एसजेवीएन	179
आइपीपी / यूएमपीपी	6,438

एनवीवीएन	883
गैर– पारम्परिक	4,154
नये विद्युत संयत्र	182
प्रसारण प्रभार	2,301
कुल योग	**21,774**

3.34 वर्ष 2019–20 के लिये उत्पादन निगम से प्राप्त कुल ऊर्जा का मूल्य और प्रसारण निगम के प्रसारण प्रभार निम्न सारणी में सारांशित किये गये हैं।

सारणी 28: वर्ष 2019–20 के लिये उत्पादन निगम से प्राप्त कुल ऊर्जा का मूल्य

ऊर्जा के स्त्रोत (संयत्र वार)	कुल मूल्य (करोड़ रू.)
केटीपीएस(1–7)	777
एसटीपीएस(1–6)	785
डीसीसीपीपी	84
सीटीपीपी (1–2)	466
सीटीपीपी (4)	225
सीटीपीपी (3)	318
सीटीपीपी (5)	446
सीटीपीपी (6)	339
आरजीटीपी (1–2)	60
केएटीपीपी #1	715
केएटीपीपी#2	236
आरजीटीपी 3	96
माही	20
माही एमएमएच	0.10
मांगरोल	0.36
एसटीपीएस एमएमएच	0.24
योग (आरवीयूएन)	**4567**

उत्पादन निगम के नये विद्युत संयत्र	
एसटीपीएस स्टेज पंचम (यूनिट 7–8)	176
राज्य प्रसारण	
आरवीपीएनएल	935
एसएलडीसी	6
कुल प्रसारण प्रभार	941
समग्र योग	**5,686**

3.35 वर्ष 2019–20 के लिये ज.वि.वि.नि.लि.के लिये ऊर्जा क्रय का मूल्य निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 29: वर्ष 2019–20 के लिये कुल ऊर्जा का मूल्य

विशिष्टियां	कुल ऊर्जा (मि.यू.)	कुल मूल्य (करोड़ रू.)
उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतो से ऊर्जा क्रय	20,407	9,548
उत्पादन निगम से ऊर्जा क्रय	11,008	4,745
प्रसारण और एसएलडीसी	–	940.73
कुल ऊर्जा क्रय	**31,445**	**15,233**

3.36 विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त ऊर्जा क्रय के मूल्य का वर्गीकरण फार्म सं. 3.1 में दिखाया गया हैं।

डीबीएस टैरिफ

3.37 बीएसटी (थोक मात्रा में विद्युत प्रदाय की टैरिफ) एक ऐसे विद्युत प्रदाय के मॉडल को संर्दभित करता है यहा पर सिर्फ एक क्रेता या कम्पनी अस्तित्व में होती है जो कि विभिन्न विद्युत संयत्रों से ऊर्जा क्रय अनुबन्ध (पीपीए) के अनुसार ऊर्जा क्रय करती हैं। डीबीएस टैरिफ में प्रत्येक डिस्कॉम के लिये प्रति यूनिट विद्युत दर अलग–अलग होती हैं जिनको की एक ही विक्रेता विद्युत विक्रय करता हैं। यह अन्तर परिवर्तित विद्युत विक्रय, डिस्कॉम की कार्यक्षता और उपभोक्तओं के मिश्रण के कारण होता हैं अर्थात् क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी जिनका कम राजस्व देने वाला उपभोक्ता मिश्रण है उनसे अधिक राजस्व देने वाले उपभोक्ता मिश्रण की तुलना में कम बीएसटी वसूल कि जायेगी। गुजरात और उड़ीसा में कुछ समय से डीबीएस टैरिफ मॉडल उपयोग में लाया जा रहा हैं।

3.38 राजस्थान के डिस्कॉमो में उपभोक्ताओं का मिश्रण परिवर्तशील है जिनमें खुदरा विद्युत प्रदाय से प्राप्त होने वाला राजस्व डिस्कॉम से डिस्कॉम परिवर्तित होता रहता हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में एक समान खुदरा विद्युत दरे प्रचलित है जिसके कारण जोधपुर डिस्कॉम का लाभांश कृषि उपभोक्ताओं के अधिक उपभोग के कारण विपरीत रूप से प्रभावित होता हैं। अतः राज्य के वितरण निगम डीबीएस टैरिफ को अपनाने का प्रस्ताव रखते है जिससे की सभी वितरण निगम ऊर्जा क्रय के मूल्य के मामले में एक ही स्तर पर आ सके। प्राम्भिक चरण में तीनो वितरण निगमों की तरफ से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम राज्य के विद्युत संयत्रों के अतिरिक्त सभी विद्युत संयत्रो से ऊर्जा क्रय की ऐजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। अतः उपरोक्त विद्युत संयत्रो के लिये तीनो वितरण निगम उत्पादन निगम से अलग–अलग प्रति यूनिट के मूल्य (डीबीएसटी) पर विद्युत क्रय करेगें।

3.39 डीबीएसटी के निर्धारण की कार्यवधि नीचे सारांशित कि गयी हैं।
(अ) वर्तमान विद्युत दरों पर प्रक्षेपित राजस्व में से अधिशेष ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को कम किया जायेगा।

(ब) सभी प्रकार के व्यय (उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से क्रय कि गयी ऊर्जा के व्यय को सम्मिलित नहीं करते हुये) और प्रसारण निगम के प्रक्षेपित प्रसारण प्रभारो को वा.रा.आ. में लिया जायेगा।

(स) उत्पादन निगम से प्राप्त ऊर्जा क्रय के मूल्य और प्रसारण निगम के प्रसारण प्रभारों को अलग से लिया जायेगा। उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतो से प्राप्त ऊर्जा क्रय के कुल व्यय तक पहुँचने के लिये, इनको ऊर्जा क्रय के मूल्य को छोड़कर अन्य व्यय में जोड़ा जायेगा।

(द) ऊर्जा क्रय के लिये वितरण निगम के पास उपलब्ध धनराशि की गणना के लिये अन्य स्त्रोतो से की गयी ऊर्जा क्रय के व्यय को प्रक्षेपित कुल राजस्व में से घटाया जायेगा। यह वह धन राशि होगी जिससे कि डिस्कॉम उत्पादन से ऊर्जा क्रय कर सकेगा। उक्त राशि को ''ऊर्जा क्रय के लिये उपलब्ध राशि'' कहा जायेगा।

(ई) उत्पादन निगम और प्रसारण निगम को छोड़कर ऊर्जा क्रय की लागत को विचारार्थ रखा जायेगा। इनको, ''ऊर्जा क्रय के लिये उपलब्ध धनराशि'' मे से घटाया जायेगा जिससे राजस्व अधिशेष/राजस्व अन्तर निकाला जायेगा।

(फ) अधिशेष/अन्तर को तीनों वितरण निगमों में उनकी ऊर्जा आवश्यकता के अनुपात में बांटा जायेगा। (ऊर्जा आवश्यकता अनुमोदित प्रसारण और वितरण हानियों को सम्मिलित करते हुये निकाली जायेगी) इस प्रकार वितरण निगमों द्वारा उत्पादन निगम को भुगतान किये जाने वाले प्रभावी विद्युत क्रय मूल्य को निकाला जायेगा।

(ज) प्रभावी ऊर्जा क्रय मूल्य को अनुमोदित ऊर्जा आवश्यकता से भाग देने पर डीबीएस टैरिफ रू.

/यूनिट आयेगी।

3.40 उपरोक्त कार्यवधि के आधार पर डीबीएस टैरिफ को निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 30: वर्ष 2019–20 के लिए डीबीएस टैरिफ

क्रं.सं.	विशिष्टियां	यूनिट	जविविनि	अविविनि	जेविविनि	कुल
अ	कुल राजस्व (अधिशेष ऊर्जा की बिक्री से प्राप्तियों को सम्मिलित नहीं करते हुये	रू. करोड़	19,257	13,614	13,980	46,851
ब	ऊर्जा क्रय के मूल्य के अतिरिक्त व्यय	रू. करोड़	6,780	5,646	5,999	18,425
स	उत्पादन निगम के लिये व्यय	रू. करोड़	4,745	3,198	3,840	11,783
द	प्रसारण निगम के लिये व्यय	रू. करोड़	941	634	761	2,336
ई=स-द	उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से क्रय की गयी ऊर्जा पर कुल व्यय	रू. करोड़	12,465	9,478	10,600	32,544
फ=अ-ई	उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से क्रय की गयी ऊर्जा के लिये वितरण निगम के पास उपलब्ध धनराशि	रू. करोड़	6,792	4,136	3,380	14,308
ज	उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से क्रय की गयी ऊर्जा का मूल्य (अधिशेष की बिक्री से प्राप्त निवल राजस्व)	रू. करोड़	21,448			
झ=फ-ज	राजस्व अधिशेष/अन्तर	रू. करोड़	(7,141)			
य	उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से क्रय की गयी ऊर्जा की आवश्यकता	मि.यू.	20,437	14,599	17,922	52,958
र	अधिशेष/अन्तर का बटंवारा	रू. करोड़	(2,756)	(1,969)	(2,417)	(7,141)
व	उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से क्रय की गयी ऊर्जा के मूल्यों का बटंवारा	रू. करोड़	9,548	6,104	5,797	21,448
ल	**उत्पादन निगम को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से क्रय की गयी ऊर्जा के लिये डीबीएस टैरिफ**	**रू./कि.वा. घं.**	**4.67**	**4.18**	**3.23**	**4.05**

3.41 इस प्रकार वितरण निगम उत्पादन निगम के अलावा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम से सारणी 30 में वर्णित डिफरेन्शियलै दर पर विद्युत क्रय करेगा। अन्य सभी स्त्रोतों से वितरण निगम ऊर्जा क्रय अनुबन्ध के अनुसार ऊर्जा क्रय करेगें।

अ4: पूँजीगत निवेश, चालू पूँजीगत कार्य और पूँजीकरण

4.1 याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018–19 के पूँजीगत निवेश को संशोधित किया है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019–20 के लिये इस वर्ष की पूँजीगत निवेश योजना की याचिका, जो कि माननीय आयोग में प्रस्तुत की जा चुकी है, के अनुसार पूँजीगत निवेश प्रस्तावित किया हैं।

4.2 निम्नलिखित सारणी में वर्ष 2019–20 के लिये पूँजीगत निवेश के व्यय का प्रक्षेपण, चालू पूँजीगत कार्य और पूँजीकरण और वर्ष 2018–19 के लिये संशोधित पूँजीगत निवेश का व्यय, चालू

पूँजीगत कार्य और पूँजीकरण को सारांशित किया गया हैं।

सारणी 31: वर्ष 2018–19 और वर्ष 2019–20 के लिए पूँजीगत निवेश, चालू पूँजीगत कार्य और पूँजीकरण (रू. करोड़)

विशिष्टियां	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20
चालू पूँजीगत कार्य का प्रारम्भ	468.50	668.61
जोड़े : वर्ष में किया गया पूँजीगत निवेश	2874.57	1545.31
उप–योग	**3343.07**	**2213.92**
घटायें : वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियो का पूँजीकरण (परिसम्पत्तियो का समग्र स्थाई सम्पत्तियों में स्थानान्तरण)	2674.46	1771.14
चालू पूँजीगत कार्य की समाप्ति	**668.61**	**442.77**

अ 5: विव 2019–20 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता

परिचालन एवं संधारण व्यय

5.1 परिचालन एवं संधारण (प.एवं.सं.) व्ययों में कर्मचारी व्यय, मरम्मत एवं संधारण (म.एवं. सं) व्यय तथा प्रशासकीय व सामान्य (प्र.एवं.सा.) व्यय निहित हैं।

5.2 वितरण व्यवसाय के लिए प.एव.सं. व्यय के प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिमान विक्रीत ऊर्जा की प्रति इकाई पर आधारित है तथा राविविआ टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 82 के अन्तर्गत निर्धारित हैं।

5.3 उपरोक्त टैरिफ विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रणावधि (अर्थात् विव 2019–20) के प्रारम्भण पर अनुज्ञात प्रासमिक प.एव.सं. व्ययों को नियंत्रणावधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 3.63 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर बढाया जाना है।

5.4 प.एव.सं. व्ययों का राविविआ टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 82 में विनिर्धारित प्रतिमानों तथा वर्ष के लिए प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय को गुणा करके विनिर्धारण किया जाता है। नियंत्रणावधि विव 2019–20 के लिए प्रत्येक अवयव हेतु प्रति इकाई प्रतिमान निम्नानुसार है :

सारणी 32: प्रतिमानित प्रचालन एवं संधारण व्यय दर(रू./किवाध)

विवरण	विव 2019–20
कर्मचारी व्यय	0.48
प्र.एवं.सा. व्यय	0.065

मरम्मत एवं संधारण व्यय के सिद्धांत राविनिआ (टैरिफ के निर्धारण की शर्तें) विनियम

2019 के अनुसार संशाधित किये गये हैं और वर्ष 2019–20 के लिये इसकी गणना सारणी 33 में दर्शायी हैं।

5.5 विव 2018–19 के प.एवं.सं व्यय अस्थाई लेखों पर आधारित हैं और निम्न प्रकार हैं।

सारणी 33: विव 2018–19 के प.एवं.सं व्यय

विवरण	विव 2018–19
कर्मचारी व्यय	613.95
प्र.एवं.सा. व्यय	137.84
मरम्मत एवं संधारण व्यय	170.73

5.6 वर्ष 2019–20 के लिये सैद्धान्तिक प्रक्षेपण पर आधारित प.एवं.सं व्यय उपरोक्त कार्यवधि के अनुसार निम्नलिखित सारणी में सारांशित किये गये हैं।

सारणी 34: विव 2019–20 के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय

विशिष्टियां	विव 2019–20
कर्मचारी लागत	
प्रति इकाई प्रतिमान	0.48
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.यू.)	25,032
सकल कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	**1201.55**
घटायें – पूंजीकरण (करोड़ रू.)	206.09
निवल कर्मचारी व्यय (करोड़ रू.)	**995.45**
प्र.एवं.सा. व्यय	
प्रति इकाई प्रतिमान	0.065
प्रक्षेपित ऊर्जा विक्रय (मि.यू.)	25,032
सकल प्र.एवं.सा. व्यय (करोड़ रू.)	**162.71**
घटायें – पूंजीकरण (करोड़ रू.)	21.92
निवल प्र.एवं. सा. व्यय (करोड़ रू.)	**140.79**
मरम्मत एवं संर्धारण व्यय	
प्रारम्भिक जीएफए	20,067
अंतिम जीएफए	21,838
औसत जीएफए	20,950
के–फैक्टर	1,20%
विनियम 24 के अनुसार वृद्धि दर	3,63%
कुल मरम्मत एवं संर्धारण व्यय (करोड़ रू.)	**260.55**
सकल प.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)	**1624.81**
घटायें – पूंजीकृत व्यय (करोड़ रू.)	228.01

निवल प.एव.सं. व्यय (करोड़ रू.)	1,396.79

बीमा व्यय

5.7 विव 2019–20 के लिए बीमा व्ययों का प्राक्कलन, राविविआ टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 25 में निर्धारित उच्चतम के अध्यधीन निवल स्थाई परिसम्पत्तियों के आधार पर किया गया है।

सारणी 35: वर्ष 2019–20 के लिए बीमा व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2018–19	विव 2019–20
औसत निवल स्थाई परिसम्पत्तियां (करोड़ रू.)	13,530.46	14,752.20
निवल स्थाई परिसम्पत्तियों के 0.2 प्रतिशत की दर पर बीमा व्यय (करोड़ रू.)	**27.06**	**29.50**

सेवान्त लाभ

5.8 सेवान्त लाभ दायित्व के विनिर्धारण हेतु याचिककर्ता ने लेखांकन मानक– 15 (कर्मचारी लागत) के अन्तर्गत निर्धारित दिशा–निदेर्शों को अपनाया है। लेखांकन मानक – 15 के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश उल्लेख करते हैं कि नियोक्ता स्थापित प्रावधायी निधि युक्त लाभ, जिन्हें ब्याज की कमी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाना है। लेखांकन मानक – 15 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष पेंशन तथा उपादान के सम्बन्ध में सेवान्त लाभों में कमी के लिए प्रावधान किया है।

5.9 याचिकाकर्ता ने सेवान्त लाभ, विव 2018–19 तथा विव 2019–20 के लिए देय सेवान्त लाभों का प्राकलन किया है। आयोग से नीचे सारणी में यथादर्शित व्यय अनुज्ञात करने की प्रार्थना है:

सारणी 36 : वर्ष 2019–20 के लिये सेवान्त लाभ (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2018–19	विव 2019–20
वर्ष के लिए सेवान्त लाभ	650.00	550.00

दीर्धकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज तथा अन्य वित्त प्रभार

5.10 वर्ष 2018–19 के लिये दीर्धकालीन ऋण पर ब्याज और दूसरे प्रभार इस वर्ष के अस्थाई लेखों पर आधारित हैं। वर्ष 2018–19 के लिये प्राकलित ब्याज प्रभार निम्न सारणी में सारांशित किये गये हैं।

सारणी 37: वर्ष 2018–19 के लिये ब्याज प्रभार (करोड़ रू.)

विवरण	विव 2018–19
दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज	382
राज्य सरकार/विश्व बैंक से ऋण	883
बोन्ड पर ब्याज	505
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	66
वित्त प्रभार तथा पट्टा किराया	104
अन्य पर प्रभारित ब्याज	876
घटायें : पूँजीकृत ब्याज एवं वित्त प्रभार	33
कुल योग	**2,784**

5.11 वर्ष 2018–19 का अंतिम संतुलन वर्ष 2019–20 के प्रांरम्भिक संतुलन के लिये उपयोग में लाया गया है। वर्ष 2019–20 के लिये प्रासमिक निवेश पर आधारित कुल पूँजीकरण विचारार्थ रखा हैं। वर्ष के दौरान कुल पूंजी निवेश में से उपभोक्ता से प्राप्त होने वाली राशि को कम किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता से प्राप्त राशि सीडब्ल्यूआईपी और जीएफए दोनों में वृद्धि करती है। इसीलिए पूंजी निवेश की गणना करते समय उपभोक्ता द्वारा प्राप्त राशि को समानुपात में उपयोग में लिया गया है। वर्ष के दौरान दीर्घावधि के ऋणों के अतिरिक्त, बकाया का 30 प्रतिशत इक्विटी के द्वारा निवेशित माना गया है। वर्ष के लिये किये जाने वाले कुल पूंजीकरण में से प्रक्षेपित उपभोक्ता अंशदान राशि को कम कर दिया गया है। शेष 30 प्रतिशत पूंजीकरण इक्विटि के माध्यम से प्राप्ती मानी गयी है तथा शेष राशि दीर्घकालीन ऋणों में वृद्धि मानी गयी है। राविविआ. टैरिफ विनियम 2019 के अनुच्छेद 21 के अनुरूप दीर्घावधि ऋणों का चुकवारा माना गया है जो कि वर्ष के लिये ह्रास व्यय सीमा तक निहित है। वर्ष 2019–20 के लिये कुल प्रसमन ऋण अन्तिम शेष, प्रसमन ऋण भुगतान कम करके माना गया है।

5.12 दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज, याचिकाकर्ता के दीर्धकालीन ऋणों के लिए वास्तविक भारित औसत ब्याज दर पर प्राक्कलित किया जाता है तथा प्रासमिक ऋणों के औसत (प्रारम्भिक तथा अन्तिम प्रासमिक ऋण का औसत) पर प्रयुक्त किया जाता है। विव 2017–18 के दौरान दीर्धकालीन ऋणों पर वास्तविक औसत ब्याज दर का प्राक्कलन 11.01 प्रतिशत पर किया गया है तथा यह दर विव 2019–20 के लिए दीर्धकालीन ऋणों पर ब्याज प्रभारों के प्राक्कलन हेतु वर्ष के दौरान प्रासमिक ऋणों के औसत शेष पर प्रयुक्त की जाती है।

5.13 वर्ष 2019–20 के लिए प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, वित वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार पिछले दो वर्षों में वास्तविक प्रतिभूति निक्षेप के औसत तथा उपभोक्ताओं की सख्या में प्रक्षेपित वृद्धि के आधार पर परिकलित किया गया है। ब्याज की दर यथाप्रयोज्य भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर 6.25 प्रतिशत दिनांक 1 अप्रेल 2018 को निर्धारित आधार अनुसार मानी गयी है जो कि राविविआ – विधुत प्रदाय की शर्तो के अनुरूप है।

5.14 वित्त प्रभार या अन्य उधारी की लागत, वर्ष 2017–18 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार वर्ष 2019–20 के लिए वास्तविक से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाकर प्राक्कलित की गयी है।

5.15 वर्ष 2019–20 के लिए दीर्घकालीन ऋणों, प्रतिभूति पर प्राक्कलित ब्याज तथा वित्त प्रभार नीचे सारणी में सारांशित हैं –

सारणी 38 : वर्ष 2019–20 के लिये दीर्घकालीन ऋणों, प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2019–20
प्रासमिक ऋण का प्रारम्भिक शेष	4,262.07
वर्ष के दौरान मानित परिवर्धन	1,060.26
मानित परिशोधन	1,037.88
मानित ऋण का अन्तिम शेष	4,284.45
वर्ष के दौरान औसत शेष	**4,273.26**
ब्याज दर (प्रतिशत)	11.01
प्रासमिक ऋणों पर ब्याज भुगतान	**470.70**
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	73.62
वित्त प्रभार तथा अन्य उधारी लागत	109.00
सकल ब्याज तथा वित्त प्रभार	**653.32**

विगत वर्षों के लिए अनिधिबद्ध राजस्व अन्तर पर ब्याज

5.16 वर्ष 2016–17 के ट्रॅू–अप अनुमोदन आदेश में माननीय आयोग ने वर्ष 2016–17 तक 13,302 करोड रू. का अनिबद्ध राजस्व अन्तर अनुमोदित किया था।

5.17 अनिबद्ध राजस्व अन्तर के ब्याज की गणना के लिये याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017–18 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार भारित औसत दर को ध्यान में रखा है।

5.18 अनिबद्व राजस्व अन्तर पर ब्याज की विस्तृतियां नीचे दी गई सारणी में दशाई गई है।

सारणी : 39 अनिबद्व राजस्व अन्तर पर ब्याज (करोड़ रू.)

विवरण	2019–20
अनिबद्व राजस्व अन्तर	16522.96
औसत ब्याज दर	11.01
ब्याज दायित्व	**1820.00**

उदय के अतंर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत ऋणों पर ब्याज

5.19 वितरण निगमों की क्रियात्मक और वित्तीय क्षमता को विकसित करने के लिये भारत सरकार ने वितरण निगमों के लिये उदय स्कीम अनुमोदित की थी।

5.20 राज्य के वितरण निगमों ने क्रियात्मक और वित्तीय मापदण्डों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और उदय के अन्तर्गत रखे गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर हैं।

5.21 यद्यपि वितरण निगमों द्वारा किये गये प्रयासों का प्रभाव राज्य सरकार के कुछ निर्णयों से समाप्त हो गया जिसके कारण गम्भिर वित्तीय समस्या उत्पन्न हो गयी।

5.22 उदय स्कीम का मुख्य उद्देश्य, उपभोक्ताओं पर भार डाले बिना वितरण निगमों को भारी ब्याज के भार से मुक्त करना था। यद्यपि राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 तक उदय के अन्तर्गत लिये गये ऋणो के ब्याज के रूप में 7205 करोड़ रू. प्रभारित किये हैं।

5.23 राज्य सरकार द्वारा अचानक काटे गये ब्याज की राशि के कारण वितरण निगमों को गम्भीर वित्तीय संकट में डाल दिया हैं। जिसके कारण विद्युत संयत्रों विशेषतः उत्पादन निगम के भुगतान बकाया हैं। वितरण निगमों को ऐसी स्थिति से निपटने के लिये कार्याशील पूँजी के ऋण लेने पड़े थे।

5.24 उपरोक्त ब्याज के भार ने वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला हैं। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक के ब्याज प्रभार की एक वर्ष में वसूली वितरण निगमों को आने वाले वर्षो में विद्युत दरों में उचित बढ़ोतरी की अनुमति नहीं देती हैं।

5.25 राज्य सरकार द्वारा काटे गये 7205 करोड़ रू. के भार के प्रभाव को उपभोक्ताओ पर कम करने के लिये, वितरण निगमों ने ब्याज की कुल राशि 10,927 करोड़ रू. (राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 तक के लिये वसूल किया जाने वाला ब्याज) के दायित्व को अगले 5 सालों में बाटने की योजना बनायी है। जयपुर विद्युत वितरण निगम अगले 5 वर्षो में प्रत्येक वर्ष 757 करोड़ रू. वसूल करेगा।

5.26 उदय के अन्तर्गत वितरण निगम वार ब्याज के दायित्व को निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 40: उदय के अन्तर्गत वितरण निगम वार ब्याज का दायित्व

विशिष्टियां (करोड़ रू.)	जविविनि	अविविनि	जोविविनि	राजस्थान
वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक के लिये प्रावधान	1,228	1,176	1,136	3,540
वर्ष 2017–18 के लिये प्रावधान	1,283	1,228	1,186	3,698

वर्ष 2018–19 के लिये प्रावधान	846	810	782	2,439
वर्ष 2019–20 के लिये प्रावधान (वितरण निगमों द्वारा प्राक्कलित)	428	495	330	1,254
कुल योग	**3,786**	**3,710**	**3,434**	**10,931**
वितरण निगमों द्वारा वर्ष 2019–20 में प्रभारित किया जाने वाला ब्याज (उपरोक्त के कुल योग का पांचवा भाग)	**757**	**742**	**687**	**2,186**
वर्ष 2018–19 तक राज्य सरकार द्वारा काटी गयी ब्याज की राशि	**2,512**	**2,372**	**2,322**	**7,206**

5.27 वर्ष 2019–20 के लिये कुल ब्याज के दायित्व को निम्न सारणी में सारांशित किया गया है।

सारणी 41 : वर्ष 2019–20 के लिये कुल ब्याज एवं वित्त प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2019–20
प्रासमिक ऋण पर ब्याज का भुगतान	471
प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	74
वित्त प्रभार तथा पट्टा किराया	109.00
अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज दायित्व	1,820.00
उदय के अन्तर्गत अधिगृहीत ऋण का ब्याज	757
कुल ब्याज प्रभार	**3,231**
घटायें : पूँजीकृत ब्याज	47
कुल ब्याज एवं वित्त प्रभार	**3,183**

कार्यशील पूंजी पर ब्याज

5.28 याचिकाकर्ता वर्ष 2018–19 के लिए , वर्ष 2018–19 के अस्थाई लेखों के आधार पर ब्याज प्रभार प्रस्तुत करता है और निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 42 : वर्ष 2018–19 के लिये कार्यशील पूँजी पर ब्याज (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2018–19
कार्यशील पूँजी पर ब्याज	**385.43**

5.29 याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019–20 के लिये अपनी कार्यशील पूंजी का प्राक्कलन राविविआ टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 27 (3) के अनुसार किया है। कार्यशील पूंजी आवश्यकता, निम्नलिखित प्राचलों को ध्यान में रखते हुये, प्राक्कलित की गई है : –

(अ) एक महीने के लिए परिचालन एवं संधारण व्यय

(ब) राविविआ टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 83 के अनुसार प.एव.सं. व्ययों के 15 प्रतिशत संधारण स्पेयर्स,

(स) उपभोक्ताओं के डेढ़ माह के विपत्रण के बराबर प्राप्यताये,

(द) बैंक प्रत्याभूति के रूप में धारित प्रतिभूति निक्षेपों को छोड़कर, वितरण तन्त्र प्रयोक्ताओं (खुला अभिगमन उपभोक्ता) तथा फुटकर आपूर्ति उपभोक्ताओं का प्रतिभूति निक्षेप, वर्ष के लिए कुल कार्यशील पूंजी आवश्यकताा के निर्धारण हेतु उपरोक्त में से कम किया गया है।

5.30 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर विव 2017–18 के लिए भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित नवीनतम दरों के आधार पर 250 आधार अंक जो कि वर्ष 2018–19 के लिये 11.54 प्रतिशत आयी है। वर्ष 2019–20 के लिये, वर्ष 2019–20 के प्रथम 6 माह की प्रयोज्य भारतीय स्टेट बैंक की दर प्लस 300 बेसिस पोइंट्स ली गयी है जो कि 11.33 प्रतिशत आती हैं। नीचे सारणी, विव 2018–19 तथा विव 2019–20 के लिए कार्यशील पूंजी पर प्रासमिक ब्याज को सारांशित करती हैं।

सारणी 43: वर्ष 2019–20 के लिये कार्यशील पूंजी पर ब्याज (करोड़ रू.)

क्र.सं.	विशिष्टियां	विव 2019–20
1	प.एवं.स. व्यय	116.40
2	संधारण	209.52
3	प्राप्यतायें	2,491.96
	घटायें –	0.00
4	उपभोक्ताओं तथा वितरण तन्त्र प्रयोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप	1,177.85
5	**कुल कार्यशील पूंजी**	**1,640.03**
6	ब्याज दर	11.83%
7	**कार्यशील पूंजी पर ब्याज**	**193.93**

ह्रास

5.31 विव 2018–19 तथा विव 2019–20 के लिए ह्रास, राविविआ टैरिफ विनियम, 2019 के अनुसार अनुलग्नक–1 में निर्धारित दरों पर उक्त विनियमों के विनियम 22 के अनुसार सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) के अनुसार प्राक्कलित किया गया हैं।

5.32 ह्रास का विनिर्धारण, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के औसत प्रारम्भिक व अन्तिम शेषों पर प्रयोज्य ह्रास दरें प्रयुक्त कर किया गया है।

सारणी 44: विव 2018–19 तथा विव 2019–20 के लिए ह्रास (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2018–19	विव 2019–20
ह्रास	900	1038

साम्या पर प्रतिफल

5.33 राविविआ टैरिफ विनियम, 2019 के अनुसार साम्या पर 16 प्रतिशत की दर से प्रतिफल अनुज्ञात करता है। तथापि याचिकाकर्ता ने विव 2018–19 तथा 2019–20 के लिए साम्या पर कोई प्रतिफल प्रस्तावित नहीं किया है।

1. साम्या पर प्रतिफल की गणना रू. के टर्म में टैरिफ रेगूलेशन 2019 के अनुसार की जायेगी।
2. प्रसारण निगम और एसएलडीसी के लिये साम्या पर प्रतिफल की गणना 14 प्रतिशत की दर से, विद्युत कम्पनीयों के लिये 15 प्रतिशत और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिये 16 प्रतिशत की दर से की जायेगी।

5.34 राजस्थान वितरण निगमों ने अभी तक अपनी टैरिफ में साम्या पर प्रतिफल नहीं लिया हैं। वर्तमान में वितरण निगम ऊर्जा क्रय और पवस व्ययों को पूरा करने के लिये राजस्व स्वयं ला रहे हैं। इसके कारण विद्युत तंत्र को विकसित करने और नयी तकनीक अपनाने का स्कोप कम रहता है। इस प्रकार ऐसे व्ययों को पूरा करने के लिये वितरण निगमों को उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय के अलावा, राजस्व के अतिरिक्त स्त्रोतो की आवश्यकता पड़ती हैं। साम्या पर प्रतिफल इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सहायक होगा।

5.35 राज्य उत्पादन और प्रसारण कम्पनीयां, आयोग के विनियमों के अनुसार पहले से ही साम्या पर प्रतिफल ले रही है। उपरोक्त विनियम वितरण निगमों को 16 प्रतिशत साम्या पर प्रतिफल लेने के लिये अनुमत करते हैं। यद्यपि प्रारम्भिक चरण में याचिकाकर्ता ने साम्या पर प्रतिफल 5 प्रतिशत जो कि वर्ष 2019–20 के लिये 328 करोड़ रू. है, प्रस्तावित किया है और आगे के वर्षो में इसमें वृद्धि करने की योजना बनायी है जिसकी विस्तृतियां निम्न सारणी में उपलब्ध करवायी गयी है।

सारणी 45: विव 2019–20 के लिए साम्या पर प्रतिफल (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2019–20
समग्र स्थाई परिसम्पत्तियां (जीएफए)	21,838
जीएफए का 30 प्रतिशत	6,551
प्रास्मिक साम्या पर प्रतिफल	6,551
वास्तविक साम्या पर प्रतिफल	10,195
उपरोक्त में से जो कम है	6,551
लिया गया साम्या पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	5%
साम्या पर प्रतिफल	**328**

गैर–टैरिफ आय तथा अन्य आय

5.36 वर्ष 2018–19 के लिये गैर–टैरिफ आय अस्थाई लेखों के अनुसार विचारित की गयी है। वर्ष 2019–20 के लिए गैर–टैरिफ आय, टैरिफ रेगूलेशन 2019 के विनियमों के अनुसार प्रक्षेपित की गयी है।

5.37 वर्ष 2018–19 में व्हीलिंग प्रभार, क्रॉस सब्सिडी और अतिरिक्त प्रभार अस्थाई लेखों के अनुसार लिये गये है। वर्ष 2019–20 के लिये भी ये ही मूल्य पैरामीटर्स काम में लिये गये है।

5.38 निम्नलिखित सारणी वर्ष 2018–19 (अस्थाई) और वर्ष 2019–20 (प्राक्कलित) के लिये गैर–टैरिफ आय, व्हीलिंग प्रभार, क्रॉस सब्सिडी और अतिरिक्त प्रभार को सारांशित करती है।

सारणी 46: गैर टैरिफ आय, विधुत परिवहन आदि से आय (करोड़ रू.)

विशिष्टिया	विव 2018–19	विव 2019–20
गैर टैरिफ और अन्य आय	673.87	436.80
विधुत परिवहन से आय	3.04	3.04
अन्तर सहायिकी से आय	22.11	22.11
अतिरिक्त प्रभार से आय	32.47	32.47
कुल योग	**731.49**	**494.42**

वर्ष 2019–20 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता

5.39 पूर्वगामी भागों में माने गये व्यय तत्वों पर आधारित, वर्ष 2018–19 के लिये संशोधित सराआ तथा वर्ष 2019–20 के लिए प्रक्षेपित सराआ नीचे सारणी में सारांशित की गयी है :

सारणी 47: वर्ष 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू.)

क्र.सं.	विशिष्टियां	विव 2018–19	विव 2019–20
1	विद्युत क्रय व्यय, प्रसारण प्रभारों को सम्मिलित करते हुये (लघु अवधि की ऊर्जा क्रय का निवल)	14,708	15,233
2	परिचालन एवं संधारण व्यय	1,600	1,976
2.1	कर्मचारी व्यय (निवल)	614	995
2.2	प्रशासकीय एव सामान्य व्यय (निवल)	138	141
2.3	मरम्मत एवं संधारण व्यय	171	261

2.4	सेवान्त लाभ	650	550
2.5	निवल स्थाई परिसम्पत्तियों का 0.2 प्रतिशत की दर पर बीमा व्यय	27	30
3	ह्रास के प्रति अग्रिम सहित ह्रास	900	1,038
4	ऋण पूंजी पर ब्याज (प्रतिभूति निक्षेप तथा विव 13 तक अनिधिबद्ध अन्तर पर ब्याज)	2,784	3,183
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज (प्रासमिक)	385	194
6	पूर्वावधि व्यय तथा अन्य व्यय	445	61
7	**कुल राजस्व व्यय**	**20,821**	**21,685**
8	साम्या पूंजी पर प्रतिफल	–	**328**
9	**समग्र राजस्व आवश्यकता**	**20,821**	**22,013**
10	घटायें – गैर–टैरिफ और अन्य आय	**731**	**494**
11	**फुटकर टैरिफ से समग्र राजस्व आवश्यकता**	**20,090**	**21,518**

विद्यमान टैरिफ पर विद्युत विक्रय से राजस्व

6.1 विव 2018–19 तथा 2019–20 के लिए विद्यमान टैरिफ से प्रत्याशित राजस्व का प्राक्कलन प्रेक्षपित किये गये ऊर्जा विक्रय के आधार एवं माननीय आयोग के टैरिफ आदेश के अनुसार वर्तमान प्रचलित टैरिफ के अनुसार किया गया है।

6.2 नीचे दी गई सारणी विव 2018–19 के लिए श्रेणीवार प्रत्याशित राजस्व को सारांशित करती है :

सारणी 48: विद्यमान टैरिफ पर विद्युत के विक्रय से आय विव 2018–19 (करोड़ रू.)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2018–19 **(राजस्व करोड़ रू.)**
घरेलू सेवा	3320
अघरेलू सेवा	2052
सार्वजनिक पथ प्रकाश	112
कृषि मी. आपूर्ति	3,492
कृषि फ्लेट दर आपूर्ति	181

लघु औद्योगिक सेवा	214
मध्यम औद्योगिक सेवा	646
वृहद औद्योगिक सेवा	5,178
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – लधु	183
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – मध्यम	23
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – वृहद	217
मिश्रित भार/प्रपंजाआपूर्ति	125
रेल्वे ट्रैक्शन	0
डी एफ	929
योग	**16,672**
घटायें : विभिन्न आय	85
निवल कुल राजस्व	**16,587**

6.3 नीचे दी गई सारणी विव 2019–20 के लिए श्रेणीवार प्रत्याशित राजस्व को सारांशित करती है :

सारणी 49: विद्यमान टैरिफ पर विद्युत के विक्रय से आय विव 2019–20 (करोड़ रू.)

उपभोक्ता की श्रेणी	विव 2019–20 (**राजस्व करोड़ रू.)**
घरेलू सेवा	3,837
अघरेलू सेवा	2479
सार्वजनिक पथ प्रकाश	124
कृषि मी. आपूर्ति	3,502
कृषि फ्लेट दर आपूर्ति	128
लघु औद्योगिक सेवा	258
मध्यम औद्योगिक सेवा	710
वृहद औद्योगिक सेवा	5027
सघन ऊर्जा उद्योग	1267
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – लधु	217
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – मध्यम	24
सार्वजनिक जलदाय एवं एस. पम्पिंग – वृहद	266
मिश्रित भार/प्रपंजाआपूर्ति	153
योग	**17,993**

राज्य सरकार से सहायिकी

6.4 राज्य सरकार परिचालनीय हानियों को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता को विगत हानियों के पुनर्भरण, विद्युत शुल्क के प्रति संसहायिकी तथा नकद सहायता सहित सांक्रांन्तिक अवधि सहायता उपलब्ध करवाती है। अब ''उदय योजना'' के तहत राज्य सरकार नकद सहायता उपलब्ध नही

करायेगी किन्तु विधुत कर की प्रतिभरण चालू रहेगा। विधुत कर प्रतिभरण सहायकी के निर्धारण हेतु, वर्ष के लिये प्रेक्षपित विक्रय तथा प्रति युनिट विधुत कर प्रतिभरण के आंकडें काम में लिये गये है। नीचे दी गयी सारणी राजस्थान सरकार से वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 हेतु प्राप्य सहायिकी को सारांशित करती है :

सारणी 50: विव 2018–19 तथा 2019–20 के लिए राजस्थान सरकार से सहायिकी समर्थन(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2018–19	विव 2019–20
विद्युत शुल्क के प्रति राज्य सरकार से सहायिकी	632.36	738.47
प्रश्मन प्रभारों के प्रति सहायिकी	6.00	31.46
कुल योग	**638.36**	**769.93**

विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटा

6.5 विद्यमान टैरिफ पर विव 2018–19 के लिये संशोधित राजस्व घाटा तथा 2019–20 के लिए प्रक्षेपित राजस्व घाटा नीचे सारणी में सारांशित किया गया है :

सारणी 51: विव 2018–19 तथा 2019–20 के लिए विद्यमान टैरिफ पर राजस्व घाटा (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 2018–19	विव 2019–20
समग्र राजस्व आवश्यकता (अ)	19,905	21,518
विद्यमान टैरिफ पर राजस्व (ब)	16,587	17,993
सहायिकी से पूर्व राजस्व घाटा (स = ब–अ)	(3,319)	(3,525)
राज्य सरकार से सहायिकी समर्थन (द)	638	770
सहायिकी के बाद राजस्व घाटा (ई = स+द)	(2,680)	(2,755)

6.6 जैसा कि ऊपर सारणी से देखा जा सकता है याचिकाकर्ता विव 2018–19 तथा विव 2019–20 में वर्तमान विद्युत दरों पर राजस्व घाटे में रहेगा।

अ 7 : राजस्व घाटे का उपचार

7.1 विधमान टैरिफ पर राजस्व घाटा 2755 करोड़ रू. प्रक्षेपित किया गया है। इस घाटे को पुरा करने के लिये याचिकाकर्ता विद्युत दरों में वृद्धि के अतिरिक्त विभिन्न उपाये करेगा।

7.2 यहा यह उल्लेख करना उचित होगा कि याचिकाकर्ता राजस्व घाटे को कम करने और समग्र कार्य क्षमता को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा हैं।

(अ) वितरण हानियों में कमी :

- कृषि और घरेलू फीडरों को अलग किया जा रहा है। यह कृषि प्रधान क्षेत्रों में वितरण हानियों को कम करेगा।
- कृषि उपभोक्ताओं को दो ब्लोक्स में विद्युत प्रदाये की जायेगी और दिन में सूर्य ऊर्जा से विद्युत प्रदाये होगी।
- कुसुम स्कीम के प्रारम्भ होने पर, डिस्कॉम ग्रिड से जुड़े हुये सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने की योजना बनायेगा। डिस्कॉम दिन में कृषि उपभोक्ताओ को इस बिजली को उपलब्ध करवा सकता है और इस तरह से वितरण हानियां कम हो सकती है। डिस्कॉम कुसुम स्कीम के अन्तर्गत ''स'' अवयव को वर्तमान सौर ऊर्जा पम्प सैटों के लिये ग्रिड से जोड़ने का विचार रखता है। इससे कृषको अपनी लागत को शून्य करने में मदद मिलेगी और अधिशेष ऊर्जा को डिस्कॉम को बेच कर अतिरिक्त आय कमाने में मदद करेगी। डिस्कॉम कृषि उपभोक्ताओं से होने वाली वितरण हानियों को कम करने में समर्थ होगा।
- विद्युत चोरी और दुरूपयोग कमी को सुनिश्चत करने के लिये सघन सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। 100 प्रतिशत उपभोक्ता इंडेक्सिंग पुरी हो चुकी है जिसके द्वारा अधिक हानियों वाले फीडरों की पहचान की जायेगी और इन फीडरों पर सतर्कता कार्यवाही की जायेंगी।
- वर्ष 2019–20 में वितरण ट्रांसफोर्मरो पर मीटर लगाये जायेगें। इससे अधिक वितरण हानियों वाले क्षेत्रों का विशलेष करने में मदद मिलेगी और वितरण हानियों को कम करने में सहायक रहेगी। इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी और दुरूपयोग की सही तरीके से पहचान हो सकेगी जिससे की सतर्कता कार्यवाहिया कि जा सके।

(ब) केपीआई की परिभाषा :

उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा उपलब्ध करवाने ओर वितरण तंत्र को मजबूत करने और अबाधित गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय करने के लिये डिस्कॉम ने अपने कर्मचारियों के लिये कुछ मापदण्ड निर्धारित किये है और इनको कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीयता रिर्पोट से जोड़ा है। जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी एक महत्वपूर्ण भुमिका अदा करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी जयपुर डिस्कॉम की समग्र कार्यक्षमता को सुधारने के लिये उत्तदायी है। केपीआई डिस्कॉम के कर्मचारीयों पुरुस्कृत और अच्छे कार्य करने वालों की पहचान करने के लिये आवश्यक है। इससे प्रत्येक कर्मचारी को डिस्कॉम के समग्र दृष्टिकोण को जोड़ने में और डिस्कॉम के विद्युत प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ता सेवा को सुधारने में मदद मिलेगी।

(स) राजस्व प्राप्ति में सुधार :

राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिये बहुत सारे उपाय किये जा रहे है। सूचना तकनीक के द्वारा मिटरिंग, बिलिंग और राजस्व संग्रह में मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा रहा है। एएमआर और पूर्व भुगतान मीटरों से राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(द) सूचना तकनीक के प्रयास :

जयपुर डिस्कॉम अपने व्यवसाये गतिविधियों में सूचना तकनीक के उपयोग से अपने विद्युत तंत्र के आंकडों की गुणवत्ता में वृद्धि का विचार रखता है, जो कि प्रभावी निगरानी करने में सहायक होगा और स्थाई क्रियात्मक व वित्तीय सुधारों को प्राप्त करने में सहायक होगा। इससे मानक कार्यवाहियों और कार्यो में नियंत्रण के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी और यूटिलिटी के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा।

- **कार्यक्षमता में सुधार** : विश्वसनिय और वास्तविक समय के आंकड़ों की उपलब्धता से ये सम्भव होगा की प्रतिदिन के कार्य अधिक क्षमता से किये जा सके और पश्चात्वर्ती उपाय करने के बजाय पूर्ववर्ती उपाय किये जा सकें।
- **ट्रांजेक्शन के नियंत्रण में वृद्धि** : सूचना तकनीक के निम्नतम स्तर तक उपयोग से यह सम्भव होगा की कहीं भी और किसी भी समय आंकड़ो का उपयोग किया जा सके।
- **कार्यो में स्थिर रहने वाले परिवर्तन** : सूचना तकनीक के उपयोग के द्वारा स्थिर सुधारों की नींव रखने में मदद मिलेगी। इससे क्रियात्मक स्तर के नियंत्रण और विश्वस्तर की प्रक्टिसों को सुनिश्चत करने में और यूटिलिटीज की समग्र स्थिति के सुधार में मदद मिलेगी।
- **सुरक्षा और विश्वसंनियता में वृद्धि** : वास्तविक समय की निगरानी और कहीं पर भी आंकड़ो की उपलब्धता से, ट्रिपींग,विद्युत तंत्र के बन्द होने, ट्रांसफोर्मरों का जलना इत्यादि का पूर्वानुमान किया जा सकेगा।
- **संगठन में पारदर्शिता और दायित्व में वृद्धि।**
- **समयानुसार नीतिगत निर्णय लेने में सहायता** : सूचना तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि विश्वसनीय आंकड़ो की उपलब्धता की वजह से बेहतर परिसम्पत्तियों का प्रबन्ध, निवेश की प्रार्थमिकतायें और विद्युत तंत्र की प्लानिंग इत्यादि की जा सकती हैं।
- **उपभोक्ता सेवा/शिकायत निवारण में सुधार** : सूचना तकनीक के उपयोग से उपभोक्ताओं से मित्रवत व्यवहार का वातावरण बनेगा जिससे की डिस्कॉम और उपभोक्तओं में जुड़ाव हो सकेगा। आधुनिक तकनीक का उपयोग त्रुटिरहित बिल, बिलों की शीघ्र डिलीवरी, राजस्व का सुगमता से संग्रह, शिकायतों का सुगमता से पंजीकरण और इनका शीघ्र निस्तारण, जो की उपभोक्ता संतुष्टिकरण की वृद्धि में सुधार करेगा।

  सूचना तकनीक के उपयोग के द्वारा संगठन को प्रगतिशिल बनाने के लिये डिस्कॉम को भविष्य में अतिरिक्त सूचना तंत्रो की आवश्यता हो सकती है। अतः सूचना तकनीक की समग्र नीति बनाते समय उन तंत्रो को भी ध्यान में रखा गया है।
- **पूर्व भुगतान मिटरिंग** : इससे बेहतर राजस्व संग्रह क्षमता और राजस्व प्राप्ति में सहायता मिलेगी।
- **विद्युत भार का अनुमान** : यह तकनीक ऊर्जा क्रय की योजना, विद्युत तंत्र योजना बनाने में और विद्युत मांग प्रबन्ध में लाभदायक सिद्ध होगी।
- **विद्युत मांग प्रबन्ध** : यह तकनीक उपभोक्ताओं को विद्युत के इस तरह उपयोग करने की विधि समझायी गयी जो की उपभोक्ता और डिस्कॉम दोनों को परस्पर लाभदायक हो।

- **आरएफआईडी आधारित इन्वेन्ट्री** : जयपुर डिस्कॉम के क्षेत्राधिकार में बेहतर इन्वेन्ट्री की व्यवस्था के लिये।
- **स्मार्ट ग्रिड** : वास्तविक समयानुसार और विद्युत वितरण की निगरानी के लिये।

(ई) सुरक्षा सम्बन्धित उपाय :

जयपुर डिस्कॉम में आम जनता और अपने कर्मचारीयों की सुरक्षा को अतिमहत्वपूर्ण माना है। डिस्कॉम द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन्न उपाये किये जा रहे हैं।

(i) फीडर सुधार कार्यक्रम

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

फीडर सुधार कार्यक्रम के निष्पादन हेतु 144.78 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं :

1. ढीले तारों को कसना
2. झुके हुये खम्भों को सीधा करना
3. पर्याप्त सतही क्लीयरेन्स प्रदान करने हेतु लम्बे फैलाव में, खम्भों की सन्निविष्टि
4. एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरूस्तीकरण
5. तीन फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों का दुरूस्तीकरण
6. अप्रचलित एबी केबिल का प्रतिस्थापन
7. एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की क्षमता संवर्धन
8. एकल फेज वितरण ट्रान्सफार्मरों की अर्थिंग
9. 33/11 केवी सब–स्टेशनों के समीपस्थ गांवों में तीन फेज तन्त्र की स्थापना
10. ढ़ीले एबी केबिल को कसना
11. ढ़ीले एबी केबिल को कसना
12. इन्श्यूलेटेड कनेक्टरों की स्थापना
13. दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन
14. ट्रान्सफार्मर पठन प्लेटफार्म आदि

(i i) सब–स्टेशन सुधार कार्यक्रम (सस्टेसुका)

प्रस्ताव के बारे में संक्षिप्त वर्णन

सब–स्टेशन सुधार कार्यक्रम के निष्पादन के लिए 0.12 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशिष्टतायें निम्नलिखित हैं :

1. अकार्यशील रोस्टर स्विचों का अवनमन प्रतिस्थापन
2. नये रोस्टर स्विचों की अधिष्ठापना
3. अकार्यशील सर्किट ब्रेकरों की मरम्मत/का प्रतिस्थापन
4. नये सर्किट ब्रेकरों की अधिष्ठापना
5. अकार्यशील फीडर मीटरों की प्रतिस्थापना

6. नये फीडर मीटरों की अधिष्ठापना
7. 33 केवी सब–स्टेशन/ पावर ट्रान्सफार्मरों आदि पर अर्थिंग का सुधार

(iii) प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामाजिक जागरुकता :

डिस्कॉम आम जनता को सुरक्षित और अच्छी सेवाये उपलब्ध करवाने हेतु अपने कर्मचारीयो के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा हैं।

7.3 इसके अतिरिक्त वर्तमान और प्रक्षेपित राजस्व अन्तर को कम करने और ऊर्जा के मूल्य की आंशिक वसूली के लिये याचिकाकर्ता निम्नानुसार प्रस्तावित करता हैं।

1. विद्युत दरों के संशोधन के द्वारा विद्युत विक्रय से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि करना।
2. बेहतर राजस्व प्रबन्ध के लिये टैरिफ यूक्तिकरण करना।

विद्युत दरों का संशोधन :

7.4 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि वर्ष 2019–20 तक संचित राजस्व घाटा 7140.91 करोड़ रू. हैं। अतः प्रस्तावित राजस्व अतंर को पूरा करने और भविष्य में ऊर्जा का संपूर्ण मूल्य प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वर्ष 2019–20 के लिये विद्युत दरें संशोधित की जाये।

टैरिफ यूक्तिकारण :

7.5 अग्र भागो में संशोधित विद्युत दरों के साथ ही याचिकाकर्ता टैरिफ यूक्तिकरण के उपाय भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता है जिससे कि राजस्व का प्रबन्ध बेहतर और राजस्व अतंर कम हो सके।

सघन ऊर्जा उद्योगों के लिये विशिष्ट टैरिफ :

7.6 उद्योगों का विकास, राज्य सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है और राज्य के वितरण निगम उद्योगों की वृद्धि के लिये मूल्य प्रभावी और विश्वसनीय विद्युत प्रदाय के लिये बहुत सारे उपाय कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उद्योग है जिन में विद्युत का मूल ही उद्योग का प्राथमिक मूल्य होता है। राज्य वितरण निगमों ने यह पाया है कि ऐसे उद्योग कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं।

7.7 ऐसे उद्योगों की वृद्धि के लिये, राज्य वितरण निगम एक नयी विद्युत श्रेणी प्रस्तावित करते है जिसमें की विद्युत दरें निम्न प्रकार होगी।

सारणी 52: 2019–20 के लिए सघन ऊर्जा उद्योग की विद्युत दरें

श्रेणी	स्थाई प्रभार (रू./केवीए/माह)	ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट/माह) (उपभोग कि गयी सभी यूनिटो के लिये)
सघन ऊर्जा उद्योग	350	6.00

7.8 उपरोक्त वरणित टैरिफ ऐसे उद्योगो जैसे कपड़ा मिल, इन्डेक्सन फर्निस जिसमें की माइल्ड स्टील का स्क्रेप काम में आता हो और माइल्ड स्टील री–रोलिंग मिल्स, क्लोरो एल्कलाईन यूनिटस रेल्वे ट्रेक्शन इत्यादि।

टाईम ऑफ डे टैरिफ :

7.9 राज्य विघुत वितरण निगम लगातार प्रयास कर रहे है कि बदलते हुये रैगुलेटरी वातावरण में ऐसी स्थिर प्रेक्टिसे अपनायी जायें जिनसे कि निगमो को लाभ हो। सामान्यतः आधार लॉड/मांग को पूरा करने के लिये ऊर्जा क्रय हेतु दीर्घावधि अनुबन्ध और उच्चतम मांग को पूरा करने के लिये लघुअवधि की ऊर्जा क्रय की जाती है। जहाँ तक सम्भव हो सके डिस्कॉम का लोड कर्व समतल रहना चाहिये। लोड कर्व को समतल करने के लिये एक ऐसा ही उपाय ''टाईम ऑफ डे टैरिफ'' है जिसमें की उच्चतम मांग के समय विद्युत उपयोग पर प्रभार लगाया जाता है और निम्नत्म मांग के समय छूट उपलब्ध करवायी जाती है यह उपाय उपभोक्ताओं को उच्चतम मांग से निम्नतम मांग के समय स्थानान्तरित करने के लिये प्रेरित करेगा जिससे की लोड कर्व को समतल करने में सहायता मिलेगी। देश में बहुत से राज्यों में इस तकनीक को अपनाया है जिसकी विधि निम्नानुसार हैं।

सारणी 53 : टीओडी टैरिफ अपनाने वाले राज्यों की सूची

राज्य	टीओडी टैरिफ (हां/नां)
राजस्थान	नां
पंजाब	हां
हरयाणा	हां
दिल्ली	हां
उत्तर प्रदेश	हां
बिहार	हां
मध्य प्रदेश	हां
गुजरात	हां
महाराष्ट्र	हां
तमिलनाडु	हां
आन्ध्र प्रदेश	हां
तेलांगना	हां
झारखण्ड	हां
चन्डीगठ	हां

7.10 वर्तमान में मैरिट आधार पर विद्युत संयत्रो को बन्द करवाने के बावजूद, रात्रि के समय डिस्कॉम के पास अधिशेष ऊर्जा रहती है जिसको की पावर एक्सचेन्ज में ऊर्जा क्रय के मूल्य की तुलना में बहुत कम मूल्य पर बेचा जाता हैं। राज्य वितरण निगमों द्वारा पावर एक्सचेन्ज में बेची गयी ऊर्जा का औसत मूल्य वर्ष 2018–19 में (शून्य घण्टों से 7 बजें तक) (निम्नतम मांग के घण्टे) 2.11 रू./यूनिट रहा हैं। जबकि वर्ष 2018–19 में ऊर्जा क्रय का औसत मूल्य 4.27 रू./यूनिट रहा है। इस

प्रकार वितरण निगम उन्ही घण्टों में बेची गयी ऊर्जा पर 2.16 रू./यूनिट की दर से नुकसान उठाते हैं।

7.11 राज्य के वितरण निगम अधिशेष ऊर्जा का उपचार करने में गम्भीर चुनौती का सामना करते है। टीओडी टैरिफ उपभोक्ताओं और डिस्कॉम को निम्न प्रकार से सहायता करेगी।

- टीओडी टैरिफ के समावेश की वजह से उपभोक्ता निम्नतम मांग के घण्टों के समय विद्युत उपभोग करने पर, ऊर्जा प्रभारो पर 10 प्रतिशत की छूट से लाभान्वित होगे।
- उसी समय डिस्कॉम को भी लाभ होगा क्योकि विद्युत संयत्रो को बार–बार बन्द नहीं करवाना पडेगा और राज्य का लॉड कर्व समतल रहेगा।

7.12 विभिन्न राज्यों के उच्चत्म मांग और निम्नतम मांग के घण्टों को निम्न सारणी में सारांशित किया गया हैं।

सारणी 54 : विभिन्न राज्यों में उच्चतम मांग और निम्नतम मांग के घण्टों का सारांश

राज्य	सीजनल/पूरे वर्ष	उच्चतम मांग का समय	निम्नतम मांग का समय	निम्नतम मांग के ब्लॉक्स	उच्चतम मांग ब्लॉक्स (घण्टों में)
पंजाब	सीजनल	4	8	1	1
हरयाणा	सीजनल	3.5	7.5	1	1
दिल्ली	सीजनल	6	6	1	2 (3,3)
उत्तर प्रदेश	सीजनल	6	6	1	1
बिहार	पूरे वर्ष	6	6	1	1
मध्य प्रदेश	पूरे वर्ष	4	8	1	1
गुजरात	पूरे वर्ष	8	0	0	2 (4,4)
महाराष्ट्र	पूरे वर्ष	7	8	1	2 (3,4)
तमिलनाडु	पूरे वर्ष	6	7	1	2 (3,3)
आन्ध्र प्रदेश	पूरे वर्ष	8	8	1	2 (4,4)
तेलांगना	पूरे वर्ष	8	8	1	2 (4,4)
झारखण्ड	पूरे वर्ष	8	8	1	2 (4,4)
चन्डीगठ	पूरे वर्ष	4	8	1	1

7.13 डिस्कॉम ऐसे वृहद उद्योगों के उपभोक्ताओं (एचटी–5) जिनका सम्बद्ध भार 150 एचपी से ऊपर हो और या 125 केवीए से अधिक की मांग हो, के लिये टीओडी टैरिफ प्रस्तावित करती है।ये वे उपभोक्ता हैं जिनका विद्युत उपभोग उच्चतम होता है और इस उपभोग के उच्चतम मांग के समय से निम्नतम मांग के समय में स्थानान्तरित होने से उनके मासिक बिल में महत्वपूर्ण कमी आयेगी। प्रयोज्य टैरिफ की विस्तृतिया निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी 55 : वर्ष 2019–20 के लिये वृहद उद्योगो की टीओडी टैरिफ

टीओडी	ऊर्जा प्रभारों पर छूट/प्रभार	प्रयोज्य ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)
उच्चतम मांग के घण्टे (सायं 07 बजें से रात्रि 11 बजें तक)	सामान्य टैरिफ + 10%	8.03
निम्नतम मांग के घण्टे (शून्य घण्टों से सुबह 06 बजें तक)	सामान्य टैरिफ - 10%	6.57

7.14 उपरोक्त वर्णित टैरिफ स्ट्रक्चर सघन ऊर्जा उद्योगो पर भी लागू होगा। इस श्रेणी के लिये उच्चतम मांग और निम्नतम मांग के दौरान प्रयोज्य विद्युत दरे निम्न प्रकार होंगी।

सारणी 56 : वर्ष 2019–20 के लिये सघन ऊर्जा उद्योगों की टीओडी टैरिफ

टीओडी	ऊर्जा प्रभारों पर छूट/प्रभार	प्रयोज्य ऊर्जा प्रभार (रू./यूनिट)
उच्चतम मांग के घण्टे (सायं 07 बजें से रात्रि 11 बजें तक)	सामान्य टैरिफ + 10%	6.60
निम्नतम मांग के घण्टे (शून्य घण्टों से सुबह 06 बजें तक)	सामान्य टैरिफ - 10%	5.40

शीघ्र भुगतान पर छूट :

7.15 एक प्रोत्साहन राशि 0.15 प्रतिशत की ऊर्जा और स्थाई प्रभारों पर दी जा रही है यदि बिल का भुगतान ड्यू दिनांक से 7 दिन पूर्व किया जाता है। याचिकाकर्ता ने अपनी पूर्व की याचिका में अपने नकदीकरण के प्रवाह में सुधार हेतु एक दूसरा प्रावधान प्रस्तावित किया था। तदनुसार याचिकाकर्ता ने भुगतान ड्यू दिनांक से 10 दिन पूर्व करने पर ऊर्जा और स्थाई प्रभारों पर अगले बिल में 0.35 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि प्रस्तावित की थी। माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2017 के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया है।

7.16 माननीय आयोग ने अपने 2014–15 के टैरिफ आदेश दिनांक 20.02.2015 में शीघ्र भुगतान पर 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि अनुमत की थी, यदि भुगतान 7 कार्य दिवसो से पूर्व प्राप्त हो। आगे आयोग ने अपने टैरिफ आदेश वर्ष 2016–17 और 2017–18 दिनांक 02.11.2017 में डिस्कॉम द्वारा 0. 35 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि को स्वीकार कर लिया था, यदि भुगतान तिथि से 10 दिन पूर्व भुगतान प्राप्त हो।

7.17 डिस्कॉम ने वर्तमान ऊर्जा और स्थाई प्रभारो पर 0.15 प्रतिशत की अगले बिल में शीघ्र भुगतान छूट की गणना के लिये संशोधन प्रस्तावित किया था, यदि भुगतान, भुगतान तिथि से 7 कार्य दिवसो पूर्व प्राप्त हो। इस प्रावधान में छूट के लिये कार्य दिवसो को लिया गया है। इस लिये डिस्कॉम ने शीघ्र भुगतान की गणना में कार्य दिवसो की जगह दिवस प्रस्तावित किया था।

7.18 यहां यह उल्लेखनिय है कि डिस्कॉम नकदी में प्रवाहीकरण के सुधार के लिये विधुत संयत्रो को

शीघ्र भुगतान करता है जिससे कि शीघ्र भुगतान छूट का लाभ उठाया जा सके। विधुत संयत्रो किये गये भुगतान पर छूट तभी लागु होती है जबकि भुगतान, भुगतान तिथि से कुछ दिनों पूर्व प्राप्त हो। यह प्रावधान छूट के लिये कार्य दिवसो का उपयोग नहीं करता है। याचिकाकर्ता ने 0.35 प्रतिशत कि शीघ्र भुगतान छूट प्रस्तावित करते समय 10 कार्य दिवसो कि जगह 10 दिवस प्रस्तावित किया था, यदि भुगतान 10 दिवस पूर्व प्राप्त हो।

7.19 यहा यह उल्लेखनिय है कि डिस्कॉम द्वारा उपरोक्त प्रावधान के कारण शीघ्र भुगतान छूट की गणना में कठिनाई महसूस की जा रही है।

7.20 ऐसे उदाहरण भी है 7 कार्य दिवसो के बीच में शनिवार रविवार को मिला कर 3 अवकाश आ जाते है जिससे की कुल अवधि 10 दिन हो जाती है। यह स्थिति भ्रम पैदा करती है क्याकि 7 कार्य दिवसो के हिसाब से शीघ्र भुगतान छूट 0.15 प्रतिशत बनती है और उपभोक्ता 0.35 प्रतिशत की छूट के लिये भी अधिकृत हो जाता है क्योकि उपभोक्ता ने अवकाशों को मिलाकर 10 दिन पूर्व भुगतान किया होता है।

7.21 याचिकाकर्ता उपभोक्ता के अगले बिल में ऊर्जा और स्थाई प्रभारो पर 0.15 प्रतिशत की शीघ्र भुगतान छूट के प्रावधान को 7 कार्य दिवसो की जगह 7 दिवस करने और ऊर्जा और स्थाई प्रभारो पर 0.35 प्रतिशत की भुगतान छूट को 10 कार्य दिवसो की जगह 10 दिवस की प्रार्थना करता है।

उद्योगों की परिभाषा

7.22 टैरिफ शिड्यूल में उद्योगों की कई प्रकार की श्रेणियां है जैसे कि लघु, मध्यम एल.टी., मध्यम एच.टी. और वृहद् उद्योग। इन श्रेणीयो पर एसपी/एलटी–5, एमपी/एलटी–6, एमपी/एचटी–3 और एलपी/एचटी–5 टैरिफ शिड्यूल लागु होता है।

7.23 टैरिफ की उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में उद्योगों की एक वृहत सूची है। कोई भी उपभोक्ता जो कि उद्योग उपरोक्त सूची में नहीं आता है वह अघरेलू श्रेणी में कवर होता है। इससे उपभोक्ता को शिकायत होती है।

7.24 इस तरह की शिकायतों से बचने के लिए और स्पष्टता के लिए याचिकाकर्ता माननीय आयोग से उपरोक्त उद्योगों की सूची के अतिरिक्त एक सामान्य उद्योग की परिभाषा उपलब्ध कराने की प्रार्थना करता है। याचिकाकर्ता यह भी सिफारिश करता है कि यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाये कि उपलब्ध कराई गई सूची मात्र सांकेतिक है।

7.25 डिस्कॉम माननीय आयोग के ध्यान में लाना चाहता है कि डिस्कॉम के फील्ड अधिकारियों द्वारा औद्योगिक कनेक्शनो पर टैरिफ लागु करने में कठिनाई महसुस कि जा रही है। बहुत सारे प्रकरणो में फील्ड अधिकारी उपभोक्ता को अघरेलु श्रेणी आवेदन करने के लिये कहते है क्योकि आवेदित

कनेक्शन औद्योगिक श्रेणी प्रयोज्यता में नहीं आता है।

7.26 उदाहरण के लिये पेपर प्लेटो को निर्माण, पेपर बाउल्स, जल शुद्धि करण संयत्र की इत्यादि औद्योगिक श्रेणी में प्रयोज्यता नहीं आती है और उपभोक्ता को अघरेलु श्रेणी आवेदन करने के लिये कहा जाता है।

7.27 विभिन्न श्रोतो से उद्योग की परिभाषा निम्नानुसार है :–

(अ) **ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी–** फैक्ट्री में सम्बन्धित कच्चे माल से सामग्री को तैयार करने के लिये की गयी आर्थिक गतिविधि।

(ब) **औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 का अनुच्छेद 2(ज)**– कोई भी व्यापार, अन्डर टेकिंग निर्माण, सेवा, रोजगार, हैन्डीक्राफ्ट और औद्योगिक गतिविधि।

(स) **एमएसएमई निति**– कोई भी उद्योग जो कि सामग्री के निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ हो जो औद्योगिक (विकास और विनियम अधिनियम 1951) के पहले शिड्यूल में वर्णित किसी उद्योग से सम्बन्धित हो या संयत्रो और मशीनरी का अंतिम उत्पाद बनाने के लिये उपयोग करता हो। निर्माण उद्योग संयत्रो और मशीनरी में निवेश के रूप में परिभाषित करता है।

(द) **विकिपीडिया**– उद्योग सामग्री का निर्माण या आर्थिक गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाएं है।

(ध) **कैम्ब्रिज डिक्शनरी–** ऐसी गतिविधिया अथवा कम्पनियां जो कि सामग्री के निर्माण में समिलित हों।

7.28 उपरोक्त परिभाषाओ के सांराश के रूप में लघु, मध्यम (एलटी और एचटी) और वृहद् उद्योगों की श्रेणीी के लिये वर्तमान प्रयोज्यता के साथ निम्नलिखित परिभाषा को जोड़ने का प्रस्ताव करता है

'' उद्योग एक ऐसा अधिष्ठापन है जो कि किसी प्रकार के संयत्र जो कि विद्युत से चलते हों, के द्वारा कच्चे माल की गतिविधि और सामग्री के निर्माण में लगा हुआ हो। ''

ऊर्जा वाहन चार्जिंग स्टेशन :

7.29 आज के विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा वाहन परिचर्चा का एक मुख्य बिन्दू है। केन्द्र सरकार ऊर्जा वाहनों में वृद्धि के लिये एक मिशन के तौर पर कार्य कर रही है। ऊर्जा वाहनों पर वर्ष 2019 के बजट में इन की वृद्धि के लिये विशेष जौर दिया गया है जिसमें की जीएसटी को कम किया गया है और ऊर्जा वाहन खरिदने वाले उपभोक्ताओं को करो में भी प्रौत्साहन को प्रत्सावित किया गया है।

यद्यपि ऊर्जा वाहन विद्युत निगमों को एक अद्वितीय चुनौती पेश करते है। जहाँ की इधन की बजाये विद्युत पर स्थानान्तरण के कारण विद्युत उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता होती है और क्लस्टर्ड चार्जिंग की समस्या को उत्पन्न करती है जो कि ग्रिड के लिये एक स्थानीय समस्या खड़ी कर सकती है। ऊर्जा वाहनों की वृद्धि के लिये आवश्यक है की ऊर्जा वाहनो की चार्जिंग और इसके प्रबन्धन के लिये ढांचा खड़ा हो। ऊर्जा वाहनो की अत्यधिक संख्या ग्रिड पर मुख्यतः निम्न विभव साइड में प्रभाव डालेगी।

7.30 मननीय आयोग ने अपने टैरिफ आदेश दिनांक 28.05.2018 में डिस्कॉमों को निर्देश दिया था कि वे ऊर्जा वाहनों को घरेलू टैरिफ श्रेणी में सम्मिलित करें। याचिकाकर्ता परिवहन के लिये सस्ती और वातानुकूलित व्यवस्था के विकल्प का समर्थन करता है। यद्यपि वर्तमान परिद्रश्य में वितरण निगमों का उपभोक्ता मिश्रण अनुदानित उपभोक्ता श्रेणियों की और संकुचित हुआ है। घरेलू श्रेणी का तात्पर्य है ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराना जो कि इसका उपयोग लाईट जलाने में, पंखे और घर–गृहस्थी के उपकरणों को चलाने में करते हों। वर्तमान में ऊर्जा वाहन वाणिज्यिक उपयोग के लिये या वित्तीय रूप से समर्थ उपभोक्ताओं द्वारा काम में लिये जा रहें है। घरेलू श्रेणी में ऊर्जा वाहनों को सम्मिलित करने पर अनुदानित उपभोक्ताओं के समूह में वृद्धि होगी और वितरण निगमों पर वित्तीय भार बढ़ेगा।

7.31 याचिकाकर्ता ने ऊर्जा वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिये अन्य राज्यों में प्रचलित विद्युत दरों का विशलेषण किया है जिसकी विस्तृत जानकारी निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी 57 : विभिन्न राज्यों में ऊर्जा वाहनों की विद्युत दरें

राज्य	श्रेणी
पंजाब	अघरेलू
दिल्ली	अघरेलू
आन्ध्र प्रदेश	वाणिज्यिक
हिमाचल प्रदेश	अघरेलू–अवाणिज्यिक
महाराष्ट्र	वाणिज्यिक
गुजरात	अघरेलू/वाणिज्यिक

7.32 पंजाब,दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य अघरेलू/वाणिज्यिक श्रेणी में इनको प्रभारित कर रहे हैं। क्योंकि चार्जिंग स्टेशन अंततः वाणिज्यिक गतिविधियां ही करते है, याचिकाकर्ता महसूस करता है कि ऊर्जा वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को अन्य राज्यों की तरह अघरेलू श्रेणी में प्रभारित करना चाहिये लेकिन ऊर्जा वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिये इनको मिक्स लोड श्रेणी, जिसकी टैरिफ अघरेलू श्रेणी से कम है, में रखने का प्रस्ताव करता हैं।

घरेलू और अघरेलू श्रेणी के लिये स्थाई प्रभार

7.33 वर्तमान टैरिफ प्रावर्धान के अनुसार स्थाई प्रभार, एलटी घरेलू और अघरेलू श्रेणी में पीछले वर्ष के औसत माह के उपभोग के आधार पर वसूल किये जाते है।

7.34 उपभोक्ताओं को बिल में वर्तमान उपभोग के आधार पर सही रूप से स्थाई प्रभारों की गणना में कठिनाई महसूस होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये याचिकाकर्ता सम्बन्धित बिलिंग माह के उपभोग के आधार पर स्थाई प्रभार प्रभारित करने का प्रस्ताव करता हैं।

7.35 एलटी घरेलू और अघरेलू श्रेणी के लिये स्थाई प्रभारों का नया प्रावधान निम्न प्रकार है।

'' स्थाई प्रभार सम्बन्धित माह में दर्ज हुये उपभोग के आधार पर वसूल किया जायेगा ''

लघु उद्योग श्रेणी से मध्यम उद्योग श्रेणी में परिवर्तन

7.36 वर्तमान में यदि लघु उद्योग श्रेणी का उपभोक्ता किसी माह में 25 एचपी से ऊपर सम्बद्ध भार उपयोग करता है तो वह उस माह में मध्यम उद्योग की श्रेणी में विपत्रित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वीकृत भार से अधिक दर्ज भार के प्रभार वसूल किये जायेगें।

7.37 लघु उद्योग श्रेणी मे नया प्रावधान निम्न प्रकार प्रस्तावित किया गया है।

'' लघु उद्योग श्रेणी में यदि कोई उपभोक्ता किसी माह में 25 एचपी से अधिक सम्बद्ध भार उपयोग करता है तो वह उपभोक्ता उस माह में मध्यम औद्योगिक श्रेणी में विपत्रित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वीकृत भार से अधिक दर्ज भार के प्रभार वसूल किये जायेगें। ''

एलटी से एचटी श्रेणी में परिवर्तन

7.38 एलटी से एचटी श्रेणी में परिवर्तन का वर्तमान में प्रावधान निम्न प्रकार है।

''17½ एक वित्तीय वर्ष में यदि अधिकतम मांग यदि दो बार से अधिक 50 केवीएस से ऊपर जाती है तो उपभोक्ता का एलटी से एचटी श्रेणी में परिवर्तन प्रभावी होगा। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम मांग तीसरी बार 50 केवीएस से ऊपर जाने पर उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियंता द्वारा जारी नोटिस से दो माह की अवधि में 11केवी पर कनेक्शन लेना होगा जिसमें असफल रहने पर उसका कनेक्शन काट दिया जायेगा। ''

7.39 डिस्कॉम उक्त एलटी श्रेणी से एचटी श्रेणी में जाने के प्रावधान को निम्न प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव करता है।

'' यदि किसी एलटी उपभोक्ता की किसी माह में अधिकतम मांग 50केवीए से ऊपर जाती है तो 3 प्रतिशत ट्रांस्फोर्मेशन हानियों और ट्रांसफोर्मर के किराये के अतिरिक्त उपभोक्ता को स्वीकृत मांग से अधिका मांग के लिये मांग प्रभार का भुगतान करना होंगा।

''

मध्यम उद्योग (एचटी) से वृहद् उद्योग श्रेणी में परिवर्तन

7.40 वर्तमान में यदि किसी मध्यम उद्योग एचटी श्रेणी के उपभोक्ता की अधिकतम मांग किसी माह में 125 केवीए से अधिक जाती है तो उससे सिर्फ मध्यम उद्योग (एचटी) श्रेणी की टैरिफ वसूल की जाती है। इस तरह की बार–बार स्थिती से बचने के लिये डिस्कॉम निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित करता है।

'' वर्तमान में यदि किसी मध्यम उद्योग एचटी श्रेणी के उपभोक्ता की अधिकतम मांग किसी माह में 125 केवीए से अधिक जाती है तो मांग प्रभारों के अतिरिक्त उसको उस माह में वृहद् उद्योग की श्रेणी में विपत्रित किया जायेगा। ''

प्रस्तावित विद्युत दरों में वृद्धि :

7.41 सर्वसाधारण के हित मे डिस्कॉम बीपीएल और लघु घरेलू उपभोक्ताओं के लिये, जो कि 57.85 लाख और राजस्थान के कुल उपभोक्ताओं का 41 प्रतिशत हैं, कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं कर रहा है। ऐसे लघु उपभोक्तओं जिनकी विद्युत दरों में वृद्धि शून्य है, की विस्तृत जानकारी निम्न सारणी में सारांशित कि गयी है।

सारणी 58 : शून्य विद्युत दरों में वृद्धि के उपभोक्ता संख्या

श्रेणी	उपभोक्ता (लाख)
राज्य के कुल उपभोक्ता	**142.21**
बीपीएल	**15.80**
लघु घरेलू	**42.05**
बिना वृद्धि वाले उपभोक्ता	**57.85 (41%)**

7.42 100 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले अघरेलू उपभोक्ताओ के ऊर्जा प्रभारो में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गयी है।

7.43 औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस भार से बचाने के लिये लघु, मध्यम और वृहद औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गयी है।

7.44 याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि उपभोक्ताओं को टैरिफ के सदमें से बचाने के लिये **11. 82** प्रतिशत की एक सामान्य वृद्धि की गयी है।

7.45 माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 28.05.2018 में लिखा था कि ''स्थाई और परिवर्तशील प्रभारों में लगातार असंतुलन है। आदर्श रूप से टैरिफ में स्थाई प्रभारों से प्राप्त होने वाला राजस्व डिस्कॉम की स्थाई लागत को प्रतिबिंबित करना चाहिये। लेकिन वर्तमान परिदर्शय में स्थाई प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों से प्राप्त होने वाला राजस्व 13:87 के अनुपात में हैं (वर्ष 2019–20 के लिये विद्यमान विद्युत दरों पर)। इस प्रकार माननीय आयोग के उपरोक्त लक्ष्य के अनुसार याचिकाकर्ता ने विभिन्न श्रेणीयों के स्थाई प्रभारों में सामान्य वृद्धि प्रस्तावित की है।

7.46 प्रस्तावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुये संशोधित विद्युत दरें की विस्तृत जानकारी अगले भागों में दी गयी है।

अ 8 : प्रस्तावित विद्युत दरों में वृद्धि का शिड्यूल :

याचिकाकर्ता वर्ष 2019–20 के लिये विद्यमान विद्युत दरों में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित करता है।

घरेलू श्रेणी

8.1 टैरिफ की प्रयोज्यता

- आवासीय उपभोक्ता जो कि बिजली का घरेलू उद्श्य उपयोग करते है जैसे कि लाईट, पंखे, रेडियों, टेलीविजन, हीटर, कुकर, रेफ्रीजरेटर, पम्प, ग्राइन्डर और दूसरे घरेलू उपकरण।
- ऐसे शिक्षण केन्द्रों को उपलब्ध जो कि मांसिक और शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये हो, किशोर गृह संस्था, अनाथालय, लैपर होम्स और सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा पंजिकृत/मान्यता प्राप्त यतिम खाने, 5 किलो वाट तक के स्वीकृत संबद्ध भार के पूजा स्थल, वृद्धाश्रम मदर टैरेसा हॉम्स, मोक्ष धाम, सीमेट्री, कब्रिस्तान, सार्वजनिक जल प्याऊ जो कि सभी लोगों को निशुल्क पेयजल उपलब्ध करवाती है।

- सरकार द्वारा संचालित/माननीयता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के हॉस्टल, पंजीकृत चेरी टेबिल संस्थायें और ऐसे हॉस्टल (ट्रांजिट हॉस्टल/वर्किंग हॉस्टलों को छोड़कर) जो कि विद्यार्थियों के आवास के उपयोग में आते हो।
- सरकार द्वारा संचालित सभी विद्यालय।
- गौशालायें।
- मंदिर परिधि में स्थित धर्मशालाओं पर घरेलू श्रेणी लागू होगी।
- घरेलू उपयोग में आने वाले फार्म हाऊस, राज्य सरकार के मिड डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्यूनिटी किचिन और ग्रामिण विकास और पंचायिती विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार स्थापित कम्यूनिटी किचिन।
- किसी संगठन के आवासीय क्वार्टर/कॉलोनी जो कि घरेलू उपयोग में आते हों, के लिये भी उपलब्ध बशर्ते कि वहा पर कनेक्शन जारी करने के लिये जयपुर डिस्कॉम का विद्युत तंत्र मौजूद हो।

  एक अकेले कनेक्शन की स्थिति में जिनकी मांग 50 केवी से अधिक हो सप्लाई वॉल्टेज इस शिड्युल के अनुच्छेद (ब) में निर्धारित शिड्युल के अनुसार लिये जायेगें। ऐसे उपभोक्ताओं की विलिंग इस टैरिफ शिड्युल के अन्य उपभोक्ताओं की तरह की जायेगी।

8.2 याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थाई प्रभारों में निम्न सारणी के अनुसार वृद्धि प्रस्तावित करता है।

सारणी संख्या–59 : वर्ष 2019–20 के लिए घरेलू श्रेणी की प्रस्तावित टेरिफ

विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
घरेलू (डी.एस./ए.टी–1)					
बी.पी.एल. और आस्था कार्ड होल्डर*					
50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	3.50 रू./यूनिट	100 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	3.50 रू प्रति यूनिट	100 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
लघू घरेलू (50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)**					
50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	3.85 रू./यूनिट	100 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	3.85 रू प्रति यूनिट	100 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
सामान्य घरेलू–1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)			सामान्य घरेलू–1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)		
50 यूनिट प्रतिमाह तक	3.85 रू./यूनिट	200 रू प्रति कनेक्शन	150 यूनिट प्रतिमाह तक	5.75 रू प्रति यूनिट	230 रू प्रति कनेक्शन

का उपभोग		प्रतिमाह	का उपभोग		प्रतिमाह
50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.10 रू. प्रति यूनिट				
सामान्य घरेलू–2 (300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)			सामान्य घरेलू 2 (300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)		
50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	3.85 प्रति यूनिट	220 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	5.75 रू प्रति यूनिट	275 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.10 रू. प्रति यूनिट				
150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.40 रू. प्रति यूनिट		150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रू प्रति यूनिट	
सामान्य घरेलू–3 (500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)			सामान्य घरेलू–3 (500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)		
50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	3.85 प्रति यूनिट	265 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	5.75 रू प्रति यूनिट	345 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.10 रू. प्रति यूनिट				
150 यूनिट से ऊपर और 300	6.40 रू. प्रति यूनिट		150 यूनिट से ऊपर और 300	7.35 रू प्रति यूनिट	

यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग			यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग		
300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.70 रू. प्रति यूनिट		300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रू प्रति यूनिट	
सामान्य घरेलू–4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)			सामान्य घरेलू–4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)		
50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	3.85 प्रति यूनिट	285 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	सम्पूर्ण उपभोग प्रतिमाह के लिए	7.95 रू प्रति यूनिट	430 रू प्रति कनेक्शन प्रति माह
50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.10 रू. प्रति यूनिट				
150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग					
300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.70 रू. प्रति यूनिट				
500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.10 रू. प्रति यूनिट				
एच.टी घरेलू (डी.एस/एच.टी–1)			एच.टी घरेलू (डी.एस/एच.टी–1)		

50 के.वी.ए. से ऊपर की स्वीकृत मांग	6.15 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 190 रू प्रति के.वी.ए.	50 के.वी.ए. से ऊपर की स्वीकृत मांग	7.10 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 250 रू प्रति के.वी.ए.

* बी.पी.एल., आस्था कार्ड धारक और लघू घरेलू उपभोक्ताओं के लिये सरकारी अनुदान सरकार के आदेशानुसार

नोट : बीपीएल और आस्था कार्ड धारक की घरेलू टैरिफ एकल उपभोक्ता पर ही लागू होगी और यह किसी संस्था पर लागू नहीं होगी। यदि बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघू घरेलू उपभोक्ता किसी बिलिंग चक्र में 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर उपभोग करते है तो उपभोक्ता पर एलटी–1 के अन्तर्गत अतिरिक्त यूनिटों के उपभोग पर सम्बन्धित स्लेब लागू होगी।

** ऊर्जा उपभोग 50यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं होने पर ही सहायिकी देय होगी।

8.3 याचिकाकार्ता संशोधीत ऊर्जा, स्थाई प्रभारों और उपरोक्त सारणी में उपलबध करवायी गई स्लेबों को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

8.4 स्थायी प्रभार सम्बन्धित बिलिंग माह में हुये ऊर्जा उपभोग के आधार पर वसूल किये जायेगें।

अघरेलू श्रेणी (एन.डी.एस) :–

8.5 टैरिफ की प्रयोज्यता

- इस शिड्युल में वे सभी श्रेणीयॉ सम्मलित है जो कि भाग–1 के टैरिफ शिड्युल में सम्मलित नहीं है जैसे डी.एस./एल.टी–1, पी.एस.एल/एल.टी–3, ए.जी/एल.टी–4, एस.पी./एल.टी–5, एम.पी./एल.टी–6, एम.एल./एल.टी–7 और दुकाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान, 5 किलोवाट से ऊपर के सम्बद्व भार के पूजा स्थल सम्मलित।
- सभी हॉस्टल जो घरेलू श्रेणी में सम्मलित नहीं है।
- सभी मन्दिर परिसर में स्थित धर्मशालाओं को छोडकर सभी धर्मशालाऐं।
- ट्राजिट/वर्किग हॉस्टल्स, रेस्टोरेन्ट, पेट्रोलपम्पस, सर्विस स्टेशनस, गैरेज, ओडिटोरियम, सीनेमा,
- शैक्षिण संस्थाओं, हॉस्पीटल, नर्सिग होम, डिस्पेनसरी, ऐसे किलिनक जो कि सरकार द्वारा मेन्टन और चलाऐं नहीं जाते है, सभी टेलीफोन ऑपरेटर (बी.एस.एन.एल अथवा

अन्य), टेलीफोन/मोबाईल एक्सेचेंज/सम्बन्धित कार्यालयों को सम्मलित करते हुये स्वीचेज, रेडियों स्टेशन, टेलीविज स्टेशन और उनके ट्रांसमिटर (सरकार द्वारा संचालित को सम्मलित करते हुये), विवाह स्थल, जोजाबा की खेती, नर्सिरी इत्यादि और घरेलू परिसर के ऐसे भाग जो कि व्यापार के लिए काम में लिये जाते है अथवा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के काम में लिये जाते हो और अघरेलू संस्थान।

- अधिवक्ताओं के ऐसे कार्यालय जो कि उनके आवास पर स्थित नहीं हो।

8.6 याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थायी प्रभारों में वृद्वि प्रस्तावित करता है जो कि निम्न सारणी में उपलब्ध करवाई गई है।

सारणी संख्या 60 : वर्ष 2019–20 के लिए अघरेलू श्रेणी में प्रस्तावित टैरिफ

<table>
<tr><td colspan="3">विद्यमान टैरिफ</td><td colspan="3">प्रस्तावित टैरिफ</td></tr>
<tr><td>विशिष्टियॉ</td><td>ऊर्जा प्रभार</td><td>स्थाई प्रभार</td><td>विशिष्टियॉ</td><td>ऊर्जा प्रभार</td><td>स्थाई प्रभार</td></tr>
<tr><td colspan="6">अघरेलू (एन.डी.एस./एल.टी–2)</td></tr>
<tr><td colspan="3">एन.डी.एस. 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार, 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–1)</td><td colspan="3">एन.डी.एस. 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार, 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–1)</td></tr>
<tr><td>प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग</td><td>7.55 रू प्रति यूनिट</td><td>230 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह</td><td>100 यूनिट प्रतिमाह तक का सम्पूर्ण उपभोग</td><td>7.55 रू प्रति यूनिट</td><td>300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td colspan="3">एन.डी.एस. 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार, 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–2)</td><td colspan="3">एन.डी.एस. 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार, 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप–2)</td></tr>
<tr><td>प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग</td><td>7.55 रू प्रति यूनिट</td><td rowspan="2">230 प्रति कनेक्शन प्रतिमाह</td><td rowspan="2">200 यूनिट प्रतिमाह तक का सम्पूर्ण उपभोग</td><td rowspan="2">8 रू प्रति यूनिट</td><td rowspan="2">300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह</td></tr>
<tr><td>100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग</td><td>8.00 रू प्रति यूनिट</td></tr>
<tr><td colspan="3">एन.डी.एस. 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार, 500 यूनिट प्रतिमाह तक का</td><td colspan="3">एन.डी.एस. 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार, 500 यूनिट प्रतिमाह तक का</td></tr>
</table>

उपभोग (टाईप–3)			उपभोग (टाईप–3)		
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	275 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	500 यूनिट प्रतिमाह तक का सम्पूर्ण उपभोग	8.35 रू प्रति यूनिट	440 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.00 रू प्रति यूनिट				
200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.35 रू प्रति यूनिट				
एन.डी.एस. 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार, 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग (टाईप–4)			एन.डी.एस. 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बंद्व भार, 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग (टाईप–4)		
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	330 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रतिमाह का सम्पूर्ण उपभोग	9.30 रू प्रति यूनिट	660 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.00 रू प्रति यूनिट				
200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.35 रू प्रति यूनिट				

500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.80 रू प्रतियूनिट				
एन.डी.एस. स्वीकृत सम्बंद्व भार 5 किलोवाट से ऊपर (एल.टी. स्पलाई) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग					
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	सम्बंद्व भार का 95 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह	100 यूनिट प्रतिमाह तक का सम्पूर्ण उपभोग	7.55 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार भार का 190 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.00 रू प्रति यूनिट		200 यूनिट प्रतिमाह तक का सम्पूर्ण उपभोग	8.00 रू प्रति यूनिट	
200 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	8.35 रू प्रति यूनिट		500 यूनिट प्रतिमाह तक का सम्पूर्ण उपभोग	8.35 रू प्रति यूनिट	
500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.80 रू प्रतियूनिट	सम्बंद्व भार का 105 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 190 रू प्रति के.वी.ए. (यदि सम्बंद्व भार 18.65 किलोवाट से अधिक है	प्रतिमाह का सम्पूर्ण उपभोग	9.30 रू प्रतियूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 210 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 380 रू प्रति के.वी.ए. (यदि सम्बंद्व भार18.65 किलोवाट से

		तो)			अधिक है तो)
अघरेलू (एन.डी.एस/एच.टी–2) (50 के.वी.ए. से ऊपर की संविदा मांग)					
सम्पूर्ण यूनिट	8.35 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 190 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	सम्पूर्ण यूनिट	8.35 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 380 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

8.7 स्थायी प्रभार सम्बन्धित बिलिंग माह में हुये ऊर्जा उपभोग के आधार पर वसूल किये जायेगें।

8.8 याचिककर्ता माननीय आयोग्य संशोधित ऊर्जा और स्थायी प्रभारों और उपभोग की स्लैबों को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता हैं

पी.एस.एल. :–

8.9 इस श्रेणी में टैरिफ की प्रयोज्यता में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

8.10 याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थायी प्रभारों में वृद्वि प्रस्तावित करता है, जो कि नीचे सारणी में दर्शायी गई है।

सारणी–61: वर्ष 2019–20 के लिए पी.एस.एल श्रेणी में प्रस्तावित वृद्वि

विद्यमान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
1 लाख से कम जनसंख्या	6.55 रू प्रति यूनिट	85 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 850 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)	1 लाख से कम जनसंख्या	7.55 रू प्रति यूनिट	115 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 1150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)
1 लाख या उससे अधिक	7.05 रू प्रति यूनिट	105 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह	1 लाख या उससे अधिक	8.10 रू प्रति यूनिट	145 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह

जनसंख्या		(अधिकतम 2100 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)	जनसंख्या		(अधिकतम 2835 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)

कृषि मीटर्ड श्रेणी –

8.11 इस श्रेणी में टैरिफ की प्रयोज्यता में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया हैं ।

8.12 याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थायी प्रभारों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है जो कि निम्न सारणी में उपलबध करवाये गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि राज्य सरकार कृषि मीटर्ड श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रर्याप्त अनुदान का समर्थन जारी रखेगी।

सारणी–62: वर्ष 2019–20 के लिए कृषि मीटर्ड श्रेणी के लिये प्रस्तावित टैरिफ

विद्यमान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	4.75 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 15 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह (अधिकतम 250 रू प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता)	सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	5.55 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह (अधिकतम 500 रू प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता)
वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में कवर नहीं होते है और	6.05 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह (अधिकतम	वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में कवर नहीं होते है और	7.10 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह (अधिकतम

जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।		500 रू प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता)	जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।		1000 रू प्रतिमाह प्रति उपभोक्ता)

8.13 याचिकाकर्ता माननीय आयोग्य से उपरोक्त सारणी के अनुसार संशोधित ऊर्जा और स्थायी प्रभारों को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

कृषि फ्लेट रेट/अनमीटर्ड –

8.14 इस श्रेणी की प्रयोज्यता में किसी प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावति नहीं है।

8.15 याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थायी प्रभारों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जो कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

8.16 उपरोक्त के अतिरिक्त याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि राज्य सरकार कृषि फ्लेट रेट श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रर्याप्त अनुदान का समर्थन जारी रखेगी।

सारणी 63 : वर्ष 2019–20 के लिए कृषि फ्लेट रेट श्रेणी के लिये प्रस्तावित टैरिफ

विद्यमान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	635 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 15 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	745 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
		अधिकतम 250 रू प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह			अधिकतम 500 रू प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह
वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में कवर नहीं	765 रू प्रतिम एच. पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में कवर नहीं	895 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह

होते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।		अधिकतम 500 रू प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह	होते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।		अधिकतम 1000 रू प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह

8.17 याचिकाकर्ता माननीय आयोग्य से उपरोक्त सारणी के अनुसार संशोधित ऊर्जा और स्थायी प्रभारों को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

लघु उघोग –

8.18 टैरिफ की प्रयोज्यता

- यह टैरिफ लघु औघोगिक उपभोक्ताओं, प्रिन्टींग प्रेस, सरकारी लिफ्ट सिंचाई प्रयोजनाऐं, कोटेज उघोग (जैसे कि जरी का निर्माण, चांदी और सोने के तारों का निर्माण, जैम स्टोन की पॉलिशिंग, हैचरीज, रीको के द्वारा औघोगिक क्षेत्र में जल प्रदाय।)
- सार्वजनिक जल प्रदाय योजना और स्थानीय निकायों द्वारा जल प्रदाय, आई.जी.एन.पी. द्वारा सिपेज वाटर को वापिस पम्प करना।
- अपशिष्ट उपचार संयत्र और आर.ओ. प्लान्टस।
- हस्त उधोग, टैक्सटाईल, छपाई और प्रिन्टींग औघोग, कोल्ड स्टोरेज, आई.टी. की सॉफ्टवेयर ईकायॉ, आटा मील जिनका कि कुल सम्बंद्व भार 18.65 किलोवाट (25 एच.पी. से अधिक नहीं हो)

8.19 याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थायी प्रभारों में वृद्वि के लिये प्रस्ताव करता है जो कि निम्न सारणी में दर्शाये गये है।

सारणी 64 : वर्ष 2019–20 के लिए लघु औघोगिक श्रेणी मे वृद्वि के लिये प्रस्तावित टैरिफ

विद्यमान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
लघु औधोगिक सेवा (एल.टी.–5) (18.65 किलोवाट के अधिक भार नहीं, 25 एच.पी)					
500 यूनिट तक उपभोग	6 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 65 रू प्रति एच.पी.	500 यूनिट तक उपभोग	6 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 80 रू प्रति एच.पी.

		प्रतिमाह			प्रतिमाह
500 यूनिट से ऊपर का उपभोग	6.45 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 65 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	500 यूनिट से ऊपर का उपभोग	6.45 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 110 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह

मध्यम उधोग :–

8.20 इस श्रेणी के निम्नलिखित उपभोक्ताओं की टैरिफ की प्रयोज्यता में निम्नलिखत उपभोक्ताओं को सम्मलित करना प्रस्तावित है।

- अपशिष्ट उपचार संयत्र और आर.ओ. प्लान्टस।

8.21 याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थायी प्रभारों में वृद्वि के लिये प्रस्ताव करता है जो कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 65 : वर्ष 2019–20 के लिए मध्यम औधोगिक श्रेणी मे वृद्वि के लिये प्रस्तावित टैरिफ

विद्मान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
मध्यम औधोगिक सेवा (एल.टी–6 और एच.टी–3)					
मध्यम औधोगिक सेवा (एल.टी–6)	7 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 75 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 165 रू प्रति के.वी.ए.	मध्यम औधोगिक सेवा (एल.टी–6)	7 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 115 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 230 रू प्रति के.वी.ए.

		प्रतिमाह			प्रतिमाह
मध्यम औधोगिक सेवा (एच. टी–3)	7 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 165 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मध्यम औधोगिक सेवा (एच. टी–3)	7 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 230 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

8. 22

याचिकाकर्ता ने एक वित्तीय वर्ष में आधार वर्ष से अधिक ऊर्जा उपभोग के लिये मध्यम उद्योग (एचटी) के ऊर्जा प्रभारों में 0.55 रू. प्रति यूनिट की छूट के लिये एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से उस याचिका और प्रस्तावित छूट को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

मिक्स लोड –

8.23 टैरिफ की प्रयोज्यता

- अपंजीकृत/गैर मान्यता प्राप्त अनाथाल्य, लेपर होम्स, सामाज कल्याण विभाग या और किसी सरकारी ऐजेन्सी के द्वारा संचालित, सरकार अथवा सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा संचालित यतीमखाना, रेल्वे, सरकार/स्थानीय निकायों के सार्वजनिक उघान, छावनी, सुरक्षा प्रतिष्ठान।
- ऊर्जा वाहनों के चार्जिग के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- हवाई अड्डे और हॉस्पीटल, डिस्पेन्सरी सरकार/सरकारी एजेन्सी द्वारा संचालित क्लीनिक और नृसिंग होम, हिटिंग, पम्पिंग, 50 के.वी.ए. तक की औघोगिक और स्ट्रीट लाईटिंग

8.24 याचिकाकर्ता इस श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेद को हटाने का प्रस्ताव करता है।

''इस श्रेणी के किसी विशिष्ट भार को अलग किया जाता है तो उसकी बिलिंग सम्बन्धित श्रेणी में की जायेगी। बचे हुये भार में यदि कोई एक प्रकार का भार प्रधानता में है अर्थात 75 प्रतिशत या उससे अधिक है तो प्रधान लोड की टैरिफ प्रयोज्य होगी। यदि किसी भी लोड की प्रधानता नहीं है तो बचे हुये लोड पर मिक्स लोड की टैरिफ प्रयोज्य होगी। ''

8.25 याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थायी प्रभारों में वृद्वि प्रस्तावित करता है जो कि निम्न सारणी में दर्शायी गई है।

सारणी 66: वर्ष 2019–20 के लिए मिक्स लोड श्रेणी की प्रस्तावित टैरिफ

विद्मान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
मिक्स लोड श्रेणी (एल.टी.–7 और एच.टी–4)					
मिक्स लोड सेवा (एल.टी–7)	7 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 75 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 165 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मिक्स लोड सेवा (एल.टी–7)	8.05 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत सम्बंद्व भार का 105 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड का 215 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह
मिक्स लोड सेवा (एच.टी–4)	7 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 165 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	मिक्स लोड सेवा (एच.टी–4)	8.05 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 215 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

8.26 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से संशोधित ऊर्जा और स्थायी प्रभारों को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

वृहद उधोग –

8.27 टैरिफ की प्रोज्यता –

- वृहद औधोगिक उपभोक्ता, प्रिन्टींग प्रेस, सरकारी लिफ्ट सिंचाई प्रयोजनाऐं, आई.ओ.सी./एच.

पी.सी. इत्यादि

- अपशिष्ट उपचार संयत्र और आर.ओ. प्लान्टस।
- जयपुर मेट्रो और इसके सभी प्रतिष्ठान
- पम्पिंग स्टेशन, हैचरीज, रीको द्वारा औघोगिक क्षेत्र में पानी की सप्लाई, स्थानीय निकायों द्वारा जल प्रदाय, आई.जी.एम.पी के द्वारा सीपेज वाटर को वापिस पम्प करना, हस्त उधोग कपडा मील, छपाई और प्रिन्टींग उधोग, कोल्ड स्टोरेज,
- स्फोटवेयर ईकायॉ और आटा मील जिनका स्वीकृत भार 150 एच.पी. से अधिक है और या 125 के.वी.ए. से ऊपर की संविदा मांग है। इस शियड्यल में उपभोक्ता 125 के.वी.ए. से कम संविदा मांग भी रख सकता है।

8.28 याचिकाकर्ता ऊर्जा और स्थायी प्रभारों में वृद्वि प्रस्तावित करता है जो कि निम्न सारणी में दर्शायी गई है।

सारणी 67 : वर्ष 2019–20 के लिए वृहद औघोगिक श्रेणी मे वृद्वि के लिये प्रस्तावित टैरिफ

विद्मान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
वृहद औधोगिक सेवा (एच.टी–5)					
स्वीकृत संबद्व भार 150 एच.पी. से अधिक और या अधिकतम मांग 125 के.वी.ए. से ऊपर	7.30 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 185 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	स्वीकृत संबद्व भार 150 एच.पी. से अधिक और या अधिकतम मांग 125 के.वी.ए. से ऊपर	7.30 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

8.29 विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ऊर्जा प्रभार निम्न प्रकार है।

सारणी–68 वर्ष 2019–20 के लिए वृहद औघोगिक उपभोक्ता के लिये विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ऊर्जा प्रभार

प्रस्तावित टैरिफ*		
वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
11 के.वी.	7.300	बिलिंग डिमाण्ड का 270 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह
33 के.वी	7.081	
132 के.वी.	7.008	
220 के.वी.	6.935	

* उपरोक्त छूट के अलावा वृहद औघोगिक श्रेणी के लिये कोई वॉल्टेज छूट प्रयोज्य नहीं होगी।

8.30 याचिकाकर्ता ने एक वित्तीय वर्ष में आधार वर्ष से अधिक ऊर्जा उपभोग के लिये वृहद् उद्योगो के ऊर्जा प्रभारों में 0.85 रू. प्रति यूनिट की छूट के लिये एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से उस याचिका और प्रस्तावित छूट को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

सघन ऊर्जा उधोग –

8.31 टैरिफ की प्रयोज्यता

- यह टैरिफ कपडा मील, माईल्ड स्टील स्क्रेप को उपयोग में लाने वाली इन्डक्शन फरनेस, कलोरोएलक्लाईन ईकायॉ और रेल्वे ट्रैक्शन।

8.32 याचिकाकर्ता इस श्रेणी के लिये निम्न टैरिफ प्रस्तावित करता है।

सारणी 69 : वर्ष 2019–20 के लिए सघन ऊर्जा उधोग के लिये प्रस्तावित टैरिफ

प्रस्तावित टैरिफ		
विशिष्टियॉ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
सघन ऊर्जा उधोग (एच.टी–6)		
स्वीकृत संबद्व भार 150 एच.पी. से अधिक और या अधिकतम मांग 125 के.वी.ए. से ऊपर	6 रू प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 350रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

8.33 विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ऊर्जा प्रभार निम्न प्रकार है।

सारणी–70 वर्ष 2019–20 के लिए सघन ऊर्जा उधोग के लिये विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ऊर्जा प्रभार

प्रस्तावित टैरिफ*		
वोल्टेज स्तर	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
11 के.वी.	6.00	बिलिंग डिमाण्ड का 350 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह
33 के.वी	5.82	
132 के.वी.	5.76	
220 के.वी.	5.70	

* उपरोक्त छूट के अलावा सघन ऊर्जा उधोग के लिये कोई वॉल्टेज छूट प्रयोज्य नहीं होगी।

8.34 याचिकाकर्ता ने एक वित्तीय वर्ष में आधार वर्ष से अधिक ऊर्जा उपभोग के लिये वृहद् उद्योगो के ऊर्जा प्रभारों में 0.85 रू. प्रति यूनिट की छूट के लिये एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता उसी छूट को सघन ऊर्जा उद्योग की श्रेणी के लिये भी लागू करने का प्रस्ताव करता है माननीय आयोग से उस याचिका और प्रस्तावित छूट को अनुमोदित करने की प्रार्थना करता है।

8.35 याचिकाकर्ता रेल्वे ट्रेक्शन उपभोक्ताओं के लिये बिलिंग डिमाण्ड का 350 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह में छूट प्रस्तावित करता है। इस प्रकार रेल्वे ट्रेक्शन के उपभोक्ताओं पर सिर्फ ऊर्जा प्रभार प्रयोज्य होगे जैसा कि सघन ऊर्जा उधोग पर उर्जा प्रभार प्रयोज्य हैं।

ए–9 प्रस्तावित टैरिफ से राजस्व

9.1 याचिकाकर्ता वर्ष 2019–20 के लिए प्रेक्षिप्त राजस्व प्रस्तुत करता है जिसको कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 71 वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्तावित टैरिफ पर विघुत के विक्रय से प्राप्त राजस्व

उपभोक्ता श्रेणी	वर्ष 2019–20 राजस्व (करोड रू.)
घरेलू सेवा	4,321

अघरेलू सेवा	2,844
पी.एस.एल	145
कृषि मीटर्ड सप्लाई	4,174
कृषि फ्लेट रेट सप्लाई	151
लघू औघोगिक सेवा	275
मध्यम औघोगिक सेवा	761
वृहद औघोगिक सेवा	5,470
सघन ऊर्जा उधोग	1,083
सार्वजनिक जल प्रदाय–लघु	227
सार्वजनिक जल प्रदाय–मध्यम	25
सार्वजनिक जल प्रदाय–वृहद	279
मिक्स लोड/बल्क सप्लाई	179
कुल योग	**19,936**

9.2 जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर वर्ष 2019–20 के लिये राजस्व घाटा निम्नानुसार होगा।

सारणी 72 वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्तावित टैरिफ पर राजस्व घाटा

विशिष्टियॉ (करोड़ रू.)	वर्ष 2019–20
निवल समग्र राजस्व आवश्यकता (अ)	21,518
प्रस्तावित टैरिफ पर राजस्व (ब)	19,936
सहायिकी से पूर्व राजस्व घाटा (स=ब-अ)	**(1,583)**
राज्य सरकार से सहायिकी समर्थन (द)	770
सहायिकी के बाद राजस्व घाटा (इे=स+द)	**(813)**

9.3 याचिकाकर्ता प्रस्तुत निवेदन करता है कि टैरिफ में संशोधन से 1943 करोड रूपये का को राजस्व प्राप्त होगा फिर भी वर्ष 2019–20 के लिये 813 करोड़ रूपये का अनिबद्ध राजस्व अन्तर रहेगा।याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि यदि आयोग संशाधित टैरिफ को अनुमोदित कर देता है तो भी वास्तविक राजस्व घाटा 813 करोड़ रूपये से ज्यादा होगा क्योकि टैरिफ वर्ष 2019–20 के बकाया महीनों पर ही प्रयोज्य होगी। इस राजस्व अंतर को भरने के लिये याचिकाकर्ता को अतिरिक्त कार्यशील पूँजी का ऋण लेना पड़ेगा।

9.4 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से उपरोक्त टैरिफ वृद्वि और टैरिफ युक्तिकरण के उपायों के अनुमोदित करने की प्रार्थना करता हैं

ए–10 **क्रोस सब्सिडी प्रभार** –

10.1 क्रोस सब्सिडी प्रभार विघुत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 42 के अनुसार खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के द्वारा देय है।

10.2 याचिकाकर्ता ने टैरिफ रेगूलेशन 2019 में उपलब्ध करवाये गये सूत्र के अनुसार क्रोस सब्सिडी प्रभार निर्धारित किये है। उपरोक्त रेगुलेशन का क्रोस सब्सिडी प्रभार सम्बन्धित अनुच्छेद निम्न प्रकार है।

''90 क्रोस सब्सिडी प्रभार ''

यह प्रभार खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं द्वारा देय है जो कि आयोग द्वारा निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

$$S=T-[C/(1-L/100)+D+R]$$

जहां,

S प्रभार है।

T देय टैरिफ है।

C डिस्कॉम द्वारा ऊर्जा गृह का प्रति यूनिट भारित औसत है।

D प्रसारण, वितरण और परिवहन प्रभारों का कुल योग है जो कि विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर प्रयोज्य होते है।

L प्रसारण, वितरण और वाणिज्यिक हानियॉ है जो कि सम्बन्धित वोल्टेज स्तर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है।

R माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अनिबद्व घाटा है।

यदि S का परिमाण उपरोक्त सूत्र के अनुसार ऋणात्मक आता है तो S को शून्य समझा जावेगा।

10.3 वृहद उधोग, मिक्स लोड – एच.टी और अघरेलू श्रेणी– एच.टी, ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर क्रोस सब्सिडी प्रभार प्रयोज्य होता है। वर्तमान और प्रस्तावित टैरिफ उपरोक्त श्रेणीयों के उपभोक्ताओ के विभिन्न वोल्टेजों पर निम्न सारणी में उपलब्ध करवाई गई है।

सारणी 73 : वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर विद्यमान और प्रस्तावित टैरिफ

श्रेणी	विदयमान टैरिफ (रू/यूनिट) (टी)			प्रस्तावित टैरिफ (रू/ यूनिट)		
	11 के.वी.	33 के.वी.	132 के.वी.	11 के.वी.	33 के.वी.	132 के.वी.
वृहद उधोग/ सघन ऊर्जा उधोग	9.16	8.89	8.80	9.71	9.42	9.32
मिक्स लोड	8.06	7.82	7.73	9.42	9.14	9.05
एन.डी.एस (एच.टी)	10.37	10.06	9.96	12.39	12.02	11.90

10.4 क्रोस सब्सिडी प्रभार की विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर गणना के लिए वितरण हानियॉ, आयोग के आदेश संख्या 817/2016 दिनांक 01.12.2016 के अनुसार ली गई है। प्रसारण हानियॉ वर्ष 2019–20 की समग्र राजस्व आवश्यकता में प्रक्षेपित हानियों के बराबर ली गई है। विस्तृत जानकारी निम्न सारणी में उपलबध करवाई गई है।

सारणी 74 : क्रोस सब्सिडी प्रभार के लिए ली गईं प्रसारण और वितरण हानियॉ

हानियॉ	11 के.वी	33 के.वी	132 के.वी.
वितरण	12.6%	3.80%	0 %
प्रसारण	6.24%	6.24%	6.24%
कुल योग	18.8%	10.0%	6.24%

10.5 खुली पहुंच वाले उपभोक्ता सिर्फ एच.टी. श्रेणी में है। इन श्रेणियों के लिये राजस्व संग्रह की क्षमता 100 प्रतिशत है और इस प्रकार इनमें कोई वाणिज्यक हानियॉ नहीं है। इसलिए L की गणना के लिये वाणिज्य हानियॉ 0 प्रतिशत ली जाती है।

10.6 प्रसारण की प्रति यूनिट लागत वर्ष 2019–20 की समग्र राजस्व आवश्यकता में प्रक्षेपित प्रसाारण लागत और विद्युत विक्रय के अनुसार ली गई हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्न सारणी में दी गई है।

सारणी 75: वर्ष 2019–20 के लिए परिवहन और प्रसारण लागत

डिस्कॉम	प्रति यूनिट लागत (रू प्रति यूनिट)	11 के.वी.	33 के.वी.	132 के.वी.
जे.वी.वी.एन.एल	परिवहन लागत	1.38	0.11	0.04
	प्रसारण लागत	0.75	0.75	0.75
	कुल योग	**2.12**	**0.85**	**0.79**
ए.वी.वी.एन.एल	परिवहन लागत	1.38	0.11	0.04
	प्रसारण लागत	0.71	0.71	0.71
	कुल योग	**2.09**	**0.82**	**0.75**
जेडी.वी.वी.एन.एल	परिवहन लागत	1.38	0.11	0.04
	प्रसारण लागत	0.73	0.73	0.73
	कुल योग	**2.10**	**0.83**	**0.77**
राजस्थान	परिवहन लागत	1.38	0.11	0.04
	प्रसारण लागत	0.73	0.73	0.73

	कुल योग	**2.11**	**0.84**	**0.77**

10.7 वर्ष 2019–20 के लिए रेगूलेटरी परिसम्पतियों की कैरीइंग कोस्ट (R) आयोग द्वारा अनिबद्व राजस्व अन्तर पर अनुमोदित ब्याज के आधार पर निर्धारित की गई है। वर्ष 2019–20 के लिए कैरीइंग कोस्ट निम्न सारणी में सारांशित किया गया है।

सारणी 76 वर्ष 2019–20 के लिए रैगूलेटरी परिसम्पतियों की कैरीइंग कोस्ट

डिस्कॉम	अनिबद्व राजस्व अन्तर पर ब्याज (करोड रू)	कुल विघुत विक्रय (मिलीयन यूनिट)	कैरीइंग कोस्ट (रू प्रति यूनिट)
जे.वी.वी.एन.एल	1,436	25,032	0.57
ए.वी.वी.एन.एल	1,349	17,733	0.76
जेडी.वी.वी.एन.एल	2,111	20,844	1.01
राजस्थान	**4,896**	**63,609**	**0.77**

10.8 उपरोक्त लागत के मापदण्डो के आधार पर वर्ष 2019–20 के लिए नीचे सारणी में साराशित किये गये है

सारणी 77 : वर्ष 2019–20 के लिए क्रोस सब्सिडी प्रभार

श्रेणी	वोल्टेज (के.वी)	विद्यमान टैरिफ (रू प्रति यूनिट)	प्रस्तावित टैरिफ(रू प्रति यूनिट)	ऊर्जा क्रय का भारित औसत (रू प्रति यूनिट)	समग्र प्रसारण, वितरण और वाणिज्यक हानियॉ (%)	समग्र प्रसारण, वितरण और परिहवन प्रभार (रू प्रति यूनिट)	रेगूलेटरी परिस्थितियों की कैरीइंग कोस्ट (रू प्रति यूनिट)	विद्मान टैरिफ पर क्रोस सब्सिडी प्रभार	प्रस्तावित टैरिफ पर क्रोस सब्सिडी प्रभार
वहृद उधोग / सघन ऊर्जा उधोग	132	8.80	9.32	3.85	6%	0.77	0.77	3.16	3.68
	33	8.89	9.42	3.85	10%	0.84	0.77	3.01	3.54
	11	9.16	9.71	3.85	19%	2.11	0.77	1.55	2.09
मिक्स	132	7.73	9.05	3.85	6%	0.77	0.77	2.09	3.41

लोड–	33	7.82	9.14	3.85	10%	0.84	0.77	1.93	3.26
एच.टी	11	8.06	9.42	3.85	19%	2.11	0.77	0.44	1.81
एन.डी.	132	9.96	11.90	3.85	6%	0.77	0.77	4.32	6.26
एस–	33	10.06	12.02	3.85	10%	0.84	0.77	4.18	6.14
एच.टी.	11	10.37	12.39	3.85	19%	2.11	0.77	2.76	4.78
	11	8.01	6.85	3.85	19%	2.11	0.77	0.39	0.00

अ–11 परिवहन प्रभार –

11.1 इस भाग टैरिफ रेगूलेशन 2019 के विनियम 86 के अनुसार परिवहन प्रभारों के निर्धारण का वर्णन किया गया है।

11.2 टैरिफ रेगूलेशन 2019 के विनियम 86 को निम्न प्रकार साराशित किया गया है।

'' वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये परिवहन प्रभारों की गणना समग्र राजस्व आवश्यकता में से निम्न राशि को घटाकर किया जाता है।

(अ) विनियम 78 के अनुसार ऊर्जा क्रय की लागत

(ब) उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि पर देय ब्याज

(स) प्रसारण और एस.एल.डी.सी प्रभार

(द) पं. व सं. व्यय का 10 प्रतिशत

11.3 वर्ष 2019–20 के लिए प्रेक्षपण इस याचिका में प्रस्तुत किये गये है जिसे कि टैरिफ रेगूलेशन 2019 के विनियम परिवहन प्रभारों की गणना की जा सके। राजस्थान वितरण निगमों के लिये वर्ष 2019–20 की समग्र राजस्व आवश्यकता के प्रेक्षपणों को निम्नलिखित सारणी में साराशित किया गया है।

सारणी 78 : विद्यमान टैरिफ पर वर्ष 2019–20 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता (करोड रू.)

क्र.	विशिष्टयॉ	जे.वी.वी.एन.एल	ए.वी.वी.एन.एल	जेडी.वी.वी.एन.एल	कुल योग
1	प्रसारण प्रभारों को सम्मलित करते हुये ऊर्जा क्रय का व्यय	15233.22	9936.23	10397.89	35567.34
2	पं.व सं. व्यय	1976.30	1644.28	1697.49	5318.06
2.1	कर्मचारी व्यय	995.45	671.94	755.40	2422.79
2.2	प्रा.एवं सां. व्यय	140.79	106.90	118.12	365.81
2.3	मरम्मत एवं संधारण व्यय	260.55	195.45	175.71	631.71
2.4	सेवान्त लाभ	550.00	648.21	624.91	1823.12
2.5	बीमा व्यय @ निवल स्थायी परिसम्पत्तियों का 0.2%	29.50	21.78	23.35	74.63
3	ह्रास, अग्रिम ह्रास को सम्मलित करते हुये	1037.88	816.19	837.29	2691.36
4	पूंजीगत ऋण पर ब्याज (प्रतिभूति जमा और वर्ष 2012–13 तक के अनिबद्व राजस्व पर ब्याज को सम्मलित करते हुये)	2426.08	2034.46	2331.78	6792.33
5	कार्यशील पूंजी	193.93	116.79	165.31	476.03

	पर ब्याज				
6	पूर्व कालीन व्यय	60.60	44.09	16.49	121.17
7	रेगूलेटरी परिसम्पतियों पर ब्याज	757.25	741.97	686.89	2186.11
8	कुल राजस्व व्यय	21685.25	15334.01	16133.14	53152.39
9	साम्या पर प्रतिफल	327.57	248.62	263.44	839.63
10	समग्र राजस्व आवश्यकता	22012.82	15582.63	16396.58	53992.02
11	घटायें : गैर टैरिफ आय	436.80	385.57	371.78	1194.16
12.	घटाये : परिहवन प्रभारों से आय	57.62	64.38	35.99	158.00
13	फुटकर टैरिफ से निवल समग्र राजस्व आवश्यकता	21518.39	15132.67	15988.80	52639.86

11.4 टैरिफ रेगूलेशन 2019 के विनियम 86 के अनुसार निम्नलिखित अवयव समग्र राजस्व आवश्यकता में से घटाने के लिये सारणी में दिखाये गये है।

सारणी 79 : वर्ष 2019–20 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता में से घटाये गये अवयव

क्र	विशिष्टयॉ	जे.वी.वी.एन.एल	ए.वी.वी.एन.एल	जेडी.वी.वी.एन.एल	कुल योग
1	ऊर्जा क्रय की लागत	13366	8678	8887	30930
2	प्रतिभूति जमाओं पर	74	62	45	181

	देय ब्याज				
3	प्रसारण प्रभार	1867	1258	1511	4637
4	पं.व सं. व्यय की 10 प्रतिशत राशि	198	164	170	532
5	**कुल योग**	**15504**	**10162**	**10613**	**36280**

11.5 टैरिंग रेगूलेशन 2019 के विनियम 86 में दिये गये प्रावधानों पर विचार करते हुये परिवहन प्रभारों की लागत तीनो वितरण निगमों के लिये प्राक्कलित की गई है और निम्नलिखित सारणी में साराशित की गई है।

सारणी 80 : वर्ष 2019–20 के लिए परिवहन प्रभारों की लागत

क्र	विशिष्टयॉ	जे.वी.वी.एन. एल	ए.वी.वी.एन. एल	जेडी.वी.वी. एन.एल	कुल योग
1	वर्ष 2019–20 की निवल समग्र राजस्व आवश्यकता	21518	15133	15989	52640
2	वर्ष 2019–20 के लिए ऊर्जा क्रय की लागत	13366	8678	8887	30930
3	वर्ष 2019–20 के लिए उपभोक्ताओं द्वारा जमा प्रतिभूति पर देय ब्याज	74	62	45	181
4	वर्ष 2019–20 के लिए प्रसारण प्रभार	1867	1258	1511	4637
5	वर्ष 2019–20 के लिए पं.वं. सं. व्यय की 10 प्रतिशत राशि	198	164	170	532
6	उप–योग	15504	10162	10613	36280
7	**वर्ष 2019–20 के लिए**	**6014**	**4970**	**5376**	**16360**

	परिवहन प्रभार (करोड रू)				

11.6 रेगूलेशन 86 (2) में यह उल्लेख है कि परिवहन प्रभारों की इस तरह निकाली गई लागत को स्थायी परिसम्पतियों आधार पर वोल्टेज वाईज बाटा जायेगा।

''(3) परिवहन प्रभारों का भुगतान : परिवहन प्रभार निम्नलिखित में से कोई एक और एक से अधिक हो सकते है

अ. स्थायी प्रभार संविदा मांग का रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह में

ब. प्रभावित होने वाली ऊर्जा के लिये रू. प्रति यूनिट का शुल्क

(i) तारों का व्यापार

(ii) उपभोक्ता के परिसर में मीटरों की स्थापना, परिचालन और संधारण

(iii) बिलिंग और राजस्व सग्रह

(iv) उपभोक्ता सेवाऐं

स. कनेक्टीविटी शुल्क

द. रीएक्टव ऊर्जा प्रभार/प्रोत्साहन राशि

(4) खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के परिवहन प्रभार निर्धारित करते समय, अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र में परिवहन होने वाली सम्पूर्ण बिजली को (उसकी स्वंय की सम्मिलित करते हुये) उपयोग में ली जायेगी।

11.7 वितरण निगम निवेदन करते है कि उनके पास वोल्टेज वाईज परिसम्पत्तियों के अकेक्षित लेखे नहीं है। फिर भी नेटवर्क की इंजीनियरिंग अध्ययन और आयोग द्वारा अनुमोदित कार्य विधि के अध्ययन के आधार पर याचिकाकर्ता ने परिसम्पत्तियों के वर्गिकरण का आधार निकाला है।

11.8 वितरण निगमो की वर्तमान लेखा अभ्यासों के अनुसार समग्र स्थायी परिसम्पत्तियों वोल्टेज स्तर के अनुसार वर्गीकृत करना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त स्थायी परिसम्पत्तियों`के रजिस्टर में प्रत्येक परिसम्पत्ति की मूल लागत की आवश्यकता होगी। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन एक सघन अभ्यास और समय लगने वाली कार्यवाही है।

11.9 याचिकाकर्ता माननीय अयोग से प्रार्थना करता है कि वह स्थायी परिसम्पत्तियों और वितरण हानियों को नेटवर्क की लागत, 33 के.वी., 11 के.वी और एल.टी पर ट्रासफोरमेशन कैपेसिटी, वितरण हानियों को वोल्टेज वाईज परिवहन प्रभार निर्धारित करने में विचार करें।

11.10 उपरोक्त प्रावधानों पर विचार करते हुये खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के लिये परिवहन प्रभार

निम्नलिखित परिकल्पनाओं के अनुसार निकाले गये है।

नटवर्क लागत और प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर हानियों को बाटना

(i) 132 के.वी. के स्तर पर बाटना : रेगूलेशन 86 (2) के अनुसार इस तरह से निकाले गये गये परिवहन प्रभार वोल्टेज स्तर वाईज स्थायी परिसम्पत्ति के आधार पर बाटे जायेगे। डिस्कॉम निवेदन करते है कि वर्तमान में 132 के.वी वोल्टेज स्तर पर कोई परिसम्पत्ति नहीं है लेकिन वितरण निगम खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं की लाईनों और खम्बो को स्थापित करने में सहायता करते है और उपभोक्ता सेवा उपलब करवाने के कारण इस पर शुल्क वसूल करते है। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 19 सितम्बर 2006 के अनुसार वितरण निगमो को ई.एच.टी उपभोक्ताओ से एक पैसा प्रति यूनिट परिवहन प्रभार वसूलने के लिये अनुबन्ध किया है।

वितरण निगम निवेदन करते है कि मिटरिंग, बिलिंग और राजस्व सग्रह की लागत बढ गई है इसलिए माननीय आयोग से प्रार्थना है कि वह 132 के.वी. स्तर पर 4 पैसे प्रति यूनिट अनुमत करने के लिये विचार करें

(ii) **33केवी, 11केवी और एलटी स्तर पर आनुपातिक बटवारा :** परिवहन प्रभार की लागत लाईनो की लम्बाई और ट्रांफोर्मेशन की केपिसिटी के आधार पर वोल्टेज वाइज आनुपातिक रूप से बाटी गयी है। इस तरह की कार्यविधि को दूसरे विनियामक आयोग जैसे एमपीआरसी, पीएसईआरसी इत्यादि ने भी अपनाया है।

इसके अतिरिक्त आरईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 19 सितम्बर 2006 को वोल्टेज वाइज परिवहन प्रभार को बाटने के लिये वोल्टेज वाइज लाईनों की लम्बाई और ट्रांफोर्मेशन परिसम्पत्तियों को विचारार्थ रखा हैं।

यहां यह उल्लेखनिये है कि भौगोलिक परिस्थितियों और विकास की गति के कारण हुये अन्तर को समाप्त करने के लिये, प्रत्येक वोल्टेज पर आनुपातिक बटवारें के लिये तीनो वितरण निगमों की क्रियात्मक लागत और विक्रय को विचारार्थ रखा हैं। यह आयोग के आदेश दिनांक 19 सितम्बर 2006 में अपनायी गयी कार्यविधि के अनुरूप है।

11.11 वितरण निगमों ने सभी वोल्टेज स्तर पर परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के लिये निम्नलिखित परिकल्पनाऐं की हैं।

अ. 31 मार्च 2019 को उपलब्ध नेटवर्क सांख्यिकी को परिसम्पत्तियों और वितरण हानियों के वर्गीकरण के लिये आधार बनाया है। 33 के.वी लाईनों को, 33 के.वी. वोल्टेज स्तर पर

परिस्म्पत्तिया माना गया है, 11 के.वी. लाईन और 33/11 के.वी. ट्रासफोरमेशन कैपेसिटी को 11 के.वी के स्तर पर परिसम्पत्तियॉ माना गया है और एल.टी लाईनों और 11/0.4 के.वी. ट्रासफोरमेशन कैपेसिटी को एल.टी. लेवल की परिसम्पत्ति माना गया है। 31 मार्च 2019 तक वोलटेज वाईज नेटवर्क की सांख्यिकी को निम्न सारणी में साराशित किया गया है।

सारणी 81 : नेटवर्क की वोल्टेज वाईज लम्बाई (कि.मी.)

क्र	विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर लाईनें (के.वी)	जे.वी.वी.एन.एल	ए.वी.वी.एन.एल	जेडी.वी.वी.एन.एल	कुल योग
1	132	0	0	0	0
2	33	15,430	15,914	24,057	55,401
3	11	155,594	136,305	220,624	512,523
4	एल.टी	152,746	185,414	152,951	491,111
कुल		**323,770**	**323,770**	**337,634**	**397,632**

सारणी 82 : नेटवर्क ट्रांसफोरमेशन कैपेसिटी (एम.वी.ए.)

क्र	विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर ट्रांसफोरमेशन कैपेसिटी (के.वी)	जे.वी.वी.एन.एल	ए.वी.वी.एन.एल	जेडी.वी.वी.एन.एल	कुल योग
1	33/11	11,275	9,241	9,749	30,265
2	11/0.4	16,350	15,261	15,812	47,423

ब राजस्थान का विद्यमान नेटवर्क पुरानी और नई परिसम्पत्तियों का मिश्रण है। वितरण निगमो के पास इन सम्पत्तियों का रजिस्टर नहीं है जिसके कारण इनकी लागत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए वितरण निगमो ने 31 मार्च 2019 की समग्र स्थायी परिस्म्पत्तियों को 1 अप्रेल 2019 को जारी स्टोर दरों के अनुसार, वितरण लाईनो

की वोल्टेज वाईज लागत और ट्रासफोरमेशन कैपेसिटी के अनुसार बांटा है।

स 33 के.वी. और 11 के.वी. लाईनों की औसत लागत निकालने के लिये 66 मीटर के स्पान पर सिंगल सर्किट डोग कन्डेक्टर और 9 मीटर पी.सी.सी. पोल की प्राकलित लागत और विजन कन्डेक्टर के लिये 66 मीटर के स्पान के साथ 8 मीटर पी.सी.सी पोल को विचारर्थ रखा है।

द. इसी प्रकार औधोगिक कनेक्शनो को विघुत प्रदाय करने के लिये काम में आने वाले ए.बी. सी. कन्डेक्टर की प्राक्कलित लागत को 40 मीटर के स्पान के साथ 8 मीटर पी.सी.सी. पोल को एल.टी. लाईनो की औसत लागत निकालने के लिये विचारार्थ रखा है।

सारणी 83: लाईनो की वाल्टेज वाईज औसत लागत

क्र	वोल्टेज स्तर	प्रति यूनिट लागत (लाख रू/कि.मी.)
1	33	5.71
2	11	2.59
3.	एल.टी	2.34

ई 33/11 के.वी सब स्टेशन की ट्रासफोरमेशन लागत सभी वितरण निगमो के 3.15 एम.वी.ए. सब स्टेशनों की प्राकलित लागत को औसत करके निर्धारित की गई है।

फ. 11/0.4 के.वी. परिसम्पत्तियों की ट्रांसफोरमेशन लागत के निर्धारण के लिये 33/11 के.वी. सब स्टेशन की लागत का 40 प्रतिशत लिया गया है।

सारणी 84 सब स्टेशन की औसत ट्रासफोरमेशन लागत

क्र	ट्रासफोरमेशन कैपेसिटी	प्रति यूनिट लागत (लाख रू/ए.वी.ए)
1	33/11 के.वी.	78.37
2	11/0.4	31.35

जी. उपरोक्त के अनुसार नेटवर्क साख्यिकी और औसत लागत के आधार पर वितरण निगमो ने नेटवर्क की वोल्टेज वाईज लागत निम्न प्रकार प्राकलित की है।

सारणी 85 वोलटेज वाईल नटवर्क लागत (लाख रू)

क्र	विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर लाईनें (के.वी)	जे.वी.वी.एन.एल	ए.वी.वी.एन.एल	जेडी.वी.वी.एन.एल	कुल योग
1	132	0	0	0	0
2	33	88,109	90,876	137,372	316,357
3	11	403,190	353,207	571,702	1,328,098
4	एल.टी	357,107	433,482	357,587	1,148,176

एच. तीनो वितरण निगमो के लिये ट्रांसफोरमेशन कैपेसिटी की लागत को निम्न सारणी में साराशित किया गया है।

सारणी 86 : ट्रांसफोरमेशन कैपेसिटी की लागत (लाख रू)

क्र	विभिन्न वोलटेज स्तरों पर ट्रांसफोरमेशन कैपेसिटी (के.वी)	जे.वी.वी.एन.एल	ए.वी.वी.एन.एल	जेडी.वी.वी.एन.एल	कुल योग
1	33 / 11	883,611	724,208	764,020	2,371,839
2	11 / 0.4	512,533	478,410	495,668	1,486,612

आई. डिस्कॉम वाईज उपरोक्त आकडो के आधार विघुत तंत्र की कुल लागत निम्न प्रकार है :–

सारणी 87 : विघुत तंत्र की कुल लागत (लाख रू)

क्र	विभिन्न वोलटेज स्तरों पर नेटवर्क	जे.वी.वी.एन.एल	ए.वी.वी.एन.एल	जेडी.वी.वी.एन.एल	कुल योग

1	सिर्फ 132 के.वी. लाईने	0	0	0	0
2	सिर्फ 33 के. वी. लाईने	88,109	90,876	137,372	316,357
3	11 के.वी. लाईने और 33/11 के. वी के सब स्टेशन	1,286,801	1,077,415	1,335,721	3,699,937
4	एल. टी. लाईने और 11/0.4 के. वी. सब स्टेशन	869,641	911,892	853,255	2,634,788
कुल योग (जी.एफ. ए. के अनुसार)		2,244,551	2,080,183	2,326,348	6,651,082

जे. उपरोक्तानुसार प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर, बाटीं गयी प्राक्कलित लागत (31 मार्च 2019 तक) को आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्य को बांटने के उपयोग में लिया गया है। स्थायी परिसम्पत्तियों के वोल्टेज वाईज ब्रेकअप को 33 के.वी. 11 के.वी. और एल.टी पर परिवहन प्रभारों को निकालने के लिये उपयोग में लिया गया है।

सारणी 88 स्थायी परिसम्पत्तियों की मूल लागत का बंटवारा (लाख रू)

क्र	विभिन्न वोलटेज स्तरों पर नेटवर्क	जे.वी.वी.एन. एल	ए.वी.वी.एन. एल	जेडी.वी.वी. एन.एल	कुल योग

1	132 के.वी	—	—	—	—
2	33 के.वी	94	649	938	1680
3	11 के.वी	1375	7,696	9118	18190
4	एल. टी.	18598	6,514	5615	30727
कुल परिसम्पत्तियॉ		**20,067**	**14,860**	**15,671**	**50,598**

(के.) वर्ष 2019–20 के जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के विद्युत विक्रय के प्रक्षेपणों को अनुमोदित सेवा कि प्रकृति के आधार पर वोल्टेज स्तरों में बाढ़ा गया है। उच्च वोल्टेज स्तर पर तारों की लागत को निम्न वोल्टेज स्तरों पर फिर बाढ़ा गया है क्योकि एलटी उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के लिये एचटी तंत्र को भी उपयोग में लाया जा रहा हैं। विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर इनपुट ऊर्जा की गणना के लिये उपरोक्तानुसार प्राक्कलित विद्युत विक्रय और ईएचटी और एचटी उपभोक्ताओं की वितरण हानियों को आयोग के आदेश दिनांक 19.09.2006 के अनुसार लिया गया है (ईएचटी और एचटी की वोल्टेज वाइज वितरण हानियों की अनुपस्थिति में)। बकाया वितरण हानियां एलटी स्तर पर बाटी गयी है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर के लिये गणना निम्न सारणी में उपलब्ध करवायी गयी है

(एल.) वर्ष 2019–20 के लिये जविविनिलि की वोल्टेज वाइज विद्युत विक्रय का बटवारा निम्नानुसार हैं :

सारणी 89 जविविनिलि की वोल्टेज वाइज विद्युत विक्रय

वोलटेज स्तर	**परिवहन लागत (करोड़ रू.)**	**इनपुट ऊर्जा (मि.यू.)**	**विद्युत विक्रय (मि.यू.)**	**वितरण हानियां %**	**परिसम्पत्तियां (करोड़ रू.)**
220 / 132 केवी	6013.95	1007	1007	0.00%	0
33 केवी		4205	4045	3.80%	788
11केवी		3617	3299	8.80%	11504
एलटी		20971	16681	20.46%	7775
कुल योग		**29800**	**25032**	**16.00%**	**20067**

(एम.) वर्ष 2019–20 के लिये अविविनिलि की वोल्टेज वाइज विद्युत विक्रय का बटवारा निम्नानुसार

हैं :

सारणी 90 अविविनिलि की वोल्टेज वाइज विद्युत विक्रय

वोलटेज स्तर	परिवहन लागत (करोड़ रू.)	इनपुट ऊर्जा (मि.यू.)	विद्युत विक्रय (मि.यू.)	वितरण हानियां %	परिसम्पत्तियां (करोड़ रू.)
220 / 132 केवी	4970.61	1467	1467	0.00%	0
33 केवी		1338	1287	3.80%	649
11केवी		3651	3330	8.80%	7696
एलटी		14405	11648	19.14%	6514
कुल योग		**20862**	**17733**	**15.00%**	**14860**

(एन.) वर्ष 2019–20 के लिये जोविविनिलि की वोल्टेज वाइज विद्युत विक्रय का बटवारा निम्नानुसार हैं :

सारणी 91 जोविविनिलि की वोल्टेज वाइज विद्युत विक्रय

वोलटेज स्तर	परिवहन लागत (करोड़ रू.)	इनपुट ऊर्जा (मि.यू.)	विद्युत विक्रय (मि.यू.)	वितरण हानियां %	परिसम्पत्तियां (करोड़ रू.)
220 / 132 केवी	5375.63	397	397	0.00%	0
33 केवी		1303	1254	3.80%	925
11केवी		1959	1786	8.80%	8998
एलटी		21760	17407	20.01%	5748
कुल योग		**25419**	**20844**	**18.00%**	**15671**

(ओ.) यहां यह उल्लेखनिय होगा की वितरण निगमों ने एल्टी स्तर समग्र वितरण हानियों को विचारार्थ रखा जिसमें वाणिज्यिक हानियां भी सम्मिलित है जो कि पंजाब विद्युत विनियाम आयोग और दुसरे आयोगो की कार्यवधि के अनुरूप है। क्योकि एक एमवीए से ऊपर संविधा मांग वाले उपभोक्ता ही खुली पहुँच से ऊर्जा क्रय कर सकते है इसलिये ऐसे उपभोक्ताओ को 11केवी और उससे अधिक वोल्टेज पर जोड़ा जा सकता है। माननीय आयोग से एलटी स्तर पर वितरण हानियों के वर्गीकरण को डिस्कॉम द्वारा प्रस्तावित कार्यावधि के अनुसार अनुमत करने की प्रार्थना की जाती हैं और इसका अन्य राज्य विद्युत विनियामक आयोग भी अनुसरण कर रहे हैं।

(पी.) वोल्टेज वाइज परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर डिस्कॉम ने परिवहन लागत को

उस वोल्टेज स्तर पर परिसम्पत्तियों के अनुसार लिया है जो निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 92 विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिसम्पत्तियों के अनुसार परिवहन लागत का बटवारा

विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिसम्पत्तियों के अनुसार परिवहन लागत का बटवारा (करोड़ रू.)	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि
33 केवी	236	217	317
11केवी	3448	2574	3087
एलटी	2330	2179	1972
कुल योग	**6014**	**5107**	**5376**

(क्यू.) उपरोक्तानुसार प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर प्राक्कलित परिवहन लागत को प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर इनपुट ऊर्जा के अनुपात में पुनः बाटा गया है।

सारणी 93 नेटवर्क के उपयोग के आधार पर आनुपातिक परिवहन लागत

नेटवर्क के उपयोग के आधार पर आनुपातिक परिवहन लागत (करोड़ रू.)	जविविनिलि	अविविनिलि	जोविविनिलि
33 केवी	34	15	17
11केवी	507	521	255
एलटी	5472	4435	5104
कुल योग	**6014**	**5107**	**5376**

(आर.) उपरोक्तानुसार प्राक्कलित आनुपातिक परिवहन लागत को वितरण निगमों के प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर प्राक्कलित विद्युत विक्रय के आधार पर परिवहन प की गणना के लिये उपयोग में लाया गया हैं जो कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 94 डिस्कॉम वाइज प्रस्तावित परिवहन लागत (रू./यूनिट)

परिवहन लागत (रू./यूनिट)	औसत
132 केवी	0.04
33 केवी	0.11
11केवी	1.38

11.12 डिस्कॉम निवेदन करता हैं की क्योकि राज्य में प्रचलित विद्युत दरें एकसमान है इसलिये औसत परिवहन लागत का प्रस्ताव राज्य के खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओ के लिये प्रयोज्य होगा। अतः वितरण निगम, राज्य मे एकसमान परिवहन दर रखने के लिये निम्नलिखित प्रभारों को प्रस्तावित करता है।

सारणी 95 वर्ष 2019–20 के लिये प्रस्तावित परिवहन प्रभार

वर्ष 2019–20 के लिये परिवहन प्रभार	
132 केवी वोल्टेज स्तर पर परिवहन प्रभार (रू./यूनिट)	0.04
33 केवी वोल्टेज स्तर पर परिवहन प्रभार (रू./यूनिट)	0.11
11 केवी वोल्टेज स्तर पर परिवहन प्रभार (रू./यूनिट)	1.38

11.13 निम्नलिखित सारणी में प्रस्तावित हानियां अनुज्ञप्तिधारी के उस वोल्टेज स्तर पर वितरण तंत्र के उपयोगकर्ताओं के लिये प्रयोज्य होगीं।

सारणी 96 वर्ष 2019–20 के लिये प्रस्तावित हानियां

वर्ष 2019–20 के लिये परिवहन हानियां	
132 केवी वोल्टेज स्तर पर तकनीकी हानियां	0%
33 केवी वोल्टेज स्तर पर तकनीकी हानियां	3.80%
11 केवी वोल्टेज स्तर पर तकनीकी हानियां	8.80%

अ 12 : वे फारवर्ड

माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 28 मई 2018 में राज्य के विधुत क्षेत्र के बारे में बहुत से मुददौ और इसके आगे किये जाने वाले उपायो पर विचार किया है। माननीय आयोग ने भविष्य के उपायो के बारे में महत्वपूर्ण बिन्दुओ को उठाया है। आयोग ने अक्षय ऊर्जा, विधुत वाहन, उपभोक्ताओ का फ्लेट रेट कृषि श्रेणी से मीटर में परिवर्तन, बकाया की वसुली, सूचना तकनीक क्रियान्वयन, सुरक्षा उपाय इत्यादि है।

12.1 माननीय आयोग का यह विचार था की छतो पर लगने वाले सौर संयत्रो को प्रोन्नत किया जाना चाहिए और नेट मीटरिंग के तहत आने वाले प्रार्थना पत्रो का निस्तारण समय सीमा में किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता उपभोक्ताओ के यहां सौर संयत्रो की स्थापना को प्रोन्नत करने के लिये विभिन्न उपाय कर रहा है। फील्ड अधिकारियों को प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर शीघ्र कनेक्शन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये है। इसके अतिरिक्त आरआरसीएल कार्यालय के नोडल अधिकारी के साथ नियमित मिटिंग कि जाती है। अभी तक राज्य में 31 मार्च 2019 तक 60.10 मैगा वाट के 1812 प्रोजेक्ट आरआरसीएल के माध्यम से स्थापित किये जा चुके है। याचिकाकर्ता राज्य में सौर ऊर्जा की अच्छी सम्भावना देखता है जिसका की उपयोग ऊर्जा क्रय की आवश्यकता को कम करने में किया जा सकता है। साथ ही में वितरण हानियां कम करना भी सुनिश्चित करना है जिसके लिये कार्य किया जा रहा है।

12.2 माननीय आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में उपलब्ध करवाया गया इनपुट यह है की कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना अत्यन्त प्रासंगिक और महत्वपुर्ण है। वितरित उत्पादन और माईक्रो ग्रिड के साथ कार्य करने से विधुत की विश्वसनियता में अत्यन्त सुधार हो सकता है। याचिकाकर्ता ने गुजरात, आध्रप्रदेश इत्यादि के मॉडल के बारे में जानकारी ली है जिससे की इसको क्रियान्वित किया जा सके। इसके बारे में अन्य विकल्प वर्तमान कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जा पम्पो से बदलने का है। इससे उपभोक्ताओ को न केवल दिन में बिजली मिलेगी बल्कि डिस्कॉम की ऊर्जा क्रय लागत में कमी आयेगी। इसके अलावा अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे कि उपभोक्ता को लाभ होगा तथा पानी का स्तर पर भी बुरा प्रभाव नहीं पडेगा। अन्य संभावित विकल्प 100 मैगावाट तक के वृहद् कन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना अथवा बहुत सारे 1–2 मैगावाट क्षमता के लघु सौर ऊर्जा संयत्रो की स्थापना। इस सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है और वित्तीय ऐजेन्सीयों के समर्थन से वित्त पोषण के प्रयास किये जा रहे हैं।

12.3 माननीय आयोग ने अन्य जो मुख्य बिन्दु उठाया है वह कृषि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को मीटर में परिवर्तित करने का है। याचिकाकर्ता ने अपने क्षेत्रा अधिकार में अधिक्तर कृषि फ्लेट रेट उपभोक्ताओं को मीटर में परिवर्तित कर दिया है फिर भी याचिकाकर्ता प्रयासो के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर

सका। इस सम्बन्ध में मुख्य बाधा लोगों के विरोध की है जो की डिस्कॉम के कार्मिको को फेस करना पड़ता है। इसलिए याचिकाकर्ता माननीय आयोग से अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना करता है।

12.4 डिस्कॉम के खर्चो में ऊर्जा क्रय के खर्चे का सबसे अधिक हिस्सा है। राजस्थान में डिस्कॉम को यह नुकसान है कि कोयला और जल संसाधन नही होने के कारण खुद के विधुत उत्पादन की लागत अधिक आती है। इसके लिये यह आवश्यक है की इससे सम्बद्ध लागत को कम किया जाये। इसके लिये पहला उपाये यह है कि प्रति यूनिट अधिक लागत वाले श्रोतो की पहचान किया जाये। इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है की ऊर्जा क्रय के अनुबन्धो की समय–समय समीक्षा की जाये और उनके साथ पुनः मोल भाव किया जाये। डिस्कॉम ने ऊर्जा के सस्ते श्रोतो की भी पहचान की है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये हैं।

12.5 राज्य सरकार ने वितरण कम्पनियों के ऊर्जा क्रय विक्रय के लिये राजस्थान ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को ऊर्जा क्रय पर नियन्त्रण के लिये भी इसको उत्तरदायित्व दिया गया है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम प्रतिदिन मैरिट ऑडर के आधार पर ऊर्जा क्रय को सुनिश्चित करता है और अधिक अथवा कम ऊर्जा के लेने देने को नियन्त्रित करता है। डिस्कॉम लम्बे समय के ऊर्जा क्रय अनुबन्धो की समीक्षा कर रहा है जिससे की वितरण कम्पनियो ऊर्जा क्रय मूल्य में कमी आ सकें।

12.6 यहां यह उल्लेखनिये होगा की याचिकाकर्ता ने उपभोक्ताओ को हमेंशा निर्बाधित गुणवता बिजली को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। यह इससे प्रमाणित है कि कृषि उपभोक्ताओ के अतिरिक्त सभी उपभोक्ताओ को औसत बिजली की सप्लाई 22–23 घण्टे है। कृषि उपभोक्ताओ को ब्लोक में 6 घण्टे सप्लाई दी जा रही हैं।

12.7 माननीय आयोग ने यह भी पाया है कि स्थाई प्रभारों में वास्तविक स्थाई लागत दिखनी चाहिए और कम से कम विधुत उत्पादन की स्थाई लागत को कवर किया जाना चाहिए। डिस्कॉम को इसके लिये वास्तविक विधुत लागत का अध्ययन करना चाहिए जिससे की यदि आवश्यक हो तो इसका संशोधित किया जा सके। इसके अतिरिक्त विधुत भार आधारित बिलिंग का भी एक विकल्प है। माननीय आयोग द्वारा दिये गये तथ्यों का डिस्कॉम समर्थन करता है और इसको आगे बड़ाने के लिये प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय बिजली नीति में भी इस पर जोर दिया गया है।यह प्रस्ताव किया जाता है कि प्रयास इस तरह का होना चाहिये की टैरिफ परम्परागत उपयोग के तरीके के आधार पर निर्धारित न करके मात्रा के उपयोग के आधार पर हो। यद्यपि यह अभी अंतिम नहीं किया गया है और अभी विचारविमर्श में है। याचिकाकर्ता यह उचित समझता है कि इस नीति के अंतिम होने तक ऐसे परिवर्तन करने के लिये प्रतीक्षा की जाये।

12.8 माननीय आयोग द्वारा उपभोक्ताओ से बकाया वसुली के बिन्दु को उठाया है। याचिकाकर्ता बकाया वसुली के लिये भ्रसक प्रयास कर रहा है। याचिकाकर्ता अपने ब्याज की लागत को भी कम करने के भ्रसक प्रयास कर रहा हैं। विलम्ब भुगतान प्रभार को कम करने के लिये बकाया के भुगतान का लम्बित समय को कम किया गया है।

12.9 याचिकाकर्ता का प्रयास क्षेत्र में कार्यो को सरल करने का है और याचिकाकर्ता ने औद्योगिक उपभोक्ता को छूट देने का प्रस्ताव दिया है जिनकी याचिका माननीय आयोग में प्रस्तुत कर दी है। यह प्रस्तावित है कि मध्यम (एचटी) उपभोक्ताओं को 0.55 रू./यूनिट और वृहद ओद्योगिक उपभोक्ताओ को 85 पैसे प्रति यूनिट उनके बढ़े हुये उपभोग पर छूट दी जाये याचिकाकर्ता ने एक नयी सघन ऊर्जा उद्योग श्रेणी प्रस्तावित की है जो कि वृहद् उद्योग श्रेणी से ली गयी है। इस प्रकार याचिकाकर्ता यह छूट सघन ऊर्जा उद्योग के उपभोक्ताओं को भी वृहद् उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं के समान बढे हुये उपभोग पर 0.85रू./यूनिट की दर से छूट देने का प्रस्ताव करता है उपरोक्त वर्णित याचिका **अनुलग्नक 1** पर उपलब्ध है।

12.10 डिस्कॉम अपनी वार्णिज्यिक गतिविधियों में सुधार को सुनिश्चित करने के लिये एक राजस्व प्रबन्धन तंत्र की स्थापना का क्रियान्वयन कर रहा है इसके लिये एक टैंडर जारी किया गया है और इसका तकनीकी आंकलन प्रक्रिया में है। याचिकाकर्ता ने ईआरपी के वित एवं लेखा, पदार्थ प्रबन्धन, प्रोजेक्ट प्रबन्धन और मानव संसाधन के क्षेत्र में क्रियान्वयन की योजना बनायी है।

12.11 याचिकाकर्ता ने राज्य में एक स्मार्ट कॉल सेन्टर की स्थापना को विचार किया है जो की न केवल उपभोक्ताओ की शिकायतों को ही दर्ज करेगा बल्कि उपभोक्ता के संतुष्टीकरण को भी बड़ायेगा। यह घटना के होने और इस पर की गयी कार्यवाही के अंतर को कम करेगा। यह उपभोक्ताओं को उनसे सम्बन्धित सभी सूचनाओ से अवगत रखेगा।

12.12 याचिकाकर्ता का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओ को गुणवतायुक्त सेवायें देने को है। उपभोक्ताओ की शिकायतों के निराकरण के लिये याचिकाकर्ता विभिन्न स्तरों पर भरसक प्रयास कर रहा है। शिकायतों के निराकरण के लिये शिकायत निवारण मंच स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से चौपाले आयोजित कि जाती है जहां पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों के निराकरण के लिये आ सकता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओ में जागरूकता पैदा करने के लिये डिस्कॉम सोशल मीडिया और विज्ञापनों का भी उपयोग करता है इसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की शिकायतो में महत्वपूर्ण कमी आयी है। नीचे निम्नलिखित सारणी में ट्रिपींग और जले हुये ट्रांस्फोमरो के परिवर्तन के बारे में बताया गया है। जो की यह दिखाता है की याचिकाकर्ता उपभोक्ता संतुष्टीकरण के लिये प्रयास कर रहा है।

निम्नखित सारणी (मार्च 2019 को) जले हुये ट्रांस्फोमरो के परिवर्तन की संख्या याचिकाकर्ता द्वारा उपभोक्ता संतुष्टिकरण की दिशा में किये गये लगातार ओर भ्रसक प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है।

सारणी 97 : जले हुये ट्रांस्फोमरो का परिवर्तन

टाईप	जले हुये ट्रांस्फोमर		72 घण्टो में परिवर्तन	
	माह के दौरान	माह तक	माह के दौरान	माह तक
1–फेस	2088	21179	1901	27046
3–फेस	2126	38399	2142	38132

12.13 याचिकाकर्ता ने कोटा और भरतपुर में वितरण फ्रेन्चाइजी की नियुक्ति कर दी है इनकी कार्य क्षमता का निरीक्षण माह वार मीटिंगो के दौरान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वितरण फ्रेन्चाइजी अनुबन्ध के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षको की भी नियुक्ति की गयी है जिससे की यह सुनिश्चित हो सके कि वितरण फ्रेन्चाइजी अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा है।

12.14 विधुत वितरण क्षेत्र में सुरक्षा का एक बहुत महत्वपुर्ण स्थान है जिसको कि किसी भी कीमत पर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता अपने कर्मचारियों और उपभोक्ताओ की सुरक्षा के लिये वचनबद्ध है। सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे है। वृत्त अधीक्षण अभियन्ताओ को दुरघटनाओ के कारणो की जॉच में शीघ्रता लाने के लिये निर्देश दिये गये है और तदनुसार कार्य योजना तैयार करने के लिये कहा गया है डिस्कॉम की समन्वय समिति ने सुरक्षा उपकराणों के पैरामीटर और इसकी क्रय करने की प्रक्रिया को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी बेल्ट, अरथिंग चेन इत्यादि के अतिरिक्त प्रतिरोधी जूतें, हेल्मेट,रबर के दस्ताने प्रत्येक तकनीकी कर्मचारी को उपलब्ध करवाये जायें। तकनीकी कर्मचारीयों को निर्देश दिये गये है कि वो बिना सुरक्षा उपकरणो के कार्य करने से मना कर सकते है।

12.15 वृत्त स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी है जो कि नियमित रूप से 33/11केवी सब–स्टेशनों का निरीक्षण करती और कार्य स्थल पर कर्मचारीयों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी सुरक्षा उपकरणो उपयोग कर रहे है या नहीं और दोषीयो के खिलाफ कार्यवाही करती है। इसके अतिरिक्त एक तकनीकी प्रकोष्ठ भी बनाया गया जिसमें की प्रत्येक वृत्त में एक सुरक्षा अधिकारी को नामित किया गया है।

12.16 कर्मचारीयों और जनता के लिये नियमित रूप से जागरूकता सत्र चलाये जा रहे है। डिस्कॉम उपभोक्ताओ में जागरूकता पैदा करने में सोशल मीड़िया और विज्ञापनो का उपयोग भी करता है और उनको विधुत से सम्बन्धित जो काम करने है और नहीं करने है, के बारें में शिक्षित किया जाता है जिससे की दुर्घटनाओ से बचा जा सके ।

अ 13 : प्रार्थना

13.1 जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. आयोग से निवेदन करता है –

- वर्ष 2019–20 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता की याचिका को स्वीकार करने के लिये।
- वर्ष 2019–20 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में प्रस्तावित प्रक्षेपणों की विधि और सिद्धान्तों का अनुमोदन।
- याचिकाकर्ता द्वारा टैरिफ शिड्युल में प्रस्तावित परिवर्तनों को अनुमोदित करना।
- किसी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति देना।
- इस याचिका में आवश्यकता होने पर पुनः प्रस्तुतीकरण व संशोधन आदि करने का अवसर प्रदान करें।
- माननीय आयोग द्वारा उचित आदेश प्रसारित करना।

Teriff Petition
FY 2019-20